Jain Education International

जैन-लॉ

<u>د</u> ۲

त्तेसक चम्पतराय जैन, बैरिस्टर-पटू-लॉ, विद्यावारिधि.



प्रकाशक ग्री दिगम्बर जैन परिषद्, बिजनौर

१-2२८ ई०

विषय-सूची

विषय			য়ন্ত্র
भूमिका हिन्दी त्र्रनुवाद की …	•••	• • •	2
भूमिका (त्र्रसली प्रन्थ की)	• • •	• • •	હ

प्रथम भाग

प्रथम प	रेच्छे	द—दत्तक विधि	। श्रीर पुत्र-	वेभाग	• • •	१
द्वितीय	"	विवाह	• • •	•••	• • •	११
त्रतीय	,,	—सम्पत्ति	• • •	•••	• • •	१७
चतुर्थ	",	दाय	• • •	•••	• • •	ર્સ્ટ
पञ्चम	",	स्त्री-धन	•••	•••		84
ৰন্ত	"	भरण-पोषा	। (गुज़ारा)	•••	• • •	५२
सप्तम	"	—संरत्तकता	•••	• • •	• • •	પ્રદ્
भ्रष्टम	. , ,	—रिवाज	• • •	• • •	• • •	પ્રસ્

द्वितीय भाग

त्रैवर्ग्धिकाचार	• • •	• • •	* * •	ई२
श्रीभद्रवाहुसंहिता		• • •	•••	દ્દસ્
श्रीवर्द्धमान-नीति	•••	• • •	• • •	સ્પ્ર
न्द्रनन्दि जिन-संहिता	•••		•••	१०५
अर्हन्नोति	• • •	• • •	• • •	880

तृतीय भाग

जैनधर्म श्रीर डाक्टर गैाड़ का ''हिन्दू कोड'' ... १४६

भूमिका हिन्दी अनुवाद की

تمد

जैन-लॉ की ग्रसली भूमिका ग्रॅंगरेज़ो पुस्तक में लिखी जा चुकी है। जिसका अनुवाद इस पुस्तक में भी सम्मिलित है। हिन्दो ग्रनुवाद के लिए साधारग्रत: किसी प्रथक भूमिका की ग्रावश्यकता न थी किन्तु कतिपय ग्रावश्यक बातें हैं जिनका उल्लेख करना उचित प्रतीत होता है। श्रीर इस कारग्र उनको इस भूमिका में लिखा जाता है----

(१) जैन-लॉ इस समय न्यायालयों में अमान्य है, परन्तु वर्तमान न्यायालयों की न्याय-नीति यहो रही है कि यदि जैन-लॉ वर्याप्त विश्वस्त रूप से प्रमाणित हेा सके तेा वह कार्य रूप में परिणत होनी चाहिए। यह विषय ग्रॅंगरेज़ी भूमिका व पुस्तक के तृतीय भाग में स्पष्ट कर दिया गया है।

(२) पिछले पचास वर्ष को असन्तुष्टता के समय का चित्र भी तृतीय भाग में मिलेगा। जैन-लॉ के उपस्थित न होने के कारण प्रायः न्यायालयों के न्याय में भूल हुई है। कहीं कहीं रिवाज के रूप में जैन-लॉ के नियमें को भी माना गया है; अन्यथा हिन्दू-लॉ ही का अनुकरण कराया गया है। इस असन्तुष्टता के समय में अह असम्भव नहीं है कि कहीं कहीं विभिन्न प्रकार के व्यवहार प्रचलित हो गये हों।

(३) अब जैनियों का कर्त्तव्य है कि तन, मन, धन से चेष्टा करके अपने ही लॉ का अनुकरण करें और सरकार व न्यायालयों में उसे प्रचलित करावें । इसमें बड़े भारी प्रयास की व्यावश्यकता पड़ेगी । अनायास ही यह प्रधा नहीं टूट सकेगी कि जैनो हिन्दू डिस्सेन्टर हैं श्रीर हिन्दू-लॉ के पावन्द हैं जब तक वह कोई विशेष रिवाज साबित न कर दें । इसके सिवा कुछ ऐसे मनुष्य भी होंगे जेा जैन-लॉ के प्रचार में अपनी हानि समफेंगे । श्रीर कुछ लोग तेा जेा जैन-लॉ के प्रचार में अपनी हानि समफेंगे । श्रीर कुछ लोग तेा योही 'नवीन' आन्दोलन के विरुद्ध रहा करते हैं । ये गुलामी में आनन्द मानने के लिये प्रस्तुत हेंगे । किन्तु इन दोनों प्रकार के मद्दाशयों की संख्या कुछ अधिक नहीं होनी चाहिए । यद्यपि ऐसे सज्जन बहुत से निकलेंगे जिनके लिए यह विषय अधिक मनेारज्जक न हो । यदि सर्व जैन जाति अर्थात दिगम्बरी, श्वेताम्वरी श्रीर स्थानकवासी तीनों सम्प्रदाय मिलकर इस बात की चेष्टा करेंगे कि जैन-लॉ प्रचलित हो जाय तेा कोई कारण दिखाई नहीं पड़ता कि क्यों ऐसा न हो, यद्यपि प्रत्यच्तत्या यह विषय आसानी से सिद्ध न होगा । (४) यदि हम निम्नलिखित उपायों का अवलम्बन करें ते।

(४) यद इम ानम्रालाखत उपाया का अवलम्बन कर ता अनुमानतः शीघ्र सफल हो सकते हैं----

- (क) प्रत्येक सम्प्रदाय को अपनी अपनी समाजों में प्रथमत: इस जैन-लाँ के पत्त में प्रस्ताव पास कराने चाहिएँ। (ख) फिर एक स्थान पर प्रत्येक समाज के नेताओं की एक सभा करके उन प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान करनी चाहिए।
 - (ग) जेा सज्जन किसी कारण से जैन-लॉ के नियमें। को अपनी इच्छाओं के विरुद्ध पावें वे प्रपनी इच्छाओं की पूर्ति वसीयत के द्वारा कर सकते हैं। इस भाँति धर्म और जाति की स्वतन्त्रता भी बनी रहेगी और उनकी मानसिक इच्छा की पूर्ति भी हो जायगी।

(घ) मुकदमे बाज़ी की सूरत में प्रत्येक सच्चे जैनी का जेा संसार भ्रमण से भयभीत झौर मोच का जिज्ञासु है यही कर्त्तव्य है कि वह सांसारिक घन सम्पत्ति के लिए झपनी झात्मा की मलिन न करे झौर दुर्गति से भयभीत रहे । यदि किसी स्थान पर कोई रीति यथार्थ में जैन-लॉ के लिखित नियम के विरुद्ध है तेा स्पष्ट शब्दों में कहना चाहिए कि जैन-लॉ तेा यही है जेा पुस्तक में लिखा हुआ है किन्तु रिवाज इसके विरुद्ध है । और उसको प्रमाणित करना चाहिए ।

इस पर भी यदि कोई सजन न माने तो उनकी इच्छा। किन्तु ऐसी ग्रवस्था में किसी जैनी को उनकी सहायता नहीं करनी चाहिए। न उनको ग्रसत्य के पत्त में कोई साचा ही मिलना चाहिए। वरन् जो जैनी साची में उपस्थित हो उसको साफ साफ ग्रीर सत्य सत्य हाल प्रकट कर देना चाहिए। ग्रीर सत्य बात को नहीं छुपाना चाहिए। जब उभय पत्त के गवाह स्पष्टतया सत्य बात का पत्त्व लेंगे ते। फिर किसी पत्त्व की हठधर्म्मी नहीं चलेगी। विचार होता है कि यदि इस प्रकार कार्यवाही की जायगी ते। जैन-लॉ की स्वतन्त्रता की फिर एक बार स्थिति हो जायगी।

(५) इस जैन-लॉ में वर्तमान जैन शास्त्रों का संप्रह, बिना इस विचार के कि ये दिगम्बरी वा श्वेताम्बरी सम्प्रदाय के हैं, किया गया है। यह हर्ष की बात है कि उनमें परस्पर मतभेद नहीं है। इसलिए यह व्यवस्था (कानून) सब ही सम्प्रदायवालों का मान्य हैा सकती है। ग्रीर किसी को इसमें विरोध नहीं होना चाहिए। (६) जैन-लॉ श्रीर हिन्दू-लॉ (मिताचरा) में विशेष भिन्नता यह है कि हिन्दू-लॉ में सम्मिलित-क्रुल में ज्वाइंटइस्टेट (joint estate) श्रीर सरवाईवरशिप (survivorship) का नियम है । जैन-लॉ में ज्वाइन्ट टेनेन्सी (joint tenancy) है। इनमें भेद यह है कि ज्वाइन्ट इस्टेट में यदि कोई सहभागी मर जाय ते। डसके उत्तराधिकारी दायाद नहीं होते हैं; अवशिष्ट भागियेां की ही जायदाद रहती है, श्रीर हिस्सेां का तखमीना बटवारे के समय तक नहीं हो सकता है। परन्तु ज्वाईन्ट टेनेन्सी में (survivorship) सरवाईवर शिप सर्वथा नहीं होता। एक सहभागी के मर जाने पर उसको दायाद उसको भाग के ऋधिकारी हो जाते हैं। इसलिए हिन्दू-लॉ में ख़ान्दान मुश्तरिका मिताचरा की दशा में मृत आता की विधवा की कोई हैसियत नहीं होती है और वह केवल भोजन-त्रस्त पा सकती है। जैन-लाँ में वह मृत पुरुष के भाग की अधि-कारिणी होगी चाहे उसकी विभक्ति हो चुकी हो वा नहीं हो चुकी हो । पुत्र भी जैन-लॉ के अनुसार केवल पैतामहिक सम्पत्ति में पिता का सहभागी होता है और अपना भाग विभक्त कराकर प्रथक करा सकता है । किन्तु पिता की मृत्यु के पश्चात् वह डसके भाग को माता की उपस्थिति में नहीं पा सकता; माता की मृत्यु के पश्चात् उस भाग को पावेगा। अस्तु हिन्दू-लॉ में स्त्री का कोई अधिकार नहीं है। पति मरा श्रीर वह सिखारिणी हो गई। पुत्र चाहे अच्छा निकले चाहे बुरा माता को हर समय उसके समच कैोड़ी कैोड़ी के लिए हाथ पसारना और गिड़गिड़ाना पड़ता है । बहुतेरे नये नवाब भेागविलास और विषय-सुख में घर का धन नष्ट कर देते हैं। वेश्याये उनकी धन-सम्पत्ति द्वारा त्रानन्द करती हैं श्रीर उसको जलैव व्यय करती हैं। माता और पत्नी घर में देा पैसे की भाजी की अकिंचन बैठी रहती हैं। यदि भाई भतीजेां के हाथ धन लगा तेा वे काहे का मृतक की विधवा की चिन्ता करेंगे और यदि करेंगे भी ते। टुकड़ेां पर बसर करायँगे।

यदि सैाभाग्यवश पति कहीं प्रथक दशा में मरा ते विधवा को सम्पत्ति मिली किन्तु वह भी हीन हयाती रूप में। कुछ भी उसने धर्म कार्य्य वा ग्रावश्यकता के निमित्त व्यय किया और मुक़दमा-छिड़ा। रोज़ इसी भाँति के सहस्रों मुक़दमे न्यायालये। में उपस्थित रहते हैं जिनसे कुटुम्ब व्यर्थ ही नष्ट होते हैं और परस्पर शत्रुता बँधती है। जैन-लाँ में इस प्रकार के मुक़दमे ही नहीं हे। सकते।

पुत्र की उपस्थिति में भी विधवा का मृत पति की सम्पत्ति को खामिनी की हैसियत से पाना वास्तव में ग्रयन्त लाभदायक है। इससे पुत्र को व्यापार करने का साहस होता है और वह आलुस्य **और जड़ता से बचता है । इसके सिवा उसकेा सदा**चारी और आज्ञाकारी बनना पड़ता है। जितना धन विषय सुख और हरान-खोरी में नये नवाब व्यय कर देते हैं; यदि जैन-ला के अनुसार सम्पत्ति उनको न मिली होती तेा वह सर्वथा नष्ट होने से बच जाता । यही कारण है कि जैनियों में सदाचारी व्यक्तियों की संख्या अन्य जातियों की अपेचा अधिकतर पाई जाती है। यह विचार, कि पुत्र के न होते हुए विधवा धन अपनी पुत्री श्रीर उसके पश्चात नाती अर्थात् पुत्रो के पुत्र को दे देगी, व्यर्थ है। हिन्दू-लॉ में भी यदि पुत्र नहीं है और सम्पत्ति विभाज्य है ते। विधवा के पश्चात् पुत्रो और उसके पश्चात नाती ही पाता है। पति के कुटुम्ब के लोग नहीं पाते हैं वरन हिन्दू-लाँ के अनुसार तेा नाती ऐसी विधवा की सम्पत्ति को पावेहीगा क्योंकि विधवा पूर्ण स्वामिनी नहीं होती है वरन् केवल यावज्जोवन अधिकार रखती है। यदि वह इच्छा भी करे ते। भी नाती को अनधिकृत करके पति के भाई भतीजें। को नहीं दे सकती। इसके विरुद्ध जैन-लॉ में विधवा सम्पत्ति की पूर्ण स्वामिनी द्वाती है । पत्रो या नाती का कोई अधिकार नहीं होता। अतः यदि उसके पति के भाई भतीजे उसके। प्रसन्न रक्खें और उसका आदर और विनय करें ते। वह उनके। सबका सब धन दे सकती है ।

इस कारग जैन लाँ की विशिष्टता सूर्यवत् कान्तियुक्त है। इसमें विरोध करना मूर्खता का कारग्र है। यह भी झात रहे कि यदि कहीं ऐसा प्रकरग उपस्थित हो कि पुरुष को अपनी स्त्री पर विश्वास नहीं है तो उसका भी प्रबन्ध जैन-लॉ में मिलता है। ऐसे अवसर पर वसीयत के द्वारा कार्य करना चाहिए और स्वेच्छानुकूल अपने धन का प्रबन्ध कर देना चाहिए। यदि कोई स्त्री दुराचारिग्री है तो वह अधिकारिग्री नहीं हो सकती है। यह स्पष्टतया जैन-लॉ में दिया हुआ है। मेरे विचार में यदि ध्यान से देखा जायगा तो सम्पत्ति के नष्ट होने का भय नये नवाबों से इतना अधिक है कि जैन-लॉ के रचयिताओं से आक्रोश का अवसर नहीं रहता है।

अप-ला ने रपापराजा स जाक्रारा का अवसर नहा रहता हा अस्तु जो सज्जन अपने धर्म्म से प्रेम रखते हैं और उसके स्वातन्त्र्य को नष्ट करना नहीं चाइते हैं और जिनका जैनी होने का गैरिव है उनके लिये यही आवश्यक है कि वे अपनी शक्ति भर चेष्टा इस बात की करें कि विरुद्ध तथा हानिकारक अजैन कानूनों की दासना से जैन-लॉ को मुक्त करा दें। ,गुलामी में आनन्द माननेवाल सज्जनें से भी मेरा अनुरोध है कि वे आँखें खालकर जैन-लॉ के लाभों का समभों और व्यर्थ की बातें बनाने वा कुलम चलाने से निवृत्त होवें।

सी० आर० जैन

भूमिका

जैन-लॉ एक स्वतन्त्र विभाग दाय भाग (jurisprudence) के सिद्धान्त का है। इसके आदि रचयिता महाराजा भरत चक्र-वर्ती हैं जेा प्रथम तीर्थङ्कर भगवान् आदि नाथ स्वामी (ऋषभदेवजी) के बढ़े पुत्र थे*।

१—भद्रवाहु संहिता, जो श्री भद्रवाहु स्वामी श्रुतकेवली के समय का जिन्हें लगभग २३०० वर्ष हुए न होकर बहुत काल पश्चात का संग्रह किया हुग्रा ग्रन्थ जान पड़ता है तिस पर भी यह कई शताब्दियों का पुराना है। इसकी रचना श्रीर प्रकाश सम्भवत: संवत् १६५७-१६६५ विक्रमी ग्रथवा १६०१-१६० ई० को ग्रन्तर में होना प्रतीत होता है। यह पुस्तक उपासकाध्ययन के ऊपर निर्भर की गई है। इसके रचयिता का नाम विदित नहीं है।

🔅 ई० जि० सं० ४३-४४ ।

र—ग्रहन्नोति—यह श्वेताम्बरी प्रन्थ है। इसके सम्पादक का नाम और समय इसमें नहीं दिया गया है किन्तु यह कुछ त्राधिक कालीन ज्ञात नहीं होता है। परन्तु इसके अन्तिम स्रोक में सम्पादक ने स्वयं यह माना है कि जैसा उसने सुना है वैसा लिपि बद्ध किया।

४---इन्द्रनन्दी जिन संहिता--- इसके रचयिता वसुनन्दि इन्द्रनन्दि स्वामी हैं। यह पुस्तक भी उपासकाध्ययन ग्रंग पर निर्भर है। विदित रहे कि उपासकाध्ययन ग्रंग* लोप हो गया है ग्रीर ग्रब केवल इसके कुछ उपाङ्ग ग्रवशेष हैं।

५—त्रिवर्गाचार—संवत् १६६७ वि० के मुताबिक १६११ ई० की बनी हुई पुस्तक है। इसके रचयिता भट्टारक सेामसेन स्वामी ७ इस ग्रंग के विषयें की सूची ग्रेंगर वर्षन के निमित्ति रा० ब० बा०

जगमन्दिर लाल जैनी की किताब श्राउट लाइन्ज़ श्राफ़ जैनिज्म देखनी चाहिए।

हैं जेा मूल संघ की शाखा पुष्कर गच्छ के पट्टाधीश **घे। इनका** ठीक स्थान विदित नहीं है ।

६---श्रीग्रादिपुराग्रजी---यह प्रन्थ भगवज्जिनसेनाचार्य्य ऊत है जेा ईसवी सन की नवीं शताब्दी में हुए हैं जिसको अब लगभग १२०० वर्ष हुए हैं।

वर्तमान काल में बस इतने ही प्रन्धों का पता चला है जिनमें नीति का मुख्यतः वर्षन है। परन्तु इनमें से किसी में भी सम्पूर्ण कानून का वर्णन नहीं मिलता है। तेा भी मेरा विचार है कि जेा कुछ अङ्ग उपासकाध्ययन का लोप होने से बच रहा है वह सब कानून की कुल ग्रावश्यकीय बातें के लिए यथेष्ट हो सकता है। चाहे उसका भाव समझने में प्रथम कुछ कठिनाइयों का सामना पड़े। गत समय में निरन्तर दुईंटनाओं एवं बाह्य दुराचारों के कारण जैन मत का प्रकाश रसातल ग्रथवा ग्रन्धकुप में छिप गया। जब ग्रॅंगरेज़ ग्राये तेा जैनियों ने श्रपने शास्त्रों को छिपाया व सरकारी न्यायालयों में पेश करने का विरोध किया। एक सीमा तक उनका यह कृत्य उचित था क्योंकि न्यायालयों में किसी धर्म के भी शास्त्रों का कोई मुख्य सम्मान नहीं होता। कभी कभी न्यायाधीश और प्रायः अन्य कर्मचारी शास्त्रों के पृष्ठों के लौटने में मुँह का युक लगाते हैं जिससे प्रत्येक धार्मिक हृदय को दु:ख होता है । परन्तु इस दुःख का उपाय यह नहीं है कि शास्त्र पेश न किये जावें। क्योंकि प्रत्येक कार्य समय के परिवर्तनेंां का विचार करते हुए अर्थात् जैन सिद्धान्त की भाषा में द्रव्य, चेत्र, काल श्रीर भाव की अपेचा से, होना चाहिए।

जैनियों के शास्त्रों को न्यायालयों में प्रविष्ट न होने देने का परिणाम यह हुम्रा कि ग्रब न्यायालयों ने यह निर्णय कर लिया है कि जैनियों का कोई नीतिशास्त्र ही नहीं है (शिवसिंह राय बनाम दाखा १ इलाहाबाद ६८८ मुख्यत: ७०० पृष्ठ श्रीर हरनामप्रसाद व० मण्डलदास २७ कलकत्ता ३७-६ पृ०) । यद्यपि सन् १८७३ ई० में कुछ जैन नीति-शास्त्रों के नाम न्यायालयेां में प्रकट हा गये थे (भगवानदास तेजमल ब० राजमल १०, बम्बई हाईकोर्ट रिपोर्ट २४६, २५५-२५६)। श्रीर इससे भी पूर्व सन् १⊂३३ ई० में जैन नीति-शास्त्रों का उल्लेख झाया है (गोविन्दनाथ राय ब० गुलालचन्द ४ रलेकृ रिपोर्ट सदर दीवानी अदालत कलकत्ता प्रष्ठ २७६)। परन्तु न्यायालयें का इसमें कुछ अपराध नहों हो सकता है। क्येंकि न्यायालयों ने तेा प्रत्येक अवसर पर इस बात की कोशिश की कि जैनियों की नीति या कम से कम उनके रिवाजेंा की जाँच की जाय ताकि उन्हीं के अनुसार उनके फगड़ेां का निर्णय किया जावे। सर ई० मैं।नटेगे। स्मिथ महोदय ने शिवसिंह राय ब० दाखे। (१ इत्ता-हाबाद इ्दद P. C.) के मुक़दमे में प्रिवीकैांसिल का निर्णय सुनाते समय व्याख्या की थी कि ''यह घटना वास्तव में बड़ो ग्राश्चर्यजनक होती यदि कोई न्यायालय जैनियों की जैसी बड़ी ध्रीरधनिक समाजें को उनके यथेष्ट साची द्वारा प्रमाखित कानून श्रीर रिवाजेां की पाबंदी से रोकती, अगर यह पर्याप्त साचियों से प्रमाणित हो सकें।" प्रेम-चन्द पेपारा ब० हुलासचन्द पेपारा १२ वीकली रिपोर्टर पृ० ४-४४ में भी जैन नीतिशास्त्रों का उल्लेख आया है। अनुमानतः न्याया-लयें के पुराने नियमानुसार पण्डितें से शास्त्रों के अनुकूल व्यवस्था ली गई होगी। यह मुक़दमा सन् १८६२ ई० में फ़ैसल हुआ था।

हिन्दुओं को भी ऐसा ही भय भ्रपने शास्त्रों की मानहानि का था जैसा जैनियों को, परन्तु उन्होंने बुद्धिमानी से काम लिया। जैनियों

की भाँति उन्होंने ग्रपने धर्म-शास्त्रों को नहीं छिपाया ग्रीर उनके छपने व छपाने में बाधक नहीं हुए। जैनियेां को महासभा ने बारम्बार यही प्रस्ताव पास किया कि छापा धर्म विरुद्ध है। इसका परि-गाम यह हुआ कि अब तक लोगों को यह प्रकट नहीं हुआ कि जैन-धर्म वास्तव में क्या है श्रीर कब से प्रारम्भ हुत्रा श्रीर इसकी शित्ता क्या है; कौन कौन से नीति ब्रीर नियम जैनियों को मान्य हैं तथा उनकी कानूनी पुस्तके वास्तव में क्या क्या हैं। रा० ब० बा० जुगमन्दर लाल जैनी बैरिस्टर-एट-ला भूत पूर्व चीफ जज हाई-कोर्ट इन्दौर ने प्रथम बार इस कठिनाई का अनुभव करके जैन-ला नामक एक पुस्तक सन् १ ८०८ ई० में तैयार की जिसके। स्वर्गीय क्रमार देवेन्द्रप्रसाद जैन चारा-निवासी ने १-६१६ ई० में प्रकाशित कराया। परन्तु यह भी सुयोग्य सम्पादक को ऋधिक ऋवकाश न मिलने एव जैन समाज के प्रमाद के कारण अपूर्ण ही रही श्रीर इसके विद्वान् रचयिता ने विद्यमान नीति-पुस्तकों में से कुछ के संयह करने और उनमें से एक के अनुवाद करने पर ही संतेष किया। किन्तु इसके पश्चातु उन्होंने जैन-मित्र-मण्डल देहली की प्रार्थना पर वर्धमान नीति तथा इन्द्र नन्दी जिन संहिता का भी अनुवाद कर दिया है । इन अनुवादों का उपयोग मैंने इस प्रन्थ में अपने इच्छानुसार किया है जिसके लिए अनुवादक महो-दय ने मुफ्ते मैत्री-भाव से सहर्ष श्राज्ञा प्रदान की। मगर तेा भी जैनियों ने कोई विशेष ध्यान इस विषय की ओर नहीं दिया। हाँ, सन् १-२२१ ई० में जब डाक्टर गौड़ का हिन्दू-कोड प्रकाशित हुत्रा श्रीर उसमें उन्होंने जैनियों काे धर्म-विमुख हिन्दू (Hindu dissenters) लिखा उस समय जैनियों ने उसका कुछ विरोध किया श्रीर जैन-लॉ कमेटी के नाम से ग्रॅंगरेज़ी-भाषा-विज्ञ वकीलों, शास्त्रज्ञ पण्डितों

ग्रीर ग्रनुभवी विद्वानों की एक समिति स्थापित हुई जिसने प्रारम्भ में अच्छा काम किया परन्तु अन्तत: अनेक कारणों, जैसे दृर देशा-न्तरों से सदस्यों की एकत्रता कष्टसाध्य होना इत्यादि, के उपस्थित होने से यह कमेटी भी अपने उद्देश्य को पूरान कर सकी । जब यह दशा जैन-समाज की वर्तमान समय में है ते। इसमें क्या ग्राश्चर्य है कि १⊂६७ ई० में कलकत्ता हाईकोर्ट ने जैनियेां पर हिन्दू-लॉ को लागू कर दिया (महावीरप्रसाद बनाम मुसम्मात कुन्दन कुँवर 🗅 वीक्वी रिपेार्टर पृ० ११६)। छोटेलाल व० छुन्नू-लाल (४ कलकत्ता पृ० ७४४); बचेवी व० मक्खनलाल (३ इलाहाबाद प्र० ५५); पैरिया अम्मानी ब० ऊष्णा स्वामी (१६ मदरास १८२) व मण्डित कुमार ब० फूलचन्द (२ कलकत्ता वी० नेट्सि पृ० १५४) ये सब मुक़दमे हिन्दू-ल⊺ के ब्रनुसार हुए ब्रीर गुलत निर्णेय हुए क्योंकि इनमें जैन रिवाज (नीति) प्रमाग्रित नहीं पाया गया श्रीर जो मुक़दमे सही भी फ़ैसल हुए* वह भी वास्तव में गुलत ही हुए । क्योंकि उनका निर्गय मुख्य जैन रिवाजों की आधी-* उदाहरणार्थ देखा---

शिवसिंह राय ब० दाखो १ इला० ६मम प्री० कौ०; अम्मावाई ब० गोविन्द २२ बम्बई २४७; लक्ष्मीचन्द बनाम गट्टोबाई म इला० ३११; नानक-चन्द गोलेचा ब० जगत सेठानी प्राण कुमारी बीबी १७ कलकत्ता ४१म; सेहिना शाह ब० दीपाशाह पञ्जाब रिकार्ड १६०२ न० १४; शम्भूनाथ ब० ज्ञान-चन्द १६ इला० २७१ (जिसका एक देश सही फ़ैसला हुआ); हरनाभ-चन्द १६ इला० २७१ (जिसका एक देश सही फ़ैसला हुआ); हरनाभ-चन्द १६ इला० २७१ (जिसका एक देश सही फ़ैसला हुआ); हरनाभ-प्रसाद ब० मण्डिलदास २७ कल० २७६; मनेहरलाल ब० बनारसीदास २१ इला० ४६४; अशरफी कुँअर ब० रूपचन्द २० इला० १६७; रूपचन्द ब० जम्बू प्रसाद २२ इला० २४७ प्री० कौ०; रूषभ ब० चुन्नीलाल अम्बूसेठ १६ वम्बई २४७; मु० सानेा ब० मु० इन्द्रानी बहू ७म इंडियन केसेज (नाग-पुर) ४६१; मौजीलाल ब० गोरी बहू सेकेण्ड अपील न० ४१६ (१म९७ नाग पुर जिसका हवाला इंडियन केसेज़ ७म के प्र० ४६१ में ई)। नता के साथ (यदि ऐसे कोई रिवाज हों) मिताचरा क़ानून से हुग्रा न कि जैन-लॉ के ग्रनुसार जैसा कि होना चाहिए था।

इन मुक़दमों के पश्चात् जो और मुक़दमे हुए उनमें भो प्रायः यही दशा रही । परन्तु तेा भो सरकार का उद्देश्य और न्याया-लयां का कर्तव्य यही है कि वह जैन-लॉ या जैन रिवाजों के अनुसार ही जैनियों के मुक़दमों का निर्शय करें । यह कोड इसी अभिलाषा से तय्यार किया गया है कि जैन-लॉ फिर स्वतन्त्रतापूर्वक एक बार प्रकाश में आकर कार्य में परिणत हो सके तथा जैनी अपने ही क़ानून के पाबन्द रहकर अपने धर्म का समुचित पालन कर सके ।

यह प्रश्न कि हिन्दू-लॉ की पाबन्दी में जैनियों का क्या बिग-ड़ता है उत्पन्न नहीं होता है न होना ही चाहिए*। इस प्रकार तेा

* इस बात के दिखाने के लिए कि यदि जैनी ग्रपने कानून की पावन्दी नहीं करने पायेंगे ता किस प्रकार की हानियाँ उपस्थित होंगी एक ही उदाहर ए पर्याप्त होगा। जैनियेां में पुत्र का श्रधिकार माता के श्राधीन रक्खा गया है जिसकी उपस्थित में वह विरसा (दाय) नहीं पाता है। स्त्री श्रपने पति की सम्पूर्श सम्पत्ति की पूर्श स्वामिनी होती है। वह स्वतन्त्र होती है कि उसे चाहे जिसका दे डाले । उसका कोई रोक नहीं सकता, सिवाय इसके कि उसको छे।टे बच्चों के पालन-पेषण का ध्यान अवश्य रखना होता है । इस उत्तम नियम का यह प्रभाव है कि पुत्र के। सदाचार, शील श्रीर श्राज्ञापालन में श्रादर्श बनना पड़ता है ताकि माता का उस पर प्रेम बना रहे । पुत्र का स्वतन्त्र स्वामित्व माता की उपस्थिति में देने का यह परिखाम होता है कि माता की श्राज्ञा निष्फल हो जाती है। जैनियें। में दोषियें। की संख्या कम होना जैसा कि ग्रन्य जातियां की श्रपेचा वर्तमान में है जैन-कानून बनानेवालों की बुद्धि-मत्ता का ज्वलन्त उदाहरण हैं। यदि जैनियेां पर वह कानून लागू किया जाता है जिसका प्रभाव माता की ज़बान को बंद कर देना या उसकी आज्ञा को निष्फल बना देना है तो ऐसी दशा में उनसे इतने उत्तम सदाचार की आशा नहीं की जासकती।

हम यह भी पूछ सकते हैं कि यदि मुसलमानें ग्रीर ईस्राइयों के मुक़दमे भी हिन्दू नीति के अनुसार फ़ैसल कर दिये जावें तेा क्या हानि है। इस प्रकार किसी ग्रन्य मत की नीति की पावन्दी से शायद कोई व्यक्ति सांसारिक विषयों में कोई विशेष हानि न दिखा सके । परन्तु स्वतन्त्रता के इच्छुकेां को स्वयं ही विदित है कि प्रत्येक रीति कम (system) एक ऐसे दृष्टिकोए पर निर्भर होता है कि जिसमें किसी दृसरी रीति क्रम (system) के प्रवेश कर देने से सामाजिक विचार और श्राचार की स्वतन्त्रता का नाश हेा जाता है और व्यर्थ हानि अथवा गढ़बड़ी के अतिरिक्त और कुछ प्राप्त नहीं होता । इतना कह देना भी यथेष्ट न होगा कि रिवाजों के रूप में ही जैन-नीति के उद्देश्यों का पूर्णतया पालन हे। सकता है श्रीर इसलिए त्रब तक जैसा होता रहा है वैसे ही होते रहने दे। क्योंकि प्रत्येक कानून का जाननेवाला जानता है कि किसी विशेष रिवाज का प्रमा-णित करना कितना कठिन कार्य है । सैकड़ों साची स्रीर उदाहरणों द्वारा इसके प्रमाणित करने की व्यावश्यकता होती है जो साधारण मुक़दमेवालों की शक्ति एव छोटे मुक़दमें की हैसियत से बाहर है। **ग्रौर फिर भी अन्याय का पूरा भय रहता है** जैसा कि एक से **अ**धिक त्रवसरों पर हो चुका है । समाज भी भयभीत दशा में रहता है कि नहीं मालूम मौखिक सात्तियों द्वारा प्रमाणित होनेवाले रिवाज-विशेष पर न्यायालय में क्या निर्णय हेा जाय । यदि कहीं फ़ैसला उलटा पलटा हो गया ते। अशांति श्रीर भी बढ़ जाती है, क्योंकि यह (निर्ग्यय) वास्तविक जाति रिवाज के प्रतिक्रूल हुन्न्रा । किसी साधारण मुक़दमे में अन्याय हो जाना यद्यपि देाषयुक्त है किन्तु उससे अधिक हानि की सम्भावना नहीं है क्येांकि उसका प्रभाव केवल विपचियेां पर ही पड़ता है। परन्तु साधारण रिवार्जा

के सम्बन्ध में ऐसा होने से उसका प्रभाव सर्व समाज पर पड़ता है । इसी प्रकार की श्रीर भी हानियाँ है जेा उसी समय दूर हो सकेंगी जब जैन-लॉ स्वतन्त्रता का प्राप्त हो जायगा ।

कुछ व्यक्तियों का विचार है कि जैन-धर्म हिन्द्र-धर्म की शाखा है। श्रीर जैन-नीति भी वही है जेा हिन्दुश्री की नीति है। यह लोग जैनियों को धर्म-विमुख हिन्दू (Hindu dissenters) मानते हैं । परन्तु वास्तविकता सर्वथा इसके विपरीत है । यह सत्य है कि हिन्दू-लॉ और जैन-लॉ में अधिक समानता है तेा भी यदि आयों का खतन्त्र क़ानून कोई हो सकता है ते। जैन-लॉ ही हो सकता है। कारण कि हिन्दू-धर्म जैन-धर्म का स्रोत किसी प्रकार से नहीं हो सकता वरन् इसके विरुद्ध जैन-धर्म हिन्दू-धर्म का सम्भवतः मूल हो सकता है। क्योंकि हिन्दू-धर्म श्रीर जैन-धर्म में ठीक वही सम्बन्ध पाया जाता है जो विज्ञान श्रीर काव्य-रचना में हुन्रा करता है। एक वैज्ञानिक है दूसरा अलङ्कारयुक्त । इसमें से पहिला कौन हो सकता है ग्रीर पिछला काैन इसका उत्तर टामस कारलाइल के कथनानुसार येां दिया जा सकता है कि विज्ञान (science) का सद्भाव काव्य-रचना (allegory) से पूर्व होता है। भावार्थ, पहिले विज्ञान होता है और पीछे काव्य रचना *।

जैनी लोग धर्म-विमुख हिन्दू (Hindu dissenters) नहों हो सकते हैं। जब एक धर्म दूसरे धर्म से प्रथक् होकर निक-

* देखा रचयिता की बनाई हुई निम्न पुस्तके ----

१ की आँफ़ नॉलेज (Key of Knowledge) २ प्रैं किटल पाथ (Practical Path), ३ कोनफ़्लोएन्स आफ ओपोज़िट् स (Confluence of Opposites ch. IX) और हिन्दू उदासीन साधु शङ्कराचार्य की रचित आत्मरामायग तथा हिन्दू पांण्डत के० नारायग आइर की रचित परमनेन्ट हिस्ट्री आफ भारतवर्ष (Permanent History of Bharatvarsha)।

लता है ते। उनके अधिकांश सिद्धान्त एक ही होते हैं। अन्तर केवल देा चार बातों का होता है । अब यदि हिन्दु मत को अलंकार-युक्त न मानकर जैन मत से उसकी तुलना करें तेा बहुत से अन्तर मिलते हैं। समानता केवल थोड़ी सी ही बातों में है, सिवाय डन बातेां के जो लौकिक व्यवहार से सम्बन्ध रखती हैं। यहाँ तक कि संस्कार भी जो एक से माऌ्म पड़ते हैं वास्तव में उद्देश्य की अपेत्ता भिन्न हैं यदि उन्हें ध्यानपूर्वक देखा जाय । जैनी जगत को अनादि मानते हैं; हिन्दू ईश्वर-क्वत । जैन मत में पूजा किसी श्रनादि निधन खयंसिद्ध परमात्मा की नहीं होती है वरन उन महान् पुरुषों की होती है जिन्होंने अपनी उद्देश्य सिद्धि प्राप्त कर ली है और खयं परमात्मा बन गये हैं । हिन्दू मत में जगत्-स्वामी जगत्-जनक एक ईश्वर की पूजा होती है। पूजा का भाव भी हिन्दू मत में वही नहीं है जे। जैन मत में है। जैन मत की पूजा आदर्श पूजा (idealatory) है। उसमें देवता को भोग लगाना आदि कियाएँ नहीं होती हैं, न देवता से कोई प्रार्थना की जाती है कि हमको श्रमुक वस्तु प्रदान करो । हिन्दू मत में देवता के प्रसन्न करने से अर्थ-सिद्धि मानी गई है। शास्त्रों के सम्बन्ध में तेा जैन-धर्म श्रीर हिन्दू-धर्म में आकाश पाताल का अन्तर है। हिन्दुओं का एक भी शास्त्र जैनियों को मान्य नहीं है और न हिन्दू ही जैनियें को किसी शास्त्र को मानते हैं। लेख भी शास्त्रों के विभिन्न हैं। चारों वेद और ग्रठारह पुरागों का जेा हिन्दू मत में प्रचलित हैं कोई ऋंश भी जैन मत के शास्त्रों में सम्मिलित नहीं है, न जैन मत के पूज्य शास्त्रों का कोई श्रंग स्पष्ट अथवा प्रकट रीति से हिन्दू शास्त्रों में पाया जाता है। जिन क्रियाओं में हिन्दू और जैनियों की समा-नता पाई जाती है वह केवल सामाजिक क्रिया है । उनका भाव

भी जहाँ कहीं वह धार्मिक सम्बन्ध रखता है एक दूसरे के विपरीत है। साधारग सभ्यता सम्बन्धो समानता विविध जातियों में जो एक साथ रहती सहती चली आई हैं, हुआ ही करती है। मुख्यतः ऐसी दशा में जब कि उनमें विवाहादिक सम्बन्ध भी होते रहें जैसे हिन्दू श्रीर जैनियां में होते रहे हैं। कुछ सामाजिक व्यवहार जैनियो, हिन्दुओं और मुसलमान इत्यादि में एक से पाये जाते हैं। परंन्तु इनका कोई मुख्य प्रभाव धर्म-सम्बन्धो विषयों पर नहीं होता है। इसके अतिरिक्तराजाओं और बड़े पुरुषों की देखा देखी भी बहुत सी बातें एक जाति की दूसरी जाति में लेली जाती हैं। त्रापत्ति-काल में धर्म श्रीर प्राखरत्ता के निमित्त भी धार्मिक कियाश्रों में बहुत कुछ परिवर्तन करना पड़ता है । गत समय में भारतवर्ष में हिन्दुओं ने जैनियों पर बहुत से ग्रत्याचार किये । जैन श्रावकों ग्रीर साधुग्रों को घेार दु:ख पहुँचाये ग्रीर उनका प्राग्रधात तक किया। ऐसी दशा में जैनियों ने अपने रत्तार्ध ब्राह्मणीय लोभ की शरण ली छीर सामाजिक विषयों में ब्राह्मणों का पूजा पाठ के निमित्त बुलाना त्रारम्भ किया³ । यह रिवाज ग्रभी तक प्रचलित है ग्रीर ग्रब

१ स्वयं भद्रवाहु संहिता के एक दूसरे अप्रकाशित भाग का निम्न श्लोक इस विषय को स्पष्टतया दर्शाता है---

जँ किंचिव उप्पादम् अण्णं विग्धं च तत्थणासेई।

दक्खिण देज सुवण्णं गावी भूमिङ विष्प देवाणं ॥४॥ ११२ ।

भावार्थ---जेा कोई भी श्रापत्ति या कष्ट श्रा पड़े तेा उस समय ब्राह्मण देवतात्रों केा सुवर्ण, गऊ श्रीर पृथ्वी दान देना चाहिए। इस प्रकार उसकी शांति हो जाती है।

नेाट—जैनियेां पर हिन्दुओं के घ्रस्याचार का वर्णन बहुत स्थानों पर श्राया है। निम्नांकित बेख एक हिन्दू मन्दिर के संभ पर है जेा हिन्दु घा की जैनियेां के प्रति गत समय की स्पर्धा त्रीर ग्रन्याय का उवलन्त उदाहरण है (देखेा

२

भी विवाहादिक संस्कारों में त्राह्यणों से काम लेते हैं। परन्तु धर्म सम्बन्धो विषय नितान्त पृथक हैं। उनसे कोई प्रयोजन नहीं है। श्रनभिज्ञ तथा अर्ध विज्ञ पुरुषों ने आरम्भ में जैन-धर्म को बौद्ध-धर्म की शाखा समभ्क लिया था किन्तु अब इस अम में कदाचित् ही कोई पड़ता हो। अब इसको हिन्दू मत की शाखा सिद्ध करने को कुछ बुद्धिमान् उतारू हुए हैं। सो यह अम भी जब उच्च कोटि के बुद्धि-मान इस ओर ध्यान देंगे शीघ दूर हो जायगा।

नीति के सम्बन्ध में भी जैनियों और हिन्दुओं में बड़े बड़े अन्तर हैं। जैनियों में दत्तक पारलैकिक सुख प्राप्त करने के उद्देश्य से नहों लिया जातारे। पुत्र के होने न होने से कोई मनुष्य पुण्य Studies in South Indian Jainism part II pages 34-35):-''सरसैलम के स्तम्भ-लेख सम्बन्धी विवरण से स्पष्टतया प्रकट है कि हिन्दुओं ने जैनियेां पर किस किस प्रकार अन्याय किये जिससे उस देश में अन्ततः जैन-धर्म का ग्रन्त हो गया। यह स्तम्भ-लेख वास्तव में शिवोपासक हिन्दुओं का ही है। संस्कृत भाषा में मलिख अर्जन के मन्दिर के मण्डप के दायें और बायें तरफ़ स्तम्भों पर यह एक लम्बा लेख है जिसमें उल्लिखित है कि सं० १४३३ प्रजोत्पत्ति माघ बदी १४ सामवार के दिन सन्त के पुत्र राजा लिङ्ग ने, जो भक्तयोन्मत्त शिवोपासक था, सरसैलम के मन्दिर में बहुत सी भेंट चढ़ाई। इसमें इस राजा का यह कार्य भी सराहा गया है कि उसने कतिपय श्वेताम्बर जैनियों के सिर काटे। यह लेख देा प्रकार से विचारणीय है। प्रथम यह कि इससे प्रकट होता है कि अंध्र देश में ईसा की ग्यारहवीं शताब्दि के प्रथम चतुर्धं भाग में शिवमतानुयायी जैनियेां के साथ शत्रुता रखते थे। यह शत्रुता सोलहवीं शताब्दि के प्रथम चतुर्थ भाग तक जानी दुरमनी बन गई। द्वितीय यह कि दत्तिग भारत में श्वेताम्बर सम्प्रदाय के। भी वहाँ के शिवोपासक लोग ऐसा सम्प्रदाय समझते थे जिसका अंत कर देना शैवों का ग्रभीष्ट था।"

(२) देखेा शिवकुमार बाई ब॰ जीवराज २४ कळ॰ वी॰ नेाट्स २७३, मानकचन्द बनाम मुन्नाळाळ १४ पञ्जाब रेकार्ड १६०१-४ इंडियन केसेज़ ८४४; वर्धमाननीति २८। पाप का भागी नहीं होता^३। बहुत से तीर्थङ्कर पुत्रवान् न होकर भी परम पूज्य पद को प्राप्त हुए। इसको विपरीत बहुत से मनुष्य पुत्रवान होते हुए भी नरकगामी होते हैं। न तो जैन-धर्म का यह उपदेश है न हो सकता है कि कोई अपनी क्रियाग्रेां या दानादि से किसी मृतक जीव को लाभ पहुँचा सकता है । पिण्डदान का शब्द जहाँ कहीं जैन नीति-शास्त्रों में मिलता है उसका वही अर्थ नहीं है जे। हिन्दुओं के शास्त्रों में पाया जाता है कि पितरें। के लाभार्थ पिण्ड देना। ऐसा प्रतीत होता है कि जैनियों ने यह राब्द ग्रत्या-चार के समय में ब्राह्मण जाति के प्रसन्नार्थ अपनी कुछ कान्नी पुस्तकों में बढ़ा लिया। जैन-लॉ में पिण्डदान का ऋर्ध शब्दार्ध में लगाना होगा। जैसे सपिण्ड का अर्थ शारीरिक अथवा शरीर सम्बन्धी है उसी प्रकार पिण्डदान का ऋर्ध पिण्ड का प्रदान करना, अथवा वीर्य-दान करना, भावार्थ पुत्रोत्पत्ति करना है जिसके द्वारा पिण्ड अर्थात् शरीर की उत्पत्ति होती है। जैन-सिद्धान्त के अनुसार पिण्डदान का इसके अतिरिक्त और कोई ठीक अर्थ नहीं हो सकता है। यह ध्यान देने योग्य है कि अर्हत्रोति में जेा श्वेताम्बर सम्प्रदाय का एक मात्र नीति-सम्बन्धी प्रन्थ है पिण्डदान का उल्लेख कहीं भी नहीं आया है।

खियों के अधिकारों के विषय में भी जैन-लॉ और हिन्दू-लॉ में 'बहुत बड़ा अन्तर है। जैन-लॉ के अनुसार खियाँ दाय भाग की पूर्णतया अधिकारिग्री होती हैं। हिन्दू-लॉ में उनको केवल जीवन पर्यं त (life estate) अधिकार मिलता है। सम्पत्ति का पूर्ण स्वामित्व हिन्दू-लॉ के अनुसार पुरुषों ही को मिलता है। पत्नी . पूर्णितया अर्घोङ्गिनी के रूप में जैन-लॉ में ही पाई जाती है। पुत्र

(३) भदवाहु सं० म-- १।

भी उसके समच कोई अधिकार नहीं रखता है। जैन-लॉ में लड़का केवल वाबा (पितामह) की संपत्ति में ब्रधिकारी है। पिता की निजी स्थावर सम्पत्ति में उसको केवल गुज़ारे का अधिकार प्राप्त है । और अपने जङ्गम द्रव्य का पिता पृर्ग्य अधिकारी है चाहे जिस प्रकार व्यय करें । इसके अतिरिक्त हिन्दू-लॉ में अविभाजित दशा की प्रशंसा की गई है। जैन-लॉ में उसका निषेध न करते हुए भी पृथकुता का आप्रह है ताकि धर्म की वृद्धि हो। जैन-लॉ में अविभाजित सम्पत्ति भी सामुदायिक द्रव्य (tenancy in common) के रूप में है न कि मिताचरा के अनुसार अविभक्त सम्पत्ति (joint estate) के तीर पर । यदि कोई पुत्र धर्मभ्रष्ट एवं दुष्ट वा ढीठ है श्रीर किसी तरह से न माने तेा जैन नीति के अनुसार उसको घर से निकाल देने की आज्ञा है परन्तु हिन्दू-लॉ के अनुसार ऐसा नहीं हे। सकता । इसी प्रकार के अन्य भेदात्मक विषय हैं जे। हिन्दू-लाँ और जैन-लाँ के **ग्रवलोकन से स्वय**ं ज्ञात हो जाते हैं। इसलिए यह कहना कि जैन-धर्म हिन्दू-धर्म की शाखा है श्रीर जैन-लॉ, हिन्दू-लॉ समान हैं. नितान्त मिथ्या है।

त्रान्तिम सङ्कलित भाग में मैंने वह निवन्ध जोड़ दिया है जो डा० गैोड़ के हिन्दू-कोड के सम्बन्ध में लिखा था। परन्तु उसमें से वह भाग छोड़ दिया है जिसका वर्तमान विषय से कोई सम्बन्ध नहीं है। तथा उसमें कुछ ऐसे विशेष नेाट वढ़ा दिये गये हैं जिनसे इस बात का एंतिहासिक ढंग से पता लगता है कि जैनियों पर हिन्दू-लॉ को लागू करने का नियम कैसे स्थापित किया गया।

अन्ततः मैं उन विनयोन्मत्त धर्मप्रेमियों से जेा अभी तक शास्त्रों के छपाने का विरोध करते चले आते हैं अनुरोध करूँगा कि अब वह समय नहीं रद्दा है कि एक दिन भी और हम अपने शास्त्रों को छिपाये रहें। यदि उनको शास्त्र सभा के शास्त्र को मन्दिर से ले जाकर न्यायालयों में प्रविष्ट करना रुचिकर नहीं है (जिसको मैं भी अनुचित समभता हूँ) तेा उनको अपने शास्त्रों को छपवाना चाहिए ताकि छापे की प्रतियों का अन्य प्रत्येक स्थान पर प्रयोग किया जा सके, और जैन-धर्म, जैन-इतिहास और जैन-लॉ के संबंध में जेा किंबद तियाँ संसार में फैल रही हैं दूर हो सके ।

लन्दन	चम्पतराय जैन,
२४-६-२६	∫ 🔰 वैरिस्टर-एट-ला, विद्यावारिधि ।

जैन-लॉ

प्रथम भाग

प्रथम परिच्छेद

दत्तक विधि और पुत्र-विभाग

यों कहने को लोग बहुत प्रकार के सम्बन्धियों को पुत्र (१) शब्द से सम्बोधित कर देते हैं। परन्तु कृानून के अनुसार पुत्र दो ही प्रकार के माने गये हैं (१) एक औरस (२) दूसरा दत्तक (२)। औरस पुत्र विवाहिता स्त्री से उत्पन्न हुए को, और दत्तक जो गोद लिया हेा उसे कहते हैं। सर्वे पुत्रों में औरस और दत्तक ही मुख्य पुत्र गिने गये हैं। गौषा पुत्र जब गोद लिये जाबें तभी पुत्रों की भाँति दायाद हो सकते हैं अन्यथा अपने वास्तविक सम्बन्ध से

(१) जैसे सहेादर (लघु आता), पुत्र का पुत्र, पाला हुआ बचा इत्यादि (देखो भद्रवाहु संहिता म०-म३; वर्धभान नीति २-४; इन्द्र जि० सं० ३२-३४; ग्रह ० ६६-७३; त्रिवर्णाचार १। १; नीतिवाक्यामृत अध्याय ३१)। इनमें कहीं कहीं विरोध भी पाया जाता है जेा अनुमानतः क़ानून को काव्य अर्थात् पद्य में जिखने के कारण हो। गया है। क्योंकि काव्य-रचना क़ानून लिखने के लिए उचित रीति नहीं है।

(२) देखो उपयुंक्त प्रमाख नं० १।

यदि वह अधिकारी हैं। ते। दायाद होते हैं जैसे लघु आता। औरस और दत्तक देानें। ही सपिण्ड गिने जाते हैं और इसलिए पिण्डदान करनेवाले अर्थात् वंश चलानेवाले माने गये हैं। शेष पुत्र यदि अपने वास्तविक सम्बन्ध से सपिण्ड हैं ते। सपिण्ड हेंगे अन्यथा नहीं।

दत्तक पुत्र में वह पुत्र भी सम्मिलित है जो क्रीत कहलाता है जिसका अर्थ यह है कि जेा मेल लेकर गोद लिया गया हो। जिस शास्त (३) में क्रीत को अनधिकारी माना है वहाँ तात्पर्य केवल मेल लिये हुए वालक से है जेा गोद नहीं लिया गया हो। नीतिवाक्यामृत (४) में जा पुत्र गुप्त रीति से उत्पन्न हुआ हो। त्राविवाक्यामृत (४) में जा पुत्र गुप्त रीति से उत्पन्न हुआ हो। अथवा जा फेंका हुआ हो वह भी अधिकारी तथा पिण्डदान के योग्य (कुल के चलानेवाले) माने गये हैं, परन्तु वास्तव में वे औरस पुत्र ही हैं। किसी कारण से उनकी उत्पत्ति को छिपाया गया या जन्म के पश्चात् किसी हेतु विशेष से उनकी पृथक् कर दिया गया था।

(३) नी० वा० अध्याय २१। (8), " (१) भद्र० संहि० ३८, ग्रह ० १००।

१⊂२) परन्तु त्रब इसका कुछ व्यवहार नहीं है (देखां गैाड़ का हिन्दू कोड द्वितीयावृत्ति पृ० ३२४)। यदि कोई व्यक्ति बिना गोद लिए मर जाय तेा दूसरे भाई का पुत्र उस मृतक के पुत्र की भाँति अधिकारी होगा।

यदि किसी पुरुष के एक से अधिक ख़ियाँ हों और उनमें से किसी एक के पुत्र हो तो वह सब ख़ियाँ पुत्रवती समभ्ती जावेंगी (६)। उनको गोद लेने का अधिकार नहीं होगा (७)। क्योंकि ख़ियाँ अपने निमित्त गेदि नहीं ले सकती हैं केवल अपने मृतक पति के ही लिए ले सकती हैं। और केवल उसी दशा में जब कि वह मृतक पुत्रवान न हो। वह एक खी का लड़का उन सबके धन का अधिकारी होगा (७)।

कौन गोद ले सकता है

औरस पुत्र यदि न हो (⊂) या मर गया हो (순) तेा पुरुष ऋपने निमित्त गेाद ले सकता है (१०) या ध्रीरस पुत्र को उसके दुराचार के कारण निकाल दिया हो श्रीर पुत्रत्व तेाड़ दिया गया हेा तेा भी गोद लिया जा सकता है (११)।

```
(६) भद्र ० संहि० ३६; ग्रह ० ६८।
(७) " " ४०; " ६८।
(८) " " ४१; " ८८—८६; वर्घ ० ३१—२४।
(१) " " ४१; व० नी० २४।
(१०) " " ४१; ग्रह ० ८८—८६; व० नी० २४।
(११) ग्र० नी० ८८
```

दिया गया हो तो भी उसके बजाय दृसरा लड़का गेाद लिया जा सकता है (१२)।

यदि पति मर गया हो तो विधवा भी गोद ले सकती है (१३)। विधवा को अनुमति की आवश्यकर्ता नहीं है (१४)। यदि देंा विधवा हों ते। बड़ी विधवा को छोटी विधवा की अनुमति के बिना गोद लेने का अधिकार प्राप्त है (१४)। सास बहू दोनें विधवा हों ते। विधवा बहू गोद ले सकती है (१६)। बशते कि दाय बहू ने पाया हो जो उसी दशा में सम्भव है जब पुत्र पिता के पश्चात् मरा हो। अभिप्राय यह है कि जायदाद जिसने पाई है वही गोद लं सकता है। जिसने जायदाद विरसे में नहीं पाई है वह गोद लेकर वारिस जायज़ को वरसे से महरूम नहीं कर सकता। विधवा बहू सास की आज्ञा से गेद लेवे (१७)। परन्तु यह भी उपदेश मात्र है न कि लाज़मी शर्त्त मालूम पड़ती है सिवाय उस अवस्था के जब कि सास जाथदाद की अधिकारिग्री है। ऐसी दशा में उसकी अनुमति का यही अभिप्राय होगा कि उसने विरसे से हाथ खींच लिया और दत्तक पुत्र वह जायदाद पावेगा। दत्तक

(१२) वर्ध० २८; अह ० ८८-८१।

(१३) " २८व३०; " ४७ व १३२; मद्र० ७४ ।

(१४) अशरफ़ी कुँवर ब० रूपचन्द, ३० इठाहाबाद १६७। शिवकुमार ब० ज्योराज २४ कछ० वीकली नेाट्स २७३ P.C.। ज्योराज बनाम शिवकुँवर इं० केसेज़ ६६ ट० ६४। मानक चन्द ब० सुन्नालाल, १४ पञ्जाब रिकार्ड १६०६ ई० = ४ इं० के० ८४४। मनेाहरलाल ब० बनारसी दास २६ इला० ४६४।

(१४) अशरफ़ी कुँवर ब० रूपचन्द ३० इलाहाबाद १६७; अमावा ब० महदगौडा२२ वम्बई ४१६।

(१६) भद्र ०७४; ग्रह[°]० ११०। (१७) भद्र० ११६।

पुत्र के स्रविवाहित मर जाने पर उसके लिए कोई पुत्र गेाद नहीं ले सकता है (१८)। उसकी विधवा माता उसका धन जामाता को दे दे वा बिरादरी के भोजन वा धर्म-कार्य में स्वेच्छानुसार लगात्रे (१ -)। ग्रामिप्राय यह है कि उसके विरसे की ग्राधिका-रिग्री उसकी विधवा माता ही होगी जे। सम्पूर्ण अधिकार से उसको पावेगी । वह विधवा अपने निमित्त दुसरा पुत्र भी गोद ले सकती है (२०) ग्रर्थात् ग्रपने पति के लिए (२१) उस मृतक पुत्र के लिए नहीं ले सकती है। एक मुक़दमे में, जिस का निर्णय हिन्दू-लॉ के ऋनुसार हुन्रा, जैन विधवा का पहिले दत्तक पुत्र के मर जाने पर दूसरा पुत्र गोद लेने का ऋधिकार ठीक माना गया (२२)। दत्तक लेने की सब वर्गों के। ग्राज्ञा है (२३)। बम्बई प्रान्त के एक मुकदमे में जिसका निर्णय रिवाज के अनुसार सन् १८-६६ ई० में हुन्रा जिसमें पिता की जीवन ग्रवस्था में पुत्र के मर जाने से सर्व सम्पत्ति उस मृतक पुत्र की विधवात्र्यों ने पाई, परन्तु बड़ी विधवा ने पुत्र गोद ले लिया. इसे न्यायालय ने उचित ठहराया यद्यपि छोटी विधवा की बिना सम्मति यह कार्य हुग्रा था (२४) !

(3 =) सद्द० ४६; ग्रह[°]० १२१--- १२२ व १२४; वर्घ[°]० ३०--- ३२। (१९) सद्द० ४=; ग्रह[°]० १२३; वर्घ[°]० ३३---- ३४।

(२०) वर्ध ०३४ और देखो प्रिया ग्रम्मानी ब० कृष्णस्वामी १६ मद-रास १८२।

- (२१) इयं हु० १२४।
- (२२) लक्ष्मीचन्द व० गटुवाई म इला० ३११।
- (२३) ग्रह्० मध।

(२४) ग्रमावा ब० महद गोडा २२ बम्बई ४१६ और देखो अशरफ़ी कुँग्रर ब० रूपचन्द ३० इला० १६७।

कैान दत्तक हेा सकता है

जिसके कारण मनुष्य सपुत्र कहलाता है अर्थात् प्रथम पुत्र गोद नहीं देना चाहिए (२५) क्येंकि प्रथम पुत्र से ही पुरुष पुत्रवाला (पिता) कहा जाता है (२६)। संसार में पुत्र का होना बड़ा त्रानन्ददायक समफा गया है (२७)। पुण्यात्माओं के ही बहुत से पुत्र होते हैं जो सब मिलकर अपने पिता की सेवा करते हैं (२८)। हिन्दू-लॉ की भाँति अनुमानतः यह मनाही आवश्यकीय नहीं है और रिवाज भी इसके अनुसार नहीं है (२६)।

लड़का गोद लेनेवाली माता की उम्र से बड़ी उम्र का नहीं होना चाहिए (३०)। कोई बन्धन कुँग्रारेपन की जैन-लॉ में नहीं है (३१)।

देवर, पति के भाई का पुत्र, पति के क़ुटुम्ब का बालक (३२), पुत्री का पुत्र (३३) गेाद लिये जा सकते हैं। परन्तु उक्त क्रम की भ्रपेचा से गेाद लेना श्रेष्ठतर होगा (३४)। इनके अभाव में पति

(२४) श्रहे० ३२।
(२६) भद्र० ७।
(२७) भद्र० ९, ग्रहे० १२।
(२८) गौड़ का हिन्दू कोड द्वितीयावृत्ति ३८२।
(२६) गौड़ का हिन्दू कोड द्वितीयावृत्ति ३८२।
(२६) भद्र० ९९६ मगर देखो मानकचन्द ब० मुन्नालाल ६४ पंजा० रेकार्ड ९६०६ = ४ इंडियन केसेज़ ८४४।
(३१) इन्द्र० ९६।
(३२) इन्द्र० ९६ मगर देखो मानकचन्द ब० मुन्नालाल ६४ पजाब रे० ९६०६ = ४ इ० के० ८४४ (निस्वत देवर के गोद लेने के)।
(३६) होमाबाई ब० पंजियाबबाई ४ वी० रि० ९०२ प्री० कैॉ॰;
शिवसिंहराय ब० दाखो ९ इला० ६८४ प्रा० कौं०।
(३४) अर्हन्नीति ४४—४६।

के गोत्र का कोई भी खड़का गोद लिया जा सकता है (३४)। बड़ी आयु का, विवाहित पुरुष तथा संतानवाला भी गोद लिया जा सकता है (३४)। लड़की और बहिन के पुत्र को भी गंद लेने की आज्ञा है (३६)।

गेाद लेने की विधि

वास्तव में गोद में देना आवश्यक है (३७) परन्तु यदि वह झस-म्भव हो ते किसी अन्य प्रकार से देना भी यथष्ट होगा (३८)। किन्तु दे देना आवश्यक है (३६)। इसका लेख भी यथासम्भव होना चाहिए और रजिस्टरी होना चाहिए। प्रातःकाल दत्तक लेनेवाला पिता मन्दिर में जाकर द्वारोद्घाटन करके श्रीतीर्थंकरदेव की पूजा करे और दिन में कुटुम्ब एवं विरादरी के लोगों को इकट्ठा करके उनके सामने पुत्र-जन्म का उत्सव मनावे और सब आवश्यक संस्कार पुत्र-जन्म की भाँति करे। इससे प्रकट होता है कि श्रीतीर्थंकरदेव की पूजा और वास्तव में गोद में दे देना अत्यन्त आवश्यक बाते हैं। परन्तु रिवाज के अनुसार यदि वास्तव में गोद में दे दिया गया है ते।

(३४) हसन अली ब० नागामळ १ इला० २८८ । मानकचन्द ब० मुन्नालाल ६४ पञ्जाब रे० ११०६ = ४ इंडियन केसेज़ ८४४; मनेाहरलाल ब० बनारसीदास २६ इला० ४६४; अशरफी कुँवर ब० रूपचन्द ३० इला० १६७; जमनाबाई ब० जवाहरमल ४६ इंडि० के० ८१ ।

(३६) लक्ष्मीचन्द ब० गष्टो० म इला० ३९६; इसन अर्ला ब० नागामल १ इला० २मम ।

(३८) शिव कुँवर ब॰ जीवराज २४ कळ० वी॰ नेग० २७३ प्री० कौं०। (३१) ,, ,, ,, ,, ,, ,, जमनाबाई ब॰ जुहारमल ४६ इंडि० के॰ ८१; जीवराज ब॰ शिवकुँवर ६६ इंडि० के॰ ६४। वह भी अनुमानतः यथेष्ट माना जाय। हिन्दू-लॉ के अनुसार पुत्र के माता पिता के अतिरिक्त और कोई उसका सम्बन्धी गेाद नहीं दे सकता। परन्तु जैन-लॉ में ऐसा कोई प्रतिबन्धक नियम नहीं है। जैन-नीति के अनुकूल अनाथ भी गेाद लिया जा सकता है (४०)। यदि पुत्र वयस्प्राप्त (बालिग़) हो ते। उसकी सम्मति वा छोटी अवस्था में उसके किसी सम्बन्धी की सम्मति भी पर्याप्त होगी (४१)। यदि माता और कुदुम्बी जन सहमत हैं। ते। पुत्र गेाद दिया जा सकता है (४२)।

जब कोई विधवा गोद ले तेा उस विधवा को चाहिए कि सर्व सम्पति का भार अपने दत्तक पुत्र को सैांप दे ब्रीर स्वयं धर्म-कार्य में संलग्न हो जाय (४३)।

दत्तक पुत्र लेने का परिणाम

दत्तक पुत्र औरस पुत्र के समान ही होता है (४४)। माता षिता के जीवन पर्यन्त दत्तक पुत्र के। कोई अधिकार उनकी और पैतामहिक (मौरूसी अर्थात् वाबा की) सम्पत्ति को बेचने वा गिरवी रखने का नहीं है (४४)।

यदि दत्तक पुत्र अयोग्य (कुचलन) हो या सदाचार के नियमों के विरुद्ध कार्य करने लगे या धर्म-विरुद्ध हो जाय और किसी प्रकार न माने, तो डसे न्यायालय द्वारा चाहे वह विवाहित हो

(४०) गौड़ का हिन्दू केड द्वि० वृ० ३६७। पुरुषोत्तम व० बेनीचन्द २३ बम्बई लॉ रिपोर्टर २२७ = ६१ इंडि० के० ४६२।

(४१) मानकचन्द ब० मुन्नालाल २४ पञ्जाव रे० ११०१= ४ इंडि० के० ८४४ ।

(४२) अशरफी कुँअर ब० रूपचन्द ३० इला० ११७। (४३) भद्र० १४ और ६६। (४४) अर्ह० १८। (४१) भद्र० ६०। अथवा अविवाहित हो घर से निकाल दे और न्यायालय के द्वारा उससे पुत्रत्व सम्बन्ध छोड़ दे (४६)। फिर उसका कोई अधि-कार शेष नहीं रहेगा (४७)। इससे यह प्रकट है कि जैन-लॉ में पुत्रत्व तेाड़ाने का (declaratory*) मुक़दमा हो सकता है। उस मुक़दमे का फ़ैसला करते समय प्राकृतिक न्याय को लत्त्य रक्खा जायगा। अर्हत्रीति के शब्द इस विषय में इतने विशाल हैं कि उसमें औरस पुत्र भी थ्या जाता है (४८)।

यदि दत्तक पुत्र माता पिता की प्रेमपूर्वक सेवा करता है और उनका आज्ञाकारी है तेा वह औरस के समतुल्य ही समभ्का जायगा (४-६)।

यदि दत्तक लेने के पश्चात् औरस पुत्र उत्पन्न हो जाय ते। दत्तक को चतुर्थ भाग सम्पत्ति का देकर पृथक् कर देना चाहिए (५०)।

परन्तु यह नियम तब ही लागू होगा जब वह पुत्र पिता की सवर्षा स्त्रो से उत्पन्न हो। असवर्षा स्त्रो की सन्तान केवल गुज़ारे को अधिकारी है दाय भाग की अधिकारी नहीं है (११)। परन्तु यह विषय कुछ अस्पष्ट है क्योंकि अनुमानतः यहाँ असवर्षा शब्द का अर्थ शूद्रा स्त्रो का है। क्योंकि जैन नीति में उच्च जाति के पुरुष की संतान, जेा शूद्र स्त्री से हो, गुज़ारे मात्र की अधिकारी

है। अनुमानतः रचयिता के विचार में केवल यह विषय था कि वैश्य पिता के एक वैश्य वर्ष और दूसरी शूद्र वर्ष की ऐसी दो छियाँ हों और दत्तक लेने के पश्चात् उस पिता के पुत्र उत्पन्न हो जाय तो यदि यह पुत्र वैश्य खो से उत्पन्न हुआ है ते। दत्तक पुत्र को सम्पत्ति का चतुर्थ भाग दिया जायगा और शेष औरस पुत्र लेगा, परन्तु यदि पुत्र शूद्रा स्त्रो से उत्पन्न हुआ है ते। वह दत्तक पुत्र को अनधिकारी नहीं कर सकेगा केवल गुज़ारा पावेगा जे। उसे जैन-लॉ के अनुसार प्रत्येक दशा में मिलता ।

पगड़ी वाँधने के योग्य औरस पुत्र ही होता है (५२)। परन्तु यदि औरस पुत्र के उत्पन्न होने से प्रथम ही दत्ताक पुत्र के पगड़ी बाँध दी गई है तेा औरस पुत्र के पगड़ी नहीं बँधेगी, किन्तु दोनेंा समान भाग के अधिकारी होंगे (५२)।

त्रीरस तथा दत्तक दोनें ही प्रकार के पुत्र यदि माता की आज्ञा के पालन में तत्पर, विनीत एव अन्य प्रकार गुग्रवान हों और विद्योपार्जन में संलग्न रहें तो भी वे साधारग्र कुल-व्यवहार के अति-रिक्त कोई विशेष कार्य माता की इच्छा तथा सम्मति के विना नहीं कर सकते (५३) । यह नियम पुत्र की नाबालग़ी के सन्बन्ध में लागू हे ता मालूम पड़ता है अथवा डस सम्पत्ति से लागू है जेा माता को दाय भाग में मिली है जिसके प्रबन्ध करने में पुत्र स्वतन्त्र नहीं है । अन्य अवस्थाओं में यह नियम परामर्श तुल्य ही है (५४) ।

(४२) भद्र० ६३-- १४; वर्घ ० ४- ६; ग्रह ० ६७- ६८ । (२३) वर्ध ० १८—१६; अर्ह० ८३—८४। (१४) ग्रह ० १०४।

द्वितीय परिच्छेद

विवाह

पुरुष को ऐसी कन्या से विवाह करना चाहिए जो उसके गेत्र की न हो वरन किसी अन्य गेत्र की हो परन्तु उस पुरुष की जाति की हो और जो आरोग्य, विद्यावती, शीलवती हो और उत्तम गुग्रों से सम्पन्न हो (१)। वर भी बुद्धिमान, आरोग्य, उच्च कुलीन, रूप-वान और सदाचारी होना चाहिए (२)। जिस कन्या की जन्मराशि पति की जन्मराशि से छठी या आठवीं न पड़ती हो ऐसी कन्या वरने योग्य है (३)। उसको पति के वर्ग्य से विभिन्न वर्ग्य की नहीं होना चाहिए (४)। कन्या रूपवती हो तथा आयु और डीलडौल में वर से न्यून हो (४)। परन्तु यद्य कोई आवश्यक नियम नहीं है। गोत्र के विषय में नियम प्रतिबन्धक (लाज़िमी) है (५)! बुत्रा की लड़की, मामा की लड़की और साली के साथ विवाह करने में देाप नहीं है (६)। परन्तु ऐसा बहुत कम होता है और इस विषय में स्थानीय रिवाज का ध्यान रखना होगा (७)।

(१) त्रें	वर्णाचार	ग्रध्याय	१९ श्लोक	३।
(२)	"	"	",	81
(३)	",	,,	,,	341
(8)	,,	",	,,	३६, ४० ।
(*)	*•	",	,,	३८, १७४।
(६)	,,	,,	",	३७ ।
(ه)	,,	,,	११—३७;	सामदेव नीति (देश काळापेचो
मातुळ सम्बन	धः)।			
3				

मैोसी की लड़की अथवा सासू की बहिन से विवाह करना मना है (⊂)। गुरु की पुत्री से भो विवाइ अनुचित है (-)। यदि विवाह का इकरार हो चुका है और लड़की के पच्चवाले उस पर कार्यवद्ध न रहें तेा वह हर्जा देने के ज़िम्मेदार हैं (१०)। यही नियम दूसरे पच्चवालों पर भो अनुमानतः लागू होगा। परन्तु अब इन विषयों का निर्णय अचलित क़ानून अर्थात् ऐक्ट मुआहिदे (दि इन्डियन कैान्ट्रेक्ट ऐक्ट) के अनुसार किया जायगा। यदि विवाह के पूर्व कन्या का देवलोक हो जाय तेा ख़र्चा काटकर जो कुछ उसको ससुराल से मिला था (गहना आदि) लीटा देना चाहिए (११)। और जो उसे अपने माइके या ननिहाल से मिला हो वह उसके सहोदर भाइयों के दे देना चाहिए (११)।

जैन-नीति के अनुसार उच्च वर्श्यवाला पुरुष नोच वर्श की कन्या से विवाह कर सकता है (१२)। परन्तु शूद्र स्त्री से किसी उच्च वर्श्यवाले पुरुष की जो सन्तान होगी ते। वह सन्तान पिता की सम्पत्ति नहीं पावेगी (१३)। केवल गुज़ारे मात्र की अधिकारी होगी (१४)। अधवा वही सम्पत्ति पावेगी जो उनके पिता ने अपनो जीवना-वस्था में उन्हें प्रदान कर दी हो (१४)। शूद्र पुरुष को केवल

भ्रपने वर्षे में अर्थात् शूद्र स्त्रो से विवाइ करने का अधिकार है (१६)। श्रीभ्रादिपुराख में ऐसा नियम दिया हुआ है----''शूद्रा शूद्रेष वोढव्यं नान्यातां स्वाच नैंगमः।

वहेत्सवां तेच राजन्माः वां द्विजन्मःत्रकृचिचताः ॥"

इसका अर्थ यह है कि पुरुष अपने से नीचे वर्ष की कन्या से विवाह कर सकता है। अपने से ऊँचे वर्ष की खी से नहीं कर सकता। इस प्रकार ब्राह्मण चारों वर्ष की खियों, चत्रिय तीन वर्ष की, वैश्य देा वर्ष की, और शूद्र केवल एक वर्ष की अर्थात् सवर्ष खी का पाणि प्रहण कर सकता है। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि यह नियम पूर्व समय में प्रचलित था। पश्चात् में ब्राह्मण पुरुष का शूद्र खी से विवाह करना अनुचित समभा जाने लगा।

परस्परं त्रिवर्षानां विवाहः पंक्ति भोजनम् ।

कर्तव्यं न च शूद्रैस्तु शूद्राणां शूद्रकैः सह ॥ १/२४६ ॥ (१७) ।

विवाहों के भेद

बाह्य विवाह, दैव विवाह, आर्थ विवाह और प्राजापस विवाह यह चार धर्म विवाह कहलाते हैं (१८)। और असुर, गांधर्व, राचस और पैशाच विवाह यह चार अधर्म विवाह कहलाते हैं (१८)।

बुद्धिमान् वर को अपने घर पर बुलाकर बहुमूल्य आभूषग्रों आदि सहित कन्या देना ब्राह्म विवाह है (१२)। श्रीजिनेन्द्र

(१६) अहं० ४४। (१७) धर्म संग्रह आवकाचार मेधावी रचित १२०२ ई० (१२६३ विक्रम संवत्)। (१८) त्रि० अ० ११ रठोक ७०। (१६) """ у ७१। भगवान् की पूजा करनेवाले सद्दधर्मी प्रतिष्ठाचार्य को पूजा की समाप्ति पर पूजा करानेवाला त्रपनी कन्या दे दे तेा वह दैव विवाह है (२०)। यही देानेां उत्तम प्रकार के विवाह माने गये हैं क्योंकि इनमें वर से शादी के बदले में कुछ लिया नहीं जाता। कन्या के वस्त्र या कोई ऐसी ही मामूली दामों की वस्तु वर से लेकर धर्मानुकूल विवाह कर देना आर्ष विवाह है (२१)।

कन्या प्रदान के समय "तुम दोनों साथ साथ रहकर स्वथर्म का आचरण करे!" ऐसे वचन कहकर विवाह कर देना प्राजापत्य विवाह कहलाता है (२२)। इसमें अनुमानतः वर की ग्रेगर से कन्या के साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट होती है ग्रेगर शायद यह भी आवश्यकीय नहीं है कि वह कुँआरा ही हो (२३)। कन्या को मोल लेकर विवाह करना असुर विवाह है (२४)। कन्या को मोल लेकर विवाह करना असुर विवाह है (२४)। कन्या ग्रीर वर का स्वयं निजेच्छानुसार माता पिता की सम्मति के बिना ही विवाह कर लेना गान्धर्व विवाह है (२४)। का बरजोरी से पकड़कर विवाह कर लेना राचस विवाह है (२६)। आचेत, अपसहाय, या सोती हुई कन्या से भोग करके विवाहना पैशाच विवाह है (२७) यह सबसे निद्यष्ट विवाह है।

त्र्याजकल केवल प्रथम प्रकार का विवाह ही प्रचलित है; शेष सब प्रकार के विवाह बन्द हो गये हैं। श्रोग्रादिपुराग के ग्रनुसार स्वयंवर विवाह जिसमें कन्या स्वयं वर को चुने सबसे उत्तम माना गया है। परन्तु ग्रव इसका भी रिवाज नहीं रहा।

विधवाविवाह

विधवाविवाह उत्तरीय भारत में प्रचलित नहीं है। परन्तु बरार श्रीर ग्रास पास के प्रान्तों में कुछ जातियों में होता है जैसे सेतवाल। पुराणों में कोई उदाहरण विधवाविवाह का नहीं पाया जाता है किन्तु शास्त्रों में कोई त्राज्ञा या निषेध स्पष्टतः इस विषय के सम्बन्ध में नहीं है। परन्तु त्रिवर्णाचार के कुछ श्लोक ध्यान देने येाग्य हैं (२८)। इसलिए विधवाविवाह-सम्बन्धी मुक़दमें। का निर्णय देश के व्यवहार के अनुसार ही किया जा सकता है।

विवाहविधि

वाग्दान, प्रदान, वरण, पाणिपीड़न और सप्तपदी विवाह के विधान के पाँच ग्रंग है (२-६)।

वाग्दान (engagement) ग्रथवा सगाई उस इकरार को कहते हैं जे। विवाह के पूर्व दोनों पत्तों में विवाह के सम्बन्ध में होता है। प्रदान का भाव वर की ग्रेार से गहना इत्यादि का कन्या को भेंट रूप से देने का है।

वर्षे कन्यादान को कहते हैं जेा कन्या का पिता वर के निमित्त करता है। पाखिपीड़न या पाखिप्रहण का भाव हाथ मिलाने से है (क्योंकि विवाह के समय वर और कन्या के हाथ मिलाये जाते हैं)। सप्तपदी भाँवरेां का कहते हैं। कन्यादान पिता का करना

(२८) त्रै० द्य० ११ १ठो० २० त्रीर २४। (२६) त्रै० व० अध्याय ११ श्लो० ४१।

चाहिए, यदि वह न हो तो बाबा, भाई, चाचा, पिता, गोत्र का कोई व्यक्ति, गुरु, नाना, मामा क्रमशः इस कार्य को करें (३०)। यह कोई न हों ते। कन्या स्वयं श्रपना विवाह कर सकती है (३१)। बिना सप्तपदी के विवाह पूर्ण नहीं समभा जा सकता (३२)।

सप्तपदी के पूर्व श्रीर पाणियहण के पश्चात् यदि वर में कोई जाति-देाष मालूम हो जाय या वर दुराचारी विदित हो ते। कन्या का पिता डसे किसी दृसरे वर को विवाह सकता है (३३)। इस विषय में कुछ मतभेद जान पड़ता है क्योंकि एक श्लोक में शब्द पतिसंग से पहले लिखा है (३४)। जैन-नीति के अनुसार एक पुरुष कई खियों से विवाह कर सकता है श्रर्थात् एक स्त्री की उपस्थिति में दूसरी स्त्री से विवाह कर सकता है (३४)। विवाह के पश्चात् सात दिन तक वर श्रीर कन्या को ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना चाहिए। पुनः किसी तीर्थ चेत्र की यात्रा करके किसी दूसरे स्थान पर परस्पर विहार करें झीर भोग-विलास (honey moon) में अपना समय बितावें (३६)।

(३०) त्रै० ग्र०	११ श्लो०	दर ।
(३१) ""	""	521
(३२) '' ''	s, ,s	30×1
(३३) ""	,, 9 ,	3081
(३४) '' ''	,, ,,	१७२ ।
(૨૨) """	, , ,	१७६ व १६७ व १६६ व २०४
(३६) आदिपुराग		939-933 1

तृतीय परिच्छेद

सम्पत्ति

जैन-लॉ के अनुसार सम्पत्ति के स्थावर और जङ्गम देा भेद हैं। जेा पदार्थ अपनी जगइ पर स्थिर है और हलचल नहीं सकता वह स्थावर है, जैसे गृह, बाग़ इत्यादि; और जेा पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान में सुगमता पूर्वक आ जा सकता है वह जङ्गम है (?)। दोनेंा प्रकार की सम्पत्ति विभाजित हो सकती है। परन्तु ऐसा अनुरोध है कि स्थावर द्रव्य अविभाजित रक्खे जायँ (२)। क्योंकि इसके कारग प्रतिष्ठा और स्वामित्व बने रहते हैं (देखेा अर्हत्रीति० श्लो० ४)।

दाय भाग की अपेचा सप्रतिबन्ध और अप्रतिबन्ध देा प्रकार की सम्पत्ति मानी गई है। पहिली प्रकार की सम्पत्ति वह है जेा खामी के मरग्र पश्चात उसके बेटे, पोतों को सन्तान की सीधी रेखा में पहुँचती है। दूसरी वह है जेा सीधी रेखा में न पहुँचे वरन चाचा, ताऊ इत्यादि कुटुम्ब सम्बन्धियों से मिले (३)।

सम्पत्ति जा विभाग येाग्य नहीं है

निम्न प्रकार की सम्पत्ति भाग येाग्य नहीं है----

१---जिसे पिता ने त्रपने निजी मुख्य गुर्यों या पराक्रम द्वारा प्राप्त किया हो; जैसे, राज्य (४)।

२—पैत्रिक सम्पत्ति की सहायता बिना जो द्रव्य किसी ने विद्या झादि गुग्रों द्वारा डपार्जन किया हो, जैसे, विद्या-ज्ञान द्वारा झाय (५) ।

३—जो। सम्पत्ति किसी ने अपने मित्रों अथवा अपनी स्त्री के बन्धुजनेां से प्राप्त की हो (६)।

४—जो खानों में गड़ी हुई उपलब्ध हो जावे अर्थात् दफीना ग्रादि (७)।

५---जेा युद्ध अथवा सेवा-कार्य से प्राप्त हुई हो (८) ।

६—जो साधारण त्राभूषणादिक पिता ने त्रपनी जीवनावस्था में त्रपने पुत्रों वा उनकी स्त्रियों को स्वयं दे दिया हो (२)।

७---स्त्री-धन (१०)।

प्र--पिता के समय की डूबी हुई सम्पत्ति जिसकाे किसी भाई ने ग्रविभाजित सम्पत्ति की सहायता बिना प्राप्त की हो (१० ग्र)। परन्तु स्थावर सम्पत्ति की दशा में वह पुरुष जेा उसे प्राप्त करे केवल भ्रपने सामान्य भाग से चतुर्थ श्रंश ग्रधिक पावेगा (११)।

(१) मद ० क्रिश्व २ और १०३; वर्ध० ३७-- ३८; ग्रह ० १३३-- १३१;
इन्द्र० २१।
(६) मद ० १०२; ग्रह ० १३३-- १३१; वर्ध०३७-- ३८।
(७) , १०२।
(६) ग्रह ० ३२०
(१) मद ० १०१; वर्ध ० ३३-- १३१।
(१०) मद ० १०१; वर्ध ० ३१-- ४४; इन्द्र० ४७-- ४८; ग्रह ० १३६-- १४२।
(१० ग्र) वर्ध ० ३७-- ३८; ग्रह ० १३३-- १३१।
(१० ग्र) वर्ध ० ३७--- ३८; ग्रह ० १३३-- १३१।
(१० ग्र) वर्ध ० ३७--- ३८; ग्रह ० १३३-- १३४।
(१२) इन्द्र० २० (मित्ताचरा लॉका भी यही भाव है)।

हिन्दू-लॉ के विरुद्ध जैन-लॉ विभाग को उत्तम बतलाता है क्योंकि उससे धर्म की वृद्धि होती है और प्रत्येक भाई को प्रयक् प्रयक् धर्म-लाभ का ग्रुभ श्रवसर प्राप्त होता है (११ श्र)।

विभागयोग्य जेा सम्पत्ति नहीं है उसे छे।ड़कर रोष सब प्रकार की सम्पत्ति नीति और मुख्य रिवाज के अनुसार (यदि केाई हो) दायादों में विभक्त हो सकती है (१२)।

पिता की जें। सम्पत्ति विभागयेग्य नहीं है उसको केवल सबसे बड़ा पुत्र ही पावेगा (१३)। वह पुत्र जें। चोरी, विषय-सेवन अथवा अन्य व्यसनें। में लिप्त है ग्रीर अत्यन्त दुराचारी है ग्रदालत के द्वारा ग्रपने भाग से वंचित रक्खा जा सकता है (१४)। पिता की डपार्जित सम्पत्ति जैसे राज्यादि, जें। ज्येष्ठ पुत्र कें। मिली है, उसमें छोटे भाइयों को, जें। विद्याध्ययन में संलग्न हों, कुछ भाग गुज़ारे निमित्त मिलना चाहिए (१४)। परन्तु शेष (विभागयेग्य) सम्पत्ति में अन्य सब भाई समान भाग के अधिकारी हैं जिससे वे व्यापार ग्रादि व्यवसाय कर सकते हैं (१६)।

पिता की जीवन-ख़वस्था में विभाग

बाबा की सम्पत्ति में से पुत्रों को, उनकी मातात्रों को और पिता को समान भाग मिलने चाहिएँ (१७)। परन्तु यदि सम्पत्ति बाबा

```
( ११ छ ) भद्र० १३।
( १२ ) इन्द्र० ४४; भद्र० ४।
( १३ ) भद्र० १००।
( १४ ) छह<sup>°</sup> ० म६—म७ छौर १२०।
( १४ ) भद्र० ६६।
( १६ ) भद्र० ६६।
( १७ ) छह<sup>°</sup>० २७।
```

की नहीं है और पिता की ही स्वयं उपार्जित है ते। पुत्रों को कोई श्रधि-कार विभाजित कराने का नहीं है। जो कुछ भाग पिता प्रसन्नता-पूर्वक पुत्र को पृथक् करते समय दे उसे उसी पर संतोष करना चाहिए (१८)।

माता की जीवनावस्था में जिस द्रव्य की वह स्वामिनी है उसके। भी पुत्र केवल उसके इच्छानुसार ही पा सकते हैं (१⊂)।

माता पिता की मृत्यु के पश्चात् विभाग

पितः की मृत्यु के पश्चात् सब भाई पैत्रिक (बाप की) सम्पत्ति को समानतः बाँट लें (१८)। प्रथम ऋग्र चुकाना चाहिए (यदि कुछ हो) तत्पश्चात् रोष सम्पत्ति विभक्त करना उचित है (१६)।

ज्येष्ठांसी

जैन-नीति में सबसे प्रथम उत्पन्न हुए पुत्र का अधिकार कुछ विशेष माना गया है (२०)। बाबा की सम्पत्ति के अतिरिक्त पिता की खयं उपार्जित सम्पत्ति को ज्येष्ठ पुत्र ही पायेगा। अन्य लघु पुत्र अपने ज्येष्ठ आता को पिता के समान मानकर उसकी आज्ञा में रहेंगे (२१)। यह नियम राज्य अधवा बड़ी बड़ी रियासतेां से लागू होगा। परन्तु राज्यादि की अवस्था में जेा छोटे भाई अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करते रहेंगे उनके निर्वाह आदि का दायत्व बड़े भाई पर होगा। यह तेा कानूनी परियाम ही होता है।

विभाग के समय सम्पत्ति की त्र्रपेत्ता से कुछ भाग (जैसे दशांश) ज्येष्ठ भ्राता के निमित्त पृथक् कर दिया जावे; शेष सम्पत्ति सब भाइयों में

(१८) भद्र० ४; वर्घ ० ८; ग्रह ० ११। (११) मह० १११; अहं० १६। (२०), ६। (२१), - * 1

समानतः विभाजित की जावे । इस प्रकार ज्येष्ठ पुत्र, श्रीर भाइयों के समान भाग पायगा श्रीर उनसे कुछ श्रधिक ज्येष्ठांसी के उपलच में भी पावेगा (२२) । यदि अन्य भाई वयः प्राप्त नहीं हैं तो वे बड़े भाई की संरचकता में रहेंगे श्रीर उनकी सम्पत्ति की देखभाल श्रीर सुव्य-वस्था का भार भी ज्येष्ठ भाई पर होगा (२३) । बाबा की सम्पत्ति सब भाइयों में बराबर बराबर बॅंटनी चाहिए (२४) । बाबा की सम्पत्ति का भाग पीढ़ियों की श्रपेचा से होगा, भावार्थ पुत्रों की गणना के अनुसार । पेंत्र अपने अपने पिताश्रों के भाग को समानरूपेण बॉटेंगे (२५) ।

यदि कोई मनुष्य विभाग के पश्चात् मर जाय श्रीर कोई श्रम्धिक क़रीबी-वारिस न छोड़े ते। उसका हिस्सा उसके भाई भतीजे पावेंगे (२५ ग्र.)।

यदि विभक्त हो जाने के पश्चात् पुनः सब भाई एकत्र हो जावें ऋौर फिर विभाजित हेां तेा उस समय ज्येष्ठांसी का हक़ नहीं माना जायगा (२६)।

यदि देा पुत्र एक समय उत्पन्न हुए हों तेा उनमें से जेा प्रथम उत्पन्न हुन्न्रा है वही ज्येष्ठ समभ्ता जायगा (२७) । यदि प्रथमोत्पन्न पुत्री हेा तत्पश्चात् पुत्र हुन्न्रा हो तो पुत्र ही ज्येष्ठ माना जायगा (२८) ।

(२२) भद्र० १७। (२३) आह० २१। (२४) इन्द्र०२४। (२४) म्रह ० १६ । (२४ अ) व० नी० ४२; और देखो अह ० १०-- ६१ (२६) मद्र० १०४-१०४। (२७), २२; ग्रहे०२१। (२८) ,, २३; ,, ३०।

गोधन अर्थात् गाय भैंस घोड़ा इत्यादि विभागयोग्य हैं। परन्तु यदि कोई भागी पुरुष उनके रखने के येाग्य न हो तो उसका भाग भी दूसरे भागी निःसन्देह ले लें (२ ८)। अनुमानतः इस नियम पर वर्तमान काल में जब कि गोधन का मूल्य अति अधिक हो गया है व्यवहार नहीं हो सकेगा। शायद पूर्व समय में यह नियम उस दशा में लागू होता था जब कोई भागी किसी चतुष्पद को खिलाने और रखने में असमर्थ होता था तो उसके बदले में किसी से कुछ याचना किये बिना ही अपने भाग का परित्याग कर देता था। ऐसी दशा में उस भाग का मूल्य देने का दायत्व यो ही किसी पर न हो सकता था!

दायाद की अयेग्यता

निम्नलिखित मनुष्य दायभाग से वश्चित समभे गये हैं— १—-पैदायशी नपुंसकता या ऐसे रेाग का रेागी जेा चिकित्सा करने से अरेाग नहीं हो सकता (३०)।

२---जो सब प्रकार से सदाचार का विरोधी हो (३१)।

३—-उन्मत्त, लॅंगड़ा, अन्धा, रज़ील (चुद्र = नीच), कुब्जा (३२)। ४—-जातिच्युत, अपाहिज़, माता पिता का घोर विरोधी, मृत्यु-निकट, गूँगा, बहरा, अतीव कोधी, अङ्ग्रहीन (३३)।

ऐसे व्यक्ति केवल गुज़ारे के त्राधिकारी हैं, भाग के नहीं (३४)। परन्तु यदि उनका रोग शान्त हो गया है तेा वह ज्रपने भाग के ज्रधि-

(२६) भद्र० १८।
(२०) ,, ६६; आई० ६२, ६३; इन्द्र० ४१-४२, वर्घ० ४२; ४३।
(२१) इन्द्र० ४४।
(२२) भद्र० ७०; आई० ६३-६४; इन्द्र० ४१-४२, वर्घ० ४२।
(३२) आई० ६२--६३; इन्द्र० ४१-४२ व ४४।
(२४) ,, ६; ,, १०, ४१-४२ व ४३।

कारी हो जायेंगे (३५)। नहीं तेा उनका भाग उनकी पत्नियेां वा पुत्रों को यदि वे योग्य हों पहुँचेगा (३६)। या पुत्री के पुत्र को मिलेगा (३७)। दायभाग की अयोग्यता का यह भाव नहीं है कि मनुष्य अपनी निजी सम्पत्ति से भी वश्चित कर दिया जावे (देखेा भद्र-बाहु० १०३)।

जिस पुरुष की दायभाग लेने की इच्छा न हो उसकों भी भाग न मिलेगा (३८)। श्रीर जो पुरुष मांसादिक अभच्य प्रहण करता है वह भी भाग से वञ्चित रहेगा (३२)। इस बात का अनुमानतः निर्णय न्यायालय से ही होगा श्रीर सम्भव है कि वर्तमान दशा में यह नियम परामर्श रूप ही माना जावे।

चाधु का भाग

यदि कोई पुरुष विभाजित होने से पूर्व साधू होकर चला गया हो ते क्वीधन को छोड़कर, सम्पत्ति के भाग उसी प्रकार लगाने चाहिएँ जैसे उसकी उपस्थिति में होते और उसका भाग उसकी पत्नी को दे देना चाहिए (४०)। यदि उसके एक पुत्र ही है ते वह स्वभावत: अपने पिता के स्थान को प्रहम्य करेगा। यदि कोई व्यक्ति अविवाहित मर जावे अथवा साधू हा जावे ते। उसका भाग उसके भाई भतीजों को यथायोग्य मिलेगा (४१)। यदि वह विभाग होने के पश्चात् मृत्यु का प्राप्त हो ते। उसका भाग भाई भतीजें समान

रूप से लेंगे (४२)। भद्रवाहु संहिता के अनुसार बहिन भी भाग की अधिकारिग्री है (४२)। परन्तु अनुमानतः इस श्लोक का अर्थ क्ठॅवारी बहिन से है जिसके विवाह का दायत्व भाइयेां पर ही है। उसका भाग भी उसके आताओं के समान ही बताया गया है जो निस्सन्देह पद्यरचना की आवश्यकताओं के कारग्रवश है। क्योंकि अन्यथा बहिन का भाग भाई के समान होना नियम-विरुद्ध है। बहुत सम्भव है कि यह माप उसके विवाह-व्यय के निमित्त जो द्रव्य प्रथक की जावे उसकी अन्तिम सीमा हो।

विद्याध्ययन एवं विवाह निमित्त लघु भ्राताओं के अधिकार

छोटे भाइयों का विवाह करके जेा धन बचे उसे सब भाई समान बाँट लें (४३)। इस विषय में विवाह में विद्यापठन भी ऋईत्रीति के शब्दों के विस्तृत भावों की ऋपेत्ता सम्मिलित है (४३)।

माता के अधिकार

यदि पिता की मृत्यु पश्चात् बाँट हो तो माता को पुत्रों के समान भाग मिलता है (४४)। वास्तव में उल्लेख तेा यह है कि उसे पुत्रों से कुछ अधिक मिलना चाहिए जिससे वह परिवार श्रीर कुटुम्ब की स्थिति को बनाये रक्खे (४५)। इस प्रकार यदि ४ पुत्र श्रीर एक विधवा जीवित है तेा मृतक की सम्पत्ति के ५ समान माग किये जायँगे जिनमें से एक माता को श्रीर शेष चार में से एक एक प्रत्येक भाई को मिलेगा। माता को कितना अधिक दिया जाय इसकी

```
( ४२ ) मद० १०६; वर्ध० ४२ ।
( ४३ ) वर्ध० ७; ग्रहे० २० ।
( ४४ ) मद० २१; वर्ध० १०, इन्द्र० २७ ।
( ४४ ) " २१; " १०; ग्रहे० २८ ।
```

सीमा नियत नहीं है। परन्तु अर्हत्रीति में इस प्रकार उल्लेख है कि पिता के मरग्र के पश्चात् यदि बाँट हो ते। प्रत्येक भाई अपने अपने भाग में से आधा आधा माता को देवें (४६)। इस प्रकार यदि ४ भाई हैं ते। प्रत्येक भाई ।) चार आना हिस्सा पावेगा और माता का भाग चार आने के अर्धभाग का चैागुना होगा अर्थात् २ × ४ = ५ आना होगा। पिता की जीवनावस्था में माता को एक भाग बाँट में मिलना चाहिए (४७)। पुत्रोत्पत्ति होने से माता एक भाग की अधिकारिग्री हो जाती है (४८)। माता का वह भाग उसके मरग्र पश्चात् सब भाई परस्पर समानता से बाँट लें (४८)।

बहिनेां का अधिकार

विभाजित होने के पश्चात् जो सम्पत्ति पिता ने छोड़ो है डसमें भाई झौर क्वँवारी बहिन को समान भागपाने का अधिकार है। यदि देा भाई और एक बहिन है तो सम्पत्ति तीन समान भागों में बॅंटेगी(५०)। बड़ा भाई छोटी बहिन का, छोटे भाई की भाँति, पालन करे (५१), और उचित दान देकर उसका विवाह करे (५२)। यदि ऐसी सम्पत्ति बचे जो बाँटने येंग्य न हो तेा उसे बड़ा भाई ले लेवे (५३)। यह अनुमान होता है कि बहिन का भाग केवल विवाह एवं गुज़ारे निमित्त रक्खा गया है, अन्यथा भाई की उपस्थिति में बहिन का कोई

त्रधिकार नहीं हो सकता। यदि विभक्त होने के पश्चात् कोई भाई मर जाय ते उसकी पैत्रिक सम्पत्ति के उसके भाई श्रीर बहिन समान बाँट लें (४४)। ऐसा उसी दशा में होगा जब मृतक ने कोई विधवा या पुत्र नहीं छेड़ा हो। यहाँ भी बहिन का श्रर्थ कुँवारी बहिन का है जिसके विवाह श्रीर गुज़ारे का भार पैत्रिक सम्पत्ति पर पड़ता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसका यह दायत्व सप्रतिबन्ध दायभाग की दशा मेंमान्य नहीं हो सकता श्रर्थात् उस सम्पत्ति से लागू नहीं हो सकता जो चाचा ताऊ से मिली हो (४४)।

विधवा भावज का अधिकार

विधवा भावज अपने पति के भाग को पाती है और उसको अपने पति के जीवित भाइयों से अपना भाग पृथक् कर लेने का अधिकार है (५५)। यदि वह कोई पुत्र गोद लेना चाहे ते ले सकती है (५६)। परन्तु ऐसे भाई की विधवा का जो पहिले ही अलग हो चुका हो विभाग के समय कोई अधिकार नहीं है। यदि कोई भाई साधू होकर अथवा संन्यास लेकर चला गया है ते। उसका भाग विभाग के समय उसकी स्त्रो पावेगी (५७)।

विभाग एवं पुनः एकत्र होने के नियम

एक भागाधिकारी के पृथक हो जाने से सबकी पृथक्ता हो जाती है (प्रद)। विभाजित होने से पूर्व सब भाई सम्मिलित समभो जाते हैं (प्रू)। परन्तु विभाग पश्चात् भी जितने भाई (२४) भद्द० १०६। (२४) श्रई० १३१; व घीसनमळ ब० हर्षचन्द (ग्रवध) सेलेक्ट केसेज़ नं० ४३ ए० ३४। (२६) ग्रह १३१। (२७) मद्द० दर्श वर्ध० ४८; ग्रह ० १०। (२८) ग्रह ० १३०। (२८) ग्रह ० १३०। (२८) ग्रह ० १३०। चाहें फिर सम्मिलित हो सकते हैं (५ -)। विभाग पश्चात् यदि कोई भाई श्रीर पैदा हो जाय जेा विभाग समय माता के गर्भ में था तेा वह भी एक भाग का अधिकारी है श्रीर विभाग पश्चात् के स्राय -व्यय का हिसाब लगाकर उसका भाग निर्धारित होगा (६०)। सामान्यतः उन पुत्रों को जो विभाग पश्चात् उत्पन्न हुए हें। कोई म्रधि-कार पुनः विभाग कराने का नहीं है । वह केवल अपने पिता का भाग पा सकते हैं (६१) । हिन्दू-लॉ में विभाग समय यदि पिता ने ग्रपने निमित्त कोई भाग नहीं लिया है श्रीर उसके पश्चात् पुत्र उत्पन्न होवे जिसके पालन-पोष**ग्र** का कोई **श्राधार नहीं हा ता वह पुत्र अपने** पृथक हुए भाइयों से भाग पाने का अधिकारी है (६२) । अनुमानतः जैन-नीति में भी इन्द्रनन्दि जिन संहिता के २६ वें श्लोक का यही त्राशय है, विशेष कर जब उसको २७ वें श्लोक के साथ पढ़ा जावे । दोनें रलोकों को एक साथ पढ़ने से ऐसा ज्ञात होता है कि इनका सम्बन्ध ऐसी दशा से है कि जब पिता ने अपनी सम्पत्ति क्वछ ग्रन्य जनेां को दे दो है श्रीर शेष अपने पुत्रों में विभक्त कर दी है ।

ग्रन्यान्य वर्णों की स्त्रियों की सन्तान में विभाग

यदि त्राह्मग्र पिता है त्रौर चारों वर्षों की उसकी स्त्रियाँ हैं तेा शुद्रा के पुत्र को हिस्सा नहीं मिलेगा (६३)। परन्तु शेष तीन वर्षों

(२६) मद० १०४–१०२ ।

- (६०) ग्रह ० ३७; इन्द्र० २६।
- (६१) " २६; भद्र० १०६।

(६२) गौड़ का हिन्दू-कोड हि० वृ० पृ० ७प२; गनपत ब० गोपाल-राव २३ बम्बई ६३६; चेंगामा ब० मुन्नी स्वामी २० मदास ७४; कुछ ग्रंशों में इस सम्मति की पुष्टि प्रीवी कैां० के फैसला मुक़दमा बिशनचन्द ब० ग्रसमेदा ६ इला० ४६० विशेषतः ४७४-४७४ पृष्ठ से होती है।

(६३) भद्र ० ३१-३३; ग्रह ० ३८-३६।

की सन्तान में इस प्रकार विभाग होगा कि ब्राह्मर्शा के पुत्र को चार भाग, चत्राग्यी के पुत्र को तीन भाग और वैश्याग्यी के पुत्र को दो भाग मिलेंगे (६४)। भद्रवाहु संहिता और अर्हन्नोति, दोनेां, में ऐसा उल्लेख है कि विभाज्य सम्पत्ति के दस समान भाग करने चाहिएँ जिनमें से चार ब्राह्मर्था के पुत्र को तीन चत्राग्यो के पुत्र को दो वैश्याग्यी के पुत्र को देने चाहिएँ और एक अवशिष्ट भाग धर्म-कार्य में लगा देना चाहिए (देखो भद्रवाहु संहिता ३३ और अर्ह-क्रीति ३८, ३८)।

यदि चत्रिय पिता हो और उसके चत्राग्री और वैश्याग्री तथा शूद्राग्री तीन स्त्रियाँ हों ते। शूद्राग्री के पुत्र को। कुछ भाग नहीं मिलेगा। चत्राग्रो के पुत्र को दे। भाग और वैश्याग्री के पुत्र को एक भाग मिलेगा (६५)। अर्थात् चत्राग्री और वैश्याग्री के पुत्र को एक भाग मिलेगा (६५)। अर्थात् चत्राग्री और वैश्याग्री के पुत्रां में कम से दे। और एक की निस्वत में सम्पत्ति के भाग कर दिये जाएँगे। जैन-लॉ के अनुसार उच्च वर्ग्र के पुरुष द्वारा जे। शूद्रा से पुत्र हे। उसे भाग नहीं मिलता है (६६)। केवल वह गुज़ारा पाने का अधिकारी है (६७)। या जे। कुछ उसका पिता अपनी जीवना-वस्था में उसकी दे गया हे। वह उसकी मिलेगा (६८)। इन्द्र-नन्दि जिन संहिता का इस विषय में कुछ मतभेद है (देखो श्लोक ३०--३१)। वह बाह्यण्य पिता से जे। पुत्र ब्राह्यणी चत्राग्रो और वैश्याग्री से हें। उनके भागे। के विषय में भद्रबाहु व अर्हन्नोति से सह-

```
( ६४ ) सद्व० ३१-३२; ग्राहै० २८-२६; इन्द्र० ३०।
( ६४ ) ग्राहै० ४०; सद्व० २४।
( ६६ ) " २६-४१;" २६; इन्द्र० २२।
( ६७ ) " ३६-४१;" २६।
( ६८ ) सद्व० २४।
```

मत है (देखेा श्लो० ३०) । परन्तु दूसरे श्लोक में यह उल्लेख है कि चत्रिय पिता के चत्राणी से उत्पन्न हुए पुत्र को तीन भाग और वैश्याणी के पुत्र को देा भाग मिलेंगे, और यह भी उद्घोख है कि वैश्य माता पिता के लड़के देा देा भागों के और शूद्र माता के लड़के एक भाग के अधिकारी हैं (देखो श्लोक ३१) । यदि यही अर्थ ठीक है तेा इससे विदित होता है कि शूद्रा माता की सन्तान भी भागाधिकारी कभी गिनी गई थो । अन्यान्य वर्णो में पारस्परिक विवाह का कम हो जाना इस मतभेद का कारण हो सकता है । या शूद्रों के जाति-भेद के कारण यह मतभेद हुन्ना है । परन्तु खयं जिन संहिता ही में शूद्रा स्त्री की सन्तान का अन्ततः दाय से वश्वित किया जाना ३२ वें श्लोक में मिलता है । वैश्य पिता के पुत्र जेा सवर्णा स्त्री से हों पिता की सब सम्पत्ति पावेंगे (६-६) । यदि शूद्रा से कोई पुत्र हो तो वह भागाधिकारी न होगा (७०) । शुद्र पिता और शूद्रा माता के पुत्र अपने पिता की सम्पत्ति बराबर बराबर पावेंगे (७१) ।

दासीपुत्रों के अधिकार

जैन-नीति में दासीपुत्रों का कोई अधिकार नहीं है (७२)। परन्तु वे गुज़ारे के अधिकारी हैं (७३)। और जो बाप ने उन्हें अपनी जीवनावस्था में दे दिया है वह उनका है (७४)। उच्च वर्ग-वाले भाई को चाहे वह छोटा ही हो और यदि एक से अधिक हों

```
( ६६ ) ग्राहे० ४९; मट्र० ३६ ।
(७० ) '' ४९; '' ३६ ।
(७९ ) '' ४४; '' ३७ ।
(७२ ) मट्र० ३४; और देखो अम्बावाई ब० गोविन्द २३ बम्बई २१७ ।
(७३ ) ग्राहे० ४३ ।
(७४ ) '' ४२ ।
```

ते। सब उच्च वर्षीवाले भाइयों को मिलकर उनके पालन पेाषण का प्रबंध करना चाहिए (७५)।

यदि किसी शूद्र के दासीपुत्र उत्पन्न हो ते। वह विवाहिता स्त्रो के पुत्र से अर्घ भाग पायेगा (७६)। इससे यह अनुमान होता है कि विवाहिता स्त्री के पुत्र के अभाव में शूद्र का दासीपुत्र ही उसकी सर्व सम्पत्ति का अधिकारी हो जायगा। उच्च जातियें। में दासी-पुत्र का कोई भाग दाय में नहीं रक्खा है (७७)।

अविभाजित सम्पत्ति में अधिकार

त्राभूषण, गोधन, अनाज और इसी प्रकार की सर्व जङ्गम सम्पत्ति का मुख्य स्वामी पिता होता है (७८)। परन्तु 'स्थावर सम्पत्ति का पूर्ण म्वामी न पिता होता है न पितामह (७६)। अर्थात् उनको उसके बेचने का अधिकार नहीं है। इसका कारण यह है कि जिस मनुष्य ने संसार में खानेवाले पैदा किये हैं वह उनके पालन पेाषण के आधार से उनको वश्चित नहीं कर सकता।

पितामह के जीवन-काल में उसकी स्थावर सम्पत्ति को कोई नहीं ले सकता। परन्तु जङ्गम द्रव्य आवश्यकतानुसार कुटुम्ब का प्रत्येक व्यक्ति व्यय कर सकता है (८०)। यदि कोई व्यक्ति अपनी पैत्रिक सम्पत्ति में से अपनी बहिन या मानजी को कुछ देना चाह तेा उसका पुत्र उसका विरोध कर सकता है (८१)।

```
( ७२ ) भद्र० ३४।
( ७६ ) ग्रह°० ४४।
( ७० ) ग्रम्बाबाई ब० गोविन्द २३ वम्बई २४७।
( ७८ ) इन्द्र० ४; ग्रह°० ६।
( ७६ ) '' ४; '' ६।
( ८० ) '' ४।
( ८९ ) भद्र० ६४।
```

पुत्र की सम्मति के बिना पैत्रिक सम्पत्ति के देने का अधिकार पिता को नहीं है (⊏२)। बाबा की ग्रविभाजित सम्पत्ति भ्रातृवर्ग की सम्मत्ति के बिना किसी केा नहीं दी जा सकती है (⊏३)। न वह पुत्री, दैोहित्र, बहन, माता अथवा स्त्री को किसी सम्बन्धी को ही दी ना सकती है (⊏४)। स्थावर सम्पत्ति श्रीर मवेशी भी जेा किसी मनुष्य ने पुत्रोत्पत्ति के पूर्व प्राप्त किये हैं, पुत्र होने के पश्चात् उनको बेच या दे नहीं सकता है (८५)। क्येंकि सब बालक जेा उत्पन्न हुए हैं या गर्भ में हैं चाहे वे भाग कराने के अधिकारी हें। या न हें। उसमें से भरग पेाषण का सब ऋधिकार रखते हैं (८६) । हिन्दू-क़ानून के अनुसार जब पुत्र बालिग़ (वयःप्राप्त) हा जाय तेा वह पिता की स्वयं उपार्जित सम्बत्ति में से भरण पोषण का अधि-कार नहीं माँग सकता, यद्यपि पैत्रिक सम्पत्ति में उसे ऐसा अधिकार है (⊏७) । यह्री ग्राशय जैन-क़ानून का भी है । क्येंकि पिता की सम्पत्ति में भी उसकी मृत्यु पश्चात् पुत्र सदा ही श्रधिकारी नहीं होते, किन्तु विधवा माता श्रीर कभी कभी ज्येष्ठ भाई ही उसको पाता है । क्रुटुम्ब की सब स्थावर सम्पत्ति जात या त्रजात पुत्रों के या दूसरे उन मनुष्यों के होते हुए जिनको अपना भरग पोषग पाने का अधि-कार है, धार्मिक कार्यों, तीर्थयात्रा या मित्रों के सहायतार्थ भी

नहीं दी जा सकती (ूू)। यदि कोई अन्य विरोधी न हो ते स्त्री को विरोध करने का अधिकार है, चाहे सम्पत्ति किसी अच्छे कार्य के लिए दे दी जाय या अन्य प्रकार से (ूू) क्योंकि कौटुम्बिक सम्पत्ति से उचित प्रकार से भरण पाषण पाने का उसका भो अधिकार है।

माता पिता भाई आदि सब मिलकर सम्पत्ति प्रथक कर सकते हैं (रु०) । यदि पुत्र वयः प्राप्त न हो ते। पिता योग्य आवश्यकता के लिए उसे (सम्पत्ति को) बेच सकता है या दे सकता है (रु१) । जे। सम्पत्ति माता ने पिता से विरसे में पाई हो। उसमें भी ऐसा ही समभना चाहिए । सन्तान की नाबालग़ी में माता को भी सम्पत्ति के प्रथक करने में वही बाधाएँ पड़ती हैं जे। पिता को होती हैं (रु१) विभाजित अथवा अविभाजित दोनों। प्रकार की सम्पत्तियों में से धार्मिक एवं कौटुम्बिक आवश्यकताओं के लिए पुत्रों की सम्मति बिना भी पिता को व्यय करने का अधिकार है (रु२)।

पितामह की सम्पत्ति में, चाहे वह जङ्गम हेा या स्थावर, पिता और पुत्र समानाधिकारी है (- २३)। पिता की सम्पत्ति का, पैात्र के न होने पर, पुत्र को पूर्ण अधिकार हैं और जिस भाँति वह चाहे उसे व्यय कर सकता है (- ८४)। क्योंकि ऐसा करने से उसे रोकने-

(55) इन्द्र० ७-८। जो सम्पत्ति माता का पिता से मिली हो उसमें
	भरण पोषण पाने का पुत्र का त्रधिकार है (देखो ग्रहं० १२६)।
(= १) वर्ध० ४१; अह ० ६६।
(80) इन्द्र० ८-१।
(89)) अह [°] • ११ ।
(१२) भद्र० ६२ ।
(१३) अह ० ६७; इन्द्र ० २४।
) इन्द्र॰ २ ।

वाला कोई नहीं है (- २५) । जो जङ्गम द्रव्य माता ने पुत्र को व्यापार या प्रबन्ध करने के लिए दिया हो उसे व्यय कर डालने का पुत्र को भ्रधिकार नहीं है (- ६६) । माता पिता के जीवन में दत्तक पुत्र को उनकी अधवा बाबा की दोनों प्रकार की सम्पत्ति को पृथक् करने का कोई अधिकार नहीं है (- ६७) । औरस पुत्र के सम्बन्ध में भी यही नियम है (- ६८) । परन्तु बाबा की सम्पत्ति में पुत्रों की विभाग कराने का अधिकार है' (- ६८) । पुत्र हों या न हों पिता को अधिकार है कि अपनी मृत्यु के पश्चात् अपनी विधवा के निमित्त तथा सुप्रवन्धार्थ किसी अन्य पुरुष द्वारा अपनी निजी सम्पत्ति का वसीयत के तार पर प्रबन्ध करावे (१००)।

विभाग के पश्चात् प्रत्येक भागी को अपने भाग के मुन्तिकिल (व्यय) करने का अधिकार है (१०१) । विधवा भी उस सम्पत्ति को, जो उसने पति से पाई हो, चाहे जैसे व्यय कर सकती है, कोई उसको रोक नहीं सकता (१०२)। पतिमरण के पश्चात् यदि सास या श्वसुर ने उसको पुत्र गोद ले दिया है (ते। जब तक वह दत्तक पुत्र वयःप्राप्त न हो) वह योग्य आवश्यकताओं अर्थात् धार्मिक कार्यों और कौटुम्बिक भरण पोषण के लिए सम्पत्ति को स्वयं व्यय कर सकती है (१०३)।

(६४) भद्र ० ६२ । (१६) भद्र० ६४। (६७) वर्ध० ४७ । (६५) '' १४; ग्रह ० ५१। (११) देखो विभाग प्रकरण। (१००) वर्ध० २०-२१; ग्रह ० ४६---४८। (१०१) भद्र० ६२, ग्रह ० १२४। (१०२) श्रह ० १११ व १२४। (१०३) भद्र० ११३ व ११७; वर्ध० ३४।

यदि पितामह के जीवन में पैात्र मर जाय ते। उसकी सम्पत्ति में खसकी विधवा को, सास ध्रौर श्वसुर के होते हुए, कोई ग्रधि-कार नहीं है (१०४)। श्वसुर की सम्पत्ति में भी विधवा पुत्रवधू को सास के होते हुए कोई ग्रधिकार नहीं है (१०५)। वह जाय-दाद के व्यय का ध्रधिकार नहीं रखती है किन्तु केवल रोटी कपड़ा पा सकती है (१०६)। तिस पर भी श्वसुर ग्रौर सास चाहें ते। पुत्रवधू को दत्तक लेने की ग्राज्ञा दे सकते हैं (१०७)। विधवा पुत्र-वधू उस सम्पत्ति को, जे। उसके पति ने ग्रपने जीवनकाल में माता पिता को दे दी है, नहीं पा सकती है (१०८), चाहे उसके। ग्रपना निर्वाह उस थोड़ी सी सम्पत्ति में ही करना पड़े जे। उसके पति ने उसको दे दी थी (१०६)। क्योंकि भद्र पुरुष उस संपत्ति को वापिस नहीं माँगा करते हैं जो किसी को दे दी गई हो (११०)।

यदि श्वसुर पहिले मर जाय और पीछे पति मरे ते। विधवा बहू ग्रपने पति की पूर्ण सम्पत्ति की स्वामिनी हेग्गी (१११)। परन्तु उसको ग्रपनी सास को ग्रीर कुटुम्ब को गुज़ारा देना उचित है (११२)। ऐसी दशा में सास दत्तक पुत्र नहीं ले सकती है (११३)।

क्योंकि उस समय सम्पत्ति की स्वामिनी पुत्रवधू है, न कि सास (१९४)। असुर की उपार्जित सम्पत्ति में या बाबा की सम्पत्ति में जेा असुर के ग्रधिकार में ग्राई हो विधवा पुत्रवधू को व्यय का ग्रधिकार नहीं है (११५), परन्तु ग्रपने मृत पति की स्वयं प्राप्न की हुई सम्पत्ति को व्यय कर देने का ग्रधिकार है (११६)। असुर के मर जाने पर विधवा पुत्रवधू का पुत्र ग्रपने पितामह की सम्पत्ति का स्वामी होता है विधवा पुत्रवधू को केवल गुज़ारे का ग्रधिकार है (११७)। इसलिए यदि पिता पितामह के जीवनकाल में मर गया हो तो विधवा माता श्रपने असुर की सम्पत्ति को ग्रपने पुत्र की सम्मति बिना व्यय नहीं कर सकती (११८)।

विवाहिता पुत्रो का अपने भाइयों की उपस्थिति में पिता की सम्पत्ति में कोई भाग नहीं है (११ -)। जेा कुछ उसके पिता ने विवाह के समय उसको दे दिया हो। वही उसका है (११ -)। विवाहिता लड़कियाँ अपनी अपनी माताओं के स्त्रीधन का पाती हैं (१२०)। पुत्री के अभाव में दैाहित्रो और उसके भी अभाव में पुत्र माता के स्त्रीधन का अधिकारी होता है (१२१)। अविवाहिता पुत्री, एक हो या अधिक, भाइयों की उपस्थिति में पिता की सम्पत्ति में

से गुज़ारे ग्रौर विवाह-व्यय के ग्रतिरिक्त कोई भाग पाने की ग्रधि-कारी नहीं है (१२२)।

विभाग की विधि

प्रथम ही तीर्थंकर भगवान की पूजा (मन ग्रीर भावों की शुद्धता के निमित्त) करना चाहिए / इसके पश्चात कुछ प्रतिष्ठित मनुष्यों के समच अविभाजित सम्पत्ति का अनुमान कर लेना चाहिए **ग्रीर उसमें से पुत्र का भाग निकाल देना चाहिए (१२३)** । इसी प्रकार अन्य भाग भो लगा लेने योग्य हैं। यदि पिता ने स्वार्थवश या द्वेष भाव से अपनी खियें के या अयोग्य दायादों के खत्वों की त्रोर ध्यान नहीं दिया है, या विभाग में कोई ग्रन्याय किया गया है ते। वह अमान्य होगा (१२४)। परन्तु यदि विभाग धर्मानुकूल किया गया है ते। वह मान्य होगा, चाहे किसी को कुछ कम ही मिला हो (१२५)। वासतव में विभाग अधर्म ग्रीर ग्रन्याय से न होना चाहिए (१२५)। ऐ**से पि**ता का किया हुत्रा विभाग अयोग्य होगा जेा अत्यन्त अशान्त, कोधी, अति वृद्ध, कामसेवी, व्यसनी, असाध्य रोगी, पागल, जुआरी, शराबी आदि हो (१२६) । यदि बड़ा भाई विभाग करते समय कुछ सम्पत्ति कपट करके छोटे भाइयों से छिपा ले तेा वह दण्डनीय होगा झौर झपने भाग से वश्चित किया जा सकता है (१२७)। यदि भाइयों में सम्पत्ति

के विभाग के विषय में भगडा हो ते। नियमानुसार न्यायालय अथवा पश्चायत द्वारा निर्श्वेय करा लेना चाहिए (१२८)। यदि विभाग को विषय में कोई सन्देह उत्पन्न हो (जैसे कौन कौन सी जायदाद किस किस अधिकारी ने पाई) ते। ऐसी दशा में पञ्चों या न्यायालय के समच मौखिक अथवा लिखित साची द्वारा निर्धय करा लेना चाहिए (१२- ट) । प्रथम ऋण चुका देना चाहिए, या ऋण चुकाने के लिए प्रबंध करके शेष सम्पत्ति के भाग कर लेना चाहिए (१३०)। वस्त, ग्राभूषण, खत्तियाँ श्रीर इसी प्रकार की दूसरी वस्तुएँ विभाज्य नहीं हैं (१३१)। ऐसी वस्तुओं का भी, जैसे कुओ, भाग नहीं करना चाहिए (१३२)। मवेशियों का पूरा पूरा भाग करना चाहिए न कि टुकड़ों या हिस्सेंा में (१३३)। आग करने से पूर्व छोटे भाइयां का विवाह कर देना उचित है या उनके विवाह निमित्त धन का प्रबन्ध करके विभाग करना चाहिए (१३४)। यदि एक या अधिक छोटी बहिनें हों ते। प्रत्येक भाई को अपने भाग का चतु-र्श्वांश उनके विवाह के लिए अलग निकाल देना चाहिए (१३५)। वर्धमान नीति श्रीर अर्हन्नीति में यह नियम है। भद्रबाहु संहिता में भी ऐसा ही नियम है परन्तु उसमें केवल सहोदर बहिने। का

डल्ल रेख है (१३६)। यदि किसी मनुष्य ने कौटुम्बिक स्थावर सम्पत्ति को जो पिता के समय में जाती रही हो पुनः प्राप्त कर लिया हो तेा उसको अपने साधारण भाग से अधिक चतुर्थ भाग और मिलना चाहिए (१३७)। परन्तु ऐसी दशा में वह समस्त जङ्गम सम्पत्ति का स्वामी होगा (१३⊂)। किसी भागाधिकारी के गहने कपड़े और ऐसी ही दूसरी वस्तुएँ बाँटी नहीं जायेँगी (१३⋲)। भाग इस प्रकार से करना चाहिए कि किसी अधिकारी को असन्तेाष न हो (१४०)। यदि कोई भाई संसार त्याग करके साधू हो जाय तेा उसका भाग उसकी छी को मिलोगा (१४१)।

जब कोई मनुष्य संखार त्यागना चाहे तो उसे सबसे प्रथम तीर्थ कर देव की पूजा करनी उचित है। पुनः प्रतिष्ठित पुरुषों के सामने अपनी सर्व सम्पत्ति अपने पुत्र को दे देनी चाहिए। या वह अपनी सम्पत्ति के तीन बरावर भाग कर सकता है जिनमें से एक भाग धार्मिक कार्य तथा दानादिक के लिए दूसरा परिजनेों के निर्वाह के लिए निश्चित करके तीसरा भाग सब पुत्रों में बरावर बराबर बाँट दे (१४२)। उसको यह भी उचित है कि अपने बड़े पुत्र को छोटे पुत्रों का संरच्क नियुक्त कर दे (१४३)।

चतुर्थ परिच्छेद

दाय

जैन-लॉ के अनुसार दायाद का कम निम्न प्रकार है—

- (१) विधवा ।
- (२)पुत्र।
- (३) भ्राता ।
- (४) भतीजा।
- (५) सात पीढ़ियों में सबसे निकट सपिण्ड (१)।
- (६) पुत्री ।
- (७) पुत्री का पुत्र।
- (⊂) निकटवर्ती बंधु ।
- (🗧) निकटवर्ती गोत्रज (१४ पीढ़ियों तक का)।
- (१०) ज्ञात्या ।
- (११) राजा।

यह कम इन्द्रनन्दि जिन संहिता में दिया गया है (देखेा स्रो० ३५—३८) । वर्धमान नीति में भी यही कम कुछ संकोच से दिया है (देखेा स्रो० ११—१२) । इन्द्रनन्दि जिन संहिता में बंधू गोत्रज ज्ञात्या∗ और राजा को लैकिक रिवाज के अनुसार दायाद माना है (देखेा स्रो० ३७—३८)। इसी पुस्तक के स्रोक १७—१८ में भी

(3) सपिण्ड का अर्थ सात पीढ़ियें तक के सम्बन्धी से हैं।

क ज्ञात्या (जातवाले) का भाव अनुमानतः ऐसे पुरुष का भी हो सकता है जो माता द्वारा सम्बन्ध रखता हो। कारग्य कि प्रारम्भ में ज्ञाति का अर्थ माता के पत्त का था जैसा कि कुल का अर्थ पिता के कुटुम्ब का था। दायाद का कम कुछ थोड़े से हेर फेर श्रीर संचेप से बताया है। वह इस प्रकार है— १-सबसे बड़ी विधवा, २—पुत्र, ३—सवर्णा माता से उत्पन्न भतीजा, ४—दोहिता, ४—गोत्रज, ६—मृतक की जाति का कोई छोटा बालक (२) (जिसे उसके पुत्र की विधवा दत्तक लेवे)। श्रईन्नीति इस कम से पूर्णतया सहमत है (देखेा श्लो० ७४—७४)। उसका कम इस प्रकार है—प्रथम विधवा, पुनः पुत्र, पुनः भतीजा, पुनः सपिण्ड, पुनः दोहिता, पुनः बंधु का पुत्र, फिर गोत्रज, इन सबके अभाव में ज्ञात्या, श्रीर सबके अन्त में राजा दायाद होता है।

दायादें। में स्त्री का स्थान पुत्र से पहिले है (३)। स्त्री की सम्पत्ति का, जो स्त्रीधन न हो, प्रथम दायाद उसका पति फिर पुत्र (४) होता है। पुत्र के पश्चात उसके पति के भाई भतीजे (स्वयं उसके नहीं) क्रम से दायाद होते हैं (प्र्रा/निकटवर्ती दायाद के होते दूरवर्ती को अधिकार नहीं है; झतएव भाई का सद्भाव भतीजें। को दायभाग से वच्चित कर देता है (६)। इसी नीति से मृतक का पिता भाई से पहिले दाय का अधिकारी होगा, जैसे हिन्दू-लॉ में भी बताया है। पुत्र शब्द में कानूनी परिभाषा के अनुसार पौत्र और अनुमानत: पर-पौत्र भी झंतर्गत हैं (७), जैसा हिन्दू-लॉ में भी है (देखेा सुन्दरजी

(२) इसका शब्दार्थ भाव ७ वर्ष की आयु के पति के छेाटे भाई का है। ऐसा ही भाव अर्हजीति में मिळता है देखो अर्हजीति श्ठो० ४६ (जहाँ दत्तक का सम्बन्ध है)।

(३) भदू० १९०; ग्रहं० ११२।

(४) अह ० ११४-११७; भद् ० १७।

(२) ,, ११२-११७; ,, १९); श्रीर देखो ग्रह ० २२ जहां विधवा के भाई के पुत्र को गोद खेने का भावार्थ पति के भतीजे का है ।

(६) इन्द्र ० २६। (७) ग्रह[°]० १७; इन्द्र ० २५। दामजी ब० दाहीबाई २- हबम्बई ३१६)। यदि पुत्र अपने पिता के शरीक है और सम्पत्ति वाबा की है ते। उसमें उसका अधिकार है। विभाग के पश्चात् विभाजित पिता की सम्पत्ति का माता के होते हुए वह स्वामी नहीं हे। सकता। क्योंकि उसकी माता ही उसकी अधिकारिग्री होगी। यदि माता पिता देानें। मर जावें ते। औरस वा दत्तक जैसा पुत्र हे। वही दायाधिकारी होगा (-) !

किसी मनुष्य के बिना पुत्र के मर जाने पर उसकी विधवा उसकी सम्पत्ति की सम्पूर्य त्रिधिकारिग्री होती है (-<u>-</u>-), चाहे

- (५) भद्र ० ३० ।
- (१) ,, १४; ग्रह ० ११४ व १२४, तथा निम्नलिखित नजीरें ---
 - क—मदनजी देवचन्द ब० त्रिभवन वीरचन्द १२ इ० के० ८६२ = बम्बई-लॉ रिपोर्टर १३ ए० ११२१ ।
 - ख---मदनजी ब॰ त्रिभवन ३६ बम्बई ३१६।
 - ग—शिम्भूनाथ व० ज्ञानचन्द १६ इन्ठा० ३७१; परन्तु इस मुक्दमे में अपने पति की सम्पत्ति की वह पूर्श स्वामिनी क़रार दी गई थी, न कि बाबा की सम्पत्ति की । इस मुक्दमे का उल्लेख १६ इ० के० ए० ६३१ = २४ इ० ऌा० ज० ए० ७४१ पर छाया है ।
 - ध—धीसनमळ ब॰ हर्षचन्द (सन् १८८३) सेलेक्ट केसेज़ ४३ (ग्रवध)।
 - ड—विहारीलाल ब० सुखवासीलाल (सन् १८६२ का अप्रकाशित फ़ैसला) उल्लिसित सिलेक्ट केसेज़ अवध ए० ३३ व ६ एन० डब्ल्यु० पी० हाईकोर्ट रिपोर्ट ३६२—३६८ (इसमें यह निर्णय हुआ है कि विधवा को पति की अविभाजित मैारूसी (बाबा की) सम्पत्ति के, पति के भाइयें के विरोध में भी, बेचने का अधिकार है।
 - च-हूळन राय ब॰ भवानी (सन् ३८६४ अप्रकाशित) से॰ के॰ अवध प्र॰ ३४ में इसका उल्लेख है। इसमें कुरार दिया गया है कि पुराने रिवाज और बिरादरी के ब्यवहार के अनुसार विधवा का

सम्पत्ति विभाजित हे। चाहे अविभाजित हो (देखे। इन्द्रनन्दि जिन-संहिता श्लो० १५)। पति के भाग की पुत्र की उपस्थिति में भी वह पूर्श स्वामिनी होती है (देखे। अर्हत्रीति ५४)। यदि श्वसुर पहिले मर जाय और पति का पीछे कालान्त हो ते। वह अपने पति की सम्पूर्श सम्पत्ति की अधिकारिशी होगी (१०)। यदि वह पुत्री के प्रेमवश पुत्र को गोद न ले और पुत्री को अपनी दायाद नियुक्त करे ते। उसके मरने पर डसकी सम्पत्ति की अधिकारिशी डसकी पुत्री होगी, न कि डस (विधवा) के पति के कुटुम्बी जन। और डस पुत्री की मृत्यु के पश्चात् भी वह सम्पत्ति उसके पिता के कुटुम्बी जनों को नहों पहुँचेगी, किन्तु उसके पुत्र को मिलेगी यदि पुत्र न हो ते। डसके पति को (११)। इसका कारण यह है कि पुत्री भी पूर्ण अधिकारिशी ही होती है;

> मौरूसी अविभाजित स्थावर धन पर अपने पति की जङ्गम सम्पत्ति के अनुसार ही पति के समान पूर्ण अधिकार होता है।

- छ—शिवसिंह राय ब० मु० दाखेा ६ एन० डब्ल्यु० पी० हा० रि० ३८२ और श्रपील का फ़ैसला १ इला० प्ट० ६८८ प्री० कौ० जिसमें सम्बन्ध पति की निजी सम्पत्ति का है।
- ज—हरनाभ राय ब० मण्डऌदास २७ कऌ० ३७६। इसमें पति की निजी सम्पत्ति का सम्प्रन्ध है। परन्तु श्रदालत ने पति की निजी सम्पत्ति श्रीर मौरूसी जायदाद में भेद मानना श्रस्वीकार किया।
- क—सोमचन्द सा॰ व मोतीठाल सा॰ इन्दौर हाईकोर्ट इब्तदाई मु॰ · नं॰ ६ सन् १९१४ जो मि॰ जुगमन्दर लाल जैनी के जैन लॉ में छपा है।
- ज्ञ—मौजीलाल ब० गोरी बहू, अप्रकाशित, उस्लिखित ७⊏ इंडि० के० ४६१−४६२, किन्तु इसमें बेवा को पति की निजी सम्पत्ति की पूर्ण स्वामिनी माना है ।

(११), ६४-६७; ग्रह ० ११४-११७।

भावार्थ जब वह मरती है तब उत्तराधिकार उससे प्रारम्भ होता है त्रौर सम्पत्ति उसके क़ुटुम्ब में रहती है, ग्रर्थात् जिस क़ुटुम्ब में वह ब्याही है, पुनः उसके माता पिता के क़ुटुम्बियों को नहीं लौटती (१२)।

जमाई, भाखा ग्रीर सास जैन-लॉ में उत्तराधिकारी नहीं हैं (१३)। ब्यभिचारिग्री विधवा का कोई त्रधिकार दाय का नहीं होता केवल गुज़ारा पा सकती है (१४)। जैन-लॉ में लड़के की बहू भी दायाद नहों है (१५)।

जिस व्यक्ति के और कोई दायाद न हो; केवल एक पुत्रो छोड़-कर मरा हो तो अपने पिता की सम्पत्ति की वह पूर्ण स्वामिनी होगी (१६) । उसके मरने पर उसके अधिकारी, उसके पुत्रादि, उस सम्पत्ति के अधिकारी होंगे (१७) । यदि किसी मनुष्य के कोई निकट अधिकारी नहीं है केवल दोहिता हो तो उसकी पूर्ण सम्पत्ति का अधिकारी दोहिता होगा, क्योंकि नाना और दोहिते में शारीरिक सम्बंध है (१८) । माता का स्ती-धन पुत्री का मिलता है चाहे विवाहिता हो (१८) वा अविवाहिता (२०) । इस विषय में भद्रबा हुसंहिता

(१२) भद़० १७; ग्रह ० ११७; परन्तु देखो छेाटेलाल ब० छन्नूलाल, ४ कल० ७४४ प्री० कौं० जिसमें हिन्दू-लों के त्रनुसार दूसरी भांति का निर्णय हुआ।

(१२) अहँ० ११८। (१४) " ७६। (१४) वर्ष० ३४; अहँ० १०८; जनकृरी ब० अधमल ४७ इंडि० के० २४२। (१६) भद्र० २४; अहँ० ३२। (१६) " २४; " ३२। (१८) औहँ० ३३—३४; भद्र० २७—२८। (१६) " ३३; भद्र० २७। (२०) भट्ट० २७।

श्रीर अर्हत्रीति में कोई मतभेद नहीं माना जा सकता है, क्योंकि त्र्यहेन्नोति को नीयत भ्रविवाहित पुत्रो को वभ्वित रखने की नहीं हो सकती है जब कि अविवाहित पुत्री को विवाहित पुत्री के मुका-बले में सब जगह प्रथम स्थान दिया गया है। अविवाहित पुत्रो का स्त्री-धन उसकी मृत्यु होने पर उसके भाई की मिलता है (२१)। विवाहिता पुत्रियाँ अपनी अपनी माताओं का स्त्री-धन पाती हैं (२२)। यदि कोई पुत्री जीवित न हो तो उसकी पुत्री और उसके श्रभाव में मृतक स्त्रो का पुत्र अधिकारी होगा (२३) । विवाहिता पुत्री के छी-धन का खामी उसके पुत्र के अभाव में उसका पति होता है (२४) । स्त्री-धन के त्रतिरिक्त विधवा की ग्रन्य सम्पत्ति का ग्रधि-कारी उसका पुत्र होगा (२५)। यदि एक से ग्रधिक विधवाएँ हों ते। उन सबकी सम्पत्ति का ग्राधिकारी (उनके पति का) पुत्र होगा (२६) । यह पूर्व कथन किया जा चुका है कि यदि विधवा **अपनी प्रिय प्रत्री के स्नेह वश दत्तक न ले ते। उसकी सम्पत्ति की** अधिकारिग्री वह पुत्री होगी न कि उसके पति के भाई भतीजे (२७)। यह त्र्यधिकार वसीयत के रूप में है जिसके बमुजिब विधवा अपनी सम्पत्ति की अधिकारिग्री किसी पुत्री विशेष को बनाती है । क्येंकि विधवा जैन-नीति के ब्रनुसार पूर्ण स्वामिनी होती है श्रीर वह अपनी सम्पत्ति चाहे जिसको अपने जीवन-काल में तथा

L

मृत्यु-पश्चात् के लिए दे सकती है। जैन क़ानून के अनुसार स्त्री-धन के अतिरिक्त स्त्री की सम्पत्ति उसके भाई भतीजों या उनके सम्बन्धियों को नहीं मिलती है किन्तु उसके पति के भाई भतीजों को मिलती है (२६)। यह नियम भद्रवाहु संहिता के अध्ययन करने से स्पष्ट हो जाता है कि जिसके अनुसार पुत्री के दायाद नियुक्त कियं जाने पर पति के भाई भतीजे दाय से वश्चित हो जाते हैं (२६)।

विभाजित भाई के मरने पर उसकी विधवा अथवा पुत्र के क्रमाब में उसकी सम्पत्ति उसके शेष भाइयों में बराबर वरावर बांट ली जायगी (३०)। परन्तु यदि पुत्र होगा तो वही अधिकारी होगा (३१)। यदि उसने कोई निकट-सम्बन्धी नहीं छोड़ा है तेा उसकी सम्पत्ति का अधिकार पूर्वोक्त क्रमानुसार होगा (३२)।

यदि किसी मनुष्य के पुत्र नहीं है तो जायदाद प्रथम उसकी विधवा को, पुनः मृतक की माता को (यदि जीवित हो) मिलेगी (३३)। भावार्थ यह है कि पुत्र के पश्चात् माता अधिकार-क्रशानुसार दूसरी उत्तराधिकारिग्री है। अर्थात् विधवा और पुत्र देानें के अभाव में सम्पत्ति मृतक की माता को मिलेगी (३४)। यदि विधवा शीलवती है तेा उसके पुत्र हो या न हो वह अपने पति की सम्पत्ति की पूर्ण अधिकारिग्री होगी (३४)। दायभाग की नीति

```
( २८ ) ग्रहं० ८१--८२ |
( २१ ) भद्र ० ६६--८७ ।
( २० ) इन्द्र० ४० |
( २१ ) " २४; वर्घ० ११; ग्रहं० ७४ ।
( २१ ) " ३४; वर्घ० ११; ग्रहं० ७४ ।
( २२ ) " ४१ ।
( २२ ) भद्र० ११०; ग्रहं० ११२ ।
( २४ ) भद्र० १४; " ४४ ।
```

जे। किसी व्यक्ति की मृत्यु पर लागू होती है वही मनुष्य के लापता, पागल और संसार-विरक्त हो जाने पर लागू होती है (३६)। जब किसी व्यक्ति का कुछ पता न चले ते। उसकी सम्पत्ति की व्यवस्था वर्तमान समय में सरकारी कृानून-शहादत के अनुकूल होगी, जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जिसका सात वर्ध तक कुछ पता न लगे मृतक मान लिया जाता है। केवल असाध्य पागलपने की दशा में हो अधिकार का प्रश्न उत्पन्न हो सकता है, किन्तु पागल की व्यवस्था अब सर-कारी क़ानून ऐक्ट नं० ४ सन् १-६१२ के अनुसार होगी। और पागल के जीवन-काल में दाय अधिकार प्राप्त करने का प्रश्न नहीं उठेगा।

दाय-सम्बन्धी सर्वविवादास्पद विषय कानून या स्थानीय रिवाज के अनुसार (यदि कोई द्दो) न्यायालयों द्वारा निर्षय करा लेने चाहिएँ जिससे पुनः फगड़ा न होने पावे (३७)।

यदि किसी पुरुष के एक से अधिक स्त्रियाँ हों ते। सबसे बड़ी विधवा अधिकार पाती है और कुटुम्ब का भरग्र-पोषग्र करती है (३८) । परन्तु यह नियम स्पष्ट नहीं है; अनुमानतः यह नियम राज्य एवं अन्य अविभाज्य सम्पत्ति सम्बन्धी प्रतीत हे।ता है । साधा-राण्तः जैन-नीति का आशय यह प्रतीत हे।ता है कि सब विधवाएँ अधिकारी हें। और प्रबन्ध कम से कम उस समय तक बड़ी विधवा करे जब तक कि वह सब एक दूसरे से राज़ी रहें।

यदि किसी की अनेक स्त्रियों में से किसी के पुत्र हो तो वह सबका अधिकारी होगा (३ -)। अर्थात् वह अपनी माता

(३६) ग्रह°० ४३ व ६१ । (३७) इन्द्र० ३७–३८ । (३८) '' १७ । (३६) मद्र० ४०; ग्राई० ६८ । श्रयवा सौतेली सब मातात्रों की सम्पत्ति को जब जब वह मरेंगी पावेगा (४०)।

राजा का कर्तव्य

यदि किसी मनुष्य का उत्तराधिकारी ज्ञात न हो तो राजा को तीन वर्ष पर्यन्त उसकी सम्पत्ति सुरचित रखनी चाहिए, श्रीर यदि इस बीच में कोई व्यक्ति उसको ग्राकर न माँगे तेा उसे स्वयं ले लेना चाहिए (४१)। किन्तु उस द्रव्य को धार्मिक कार्यों में ख़र्च कर देना चाहिए (४२)। इन्द्रनन्दि जिन संहिता में यह नियम ब्राह्म-यीय सम्पत्ति के सम्बन्ध में उल्लिखित है (४३)। क्योंकि ब्राह्मग्रा की सम्पत्ति को राजा प्रहण नहीं कर सकता है (४४)। परन्तु वर्धमान नीति में यह नियम सर्व वर्णों की सम्पत्ति के सम्बन्ध में है कि राजा को ऐसा धन-धर्म कार्यों में लगा देना उचित है (४४)। तात्पर्य यह है कि ब्राह्मग्रा की सम्पत्ति को उसकी विधवा वा ग्रन्य द्दायादों के ग्रभाव में कोई ब्राह्मग्रा ही प्रहग्रा कर सकता (४४)।

```
( ४० ) ग्राई० ६८ ।
( ४१ ) वर्ध० १७; इन्द्र० ३१ ।
( ४२ ) ग्राई० ७४–७४; वर्ध० ११–१२ ।
( ४२ ) इन्द्र० ३१ ।
( ४४ ) वर्ध० १२; इन्द्र० ३१ ।
( ४४ ) इन्द्र० ४० ।
```

पञ्चम परिच्छेद

स्त्री-धन

३---प्रीतिदान---जे। सम्पत्ति श्वसुर ग्रीर सासु वधू को विवाह-समय देते हैं (४)।

४—ग्रीदयिक (सैादयिक)—जो सम्पत्ति विवाह के पश्चात् माता पिता या पति से मिले (५)।

(3)	भद्र्०	٤0;	वर्ध०	३१-	-84	1
(२)	,,	≂۲;	,,	४०;	ग्रहं०	१३म ।
(n)	,,	द६;	y ,	83;	"	१३६ ।
(8)	,,	ন৩;	37	४२;	,,	380 1
(¥)	"	55;	,,	४३;	,,	3831
(Ę)	"	≂٤;	"	88;	",	१४२ ।

संचेपतः वधू को जो कुछ विवाह समय मिलता है वह सब उसका स्त्री-धन है (०)।

और विवाह के पश्चात् सब कपड़े और गहने जे। उसके। उसके कुटुम्बी जन या श्वसुर के परिवार-जन देते हैं वह सब स्त्री-धन है (⊂)। इसी भाँति गाड़ो और घोड़े की भाँति के पदार्थ भी स्त्री-धन हैं (- 2)। जे। कुछ गहने, कपड़े कोई स्त्री अपने लिए अपने विवाह के समय पाती है और सब जङ्गम सम्पत्ति जे। पति उसके। दे वह सब उसका स्त्रोधन है (१०)। और वह स्वयं ही उसकी स्वामिनी है (११)। किन्तु वह किसी स्थावर-सम्पत्ति की स्वामिनी नहीं है जे। उसे उसके पति ने दी हो। (१२)। यदि पति ने कोई गहने उसके लिए बनने को दे दिए हो। जिनके बनने के पहिले वह (पति) मृत्यु को प्राप्त हो। जाय ते। वह भी उसका स्त्री-धन होंगे (१३)। क्योंकि पति यदि द्रव्य उसको। दे देता और वह स्त्री स्त्रयं गहने बनने को देती ते। वही उसकी स्वामिनी होती न कि पति।

स्त्रो-धन पैत्रिक सम्पत्ति की भांति विभाग योग्य नहीं है (१४) । पिता के किसी कुटुम्बी को कोई ऐसी वस्तु पुनः प्रहष नहीं करनी चाहिए जेा उन्होंने विवाहिता पुत्री को दे दी हो या जेा उसके

श्वसुर के लोगों से उसकी मिली हो (१५)। अकाल के समय अथवा धार्मिक ग्रावश्यकताओं के अतिरिक्त और समय पर उसके स्त्री-धन को कोई अर्थात् पति भी नहीं ले सकता (१६)। धार्मिक कार्यों में दिन-चर्या की पूजा इत्यादि सम्मिलित नहीं हैं। उससे केवल उस आवश्यकता का अर्थ है जे। जाति वा धर्म पर आई हुई आपत्ति के टालने के निमित्त हो। पत्नी का स्त्री-धन पति उस समय भी ले सकता है जब वह कारागार में हो (१७)। परन्तु वह स्त्री-धन को डसी दशा में ले सकता है जब उसके पास कोई और सम्पत्ति न हो (१८)। तो भी यदि पति स्त्री-धन को लेने पर बाध्य हो जावे और उसको वापिस न दे सके ते। वह उसे पुनः देने के लिए बाध्य नहीं है (१८)।

स्त्रों को अपने स्त्री-धन के व्यय करने का अपने जीवन में पूर्य अधिकार है (२०)। वह उसको अपने भाई-भतीजों को भी दे सकती है (२१)। ऐसा दान साची द्वारा होना चाहिए (२१)। परन्तु यह नियम आवश्यकीय नहीं है। यदि इस विषय पर कोई भगड़ा उठे ते। उसका निर्यय पंचायत या न्यायालय द्वारा होगा (२२)।

स्त्री के मरग्रा पश्चात् उसका स्त्री-धन उसके निकट सम्बन्धियों इपर्यात् पुत्री, दोहिता श्रीर देहित्रियों के स्रभाव में उसके पुत्र को

```
( १२ ) ग्राहे० ८१ ।
( १६ ) भद ० ६०; वर्ध० ४१-४६ ।
( १७ ) ग्राहे० १४१ ।
( १८ ) वर्ध० ४६; ग्राहे० १४१ ।
( २१ ) वर्ध० ४६-११ ।
( २१ ) " ४१-१० ।
( २२ ) " १०-११ ।
```

मिलेगा और उसकी बहिन की पुत्री को भी मिल सकता हैं (२३)। यदि स्त्री संतान-हीन मर जाय तेा उसका धन पति को मिलेगा (२४)। विवाहिता पुत्रियाँ अपनी-अपनी माताओं के स्त्री-धन को पाती हैं (२५)। विवाहिता स्त्री का स्त्री-धन उसके पिता तथा पिता के कुटुम्बी जनों को नहीं लेना चाहिए (२६)।

```
(२३) इन्द्र० १४ व ४१।
(२४) सद्द० २१; वर्घ० १३।
(२१) इन्द्र० १४।
(२६) अह<sup>°</sup>० म१।
```

षष्ठ परिच्छेद

भरण-पाषण (गुज़ारा)

निम्नाङ्कित मनुष्य भरग-पोषग पाने के अधिकारी हैं----

१—जीवित तथा मृतक बालक (१), भ्रर्थात् जीवित बालक श्रीर मृतक पुत्रों की सन्तान तथा विधवाएँ, यदि कोई हों।

२---वह मनुष्य जे। भागाधिकार पाने के अयोग्य हें। (२) |

३—सबसे बड़े पुत्र के सम्पत्ति पाने को ग्रवस्था में ग्रन्य परिवार (३)।

५—विभाग होने के पश्चात उत्पन्न हुए भाई जब कि पिता की सम्पत्ति पर्याप्त न हो (५)। परन्तु ऐसी दशा में केवल विवाह करा देने तक का भार बड़े भाइयों पर होता है। विवाह में स्वभा-वत: कुमार अवस्था का विद्याध्ययन और भरण पेषिण भी शामिल समभना चाहिए।

६—विधवा बहुएँ उस ग्रवस्था में जब वह सदाचारिग्री श्रीर शीलवती हों (६) !

(१) ग्रह ० ६।
(२), ६; मद० ७०; इन्द्र० १२---१४, ४२; वर्घ० ४२।
(२), २४; ,, १००।
(४) मद० १६; इन्द्र० २६; वर्घ० ६।
(४), १०६।
(६) ग्रह ० ७७।

. ÷

७—-ऐसी विधवा माता जिसको व्यभिचार के कारख दायभाग नहीं मिला हो (७)।

प—तीनेां उच्च वर्षों' के पुरुषों से जेा शूद्र स्त्री के पुत्र हों (⊏) । रु—माता (रु) ग्रीर पिता जब वह दायभाग के ग्रयोग्य हेंा (रु) ।

१०---दासीपुत्र (१०)

सम्पत्ति पानेवाले का कर्तव्य है कि वह उन मनुष्यां का भरग पेषग करे जे। गुज़ारा पाने के अधिकारी हों (११)। सामान्यतः सब बच्चे चाहे वह उत्पन्न हो। गये हें। अथवा गर्भ में हें। और सब मनुष्य जे। कुटुम्ब से सम्बन्ध रखते हैं कौटुम्बिक सम्पत्ति में से भरग-पेषग पाने के अधिकारी हैं (१२)। और परिवार की पुत्रियों के विवाह भी उसी सम्पत्ति से होने चाहिएँ (१३)। वयः प्राप्त पुत्र मरग पेषग के अधिकारी नहीं हैं चाहे वह अस्वस्थ ही हें। (१४)। जे। युवतियां विवाह द्वारा अपने परिवार में आ जावें (अर्थात बहुएँ) वह सब भरग-पोषग पाने का अधिकार रखती हैं. चाहे उनके सन्तान हे। अथवा न हो; परन्तु उसी अवस्था में कि उनके पति सम्मि-

लित रहते हों (१५)। यदि उनमें से कोई व्यभिचारिग्री है तो घर से निकाल दी जायगी (१६)। किन्तु यदि विधवा माता व्यभिचार सेवन करती है तेा भी डसके पति के भाई-भतीजे श्रीर पुत्र पर उसके भरग्रपोषग्र का दायित्व होगा; परन्तु वह दाय की भागी न होगी (१७)।

माता के गुज़ारे में वह व्यय भी सम्मिलित होगा जो उसे धार्मिक कियाओं के लिए आवश्यक हो (१८)। भावार्थ तीर्थ-यात्रा आदि धार्मिक आवश्यकताओं के लिए पुत्र तथा विधवा पुत्र-वधू से, जिसके हस्तगत सम्पत्ति हो, विधवा माता ख़र्चा माने की अधिकारिणी है।

पुत्रियों के विवाह-व्यय की सीमा के सम्बन्ध में कुछ मत-भेद है जे अनुमानतः इस कारण से है कि कोई नित्य ग्रीर अविचल नियम इस विषय में नियुक्त नहीं हो सकता जिसका व्यवहार प्रत्येक अवस्था में हो सके । भद्रबाहु संदिता के अनुसार सब भाइयों को अपने अपने भाग का चतुर्थांश सहोदर वहिनें की शादी के लिये अलग निकाल देना चाहिए (१६)। वर्धमान नीति तथा अर्हजीति दोनों में यही नियम मिलता है (२०)। परन्तु इन्द्रनन्दि जिन संहिता के अनुसार यदि देा भाई ग्रीर एक अविवाहिता बहिन हों तो दाय-सम्पत्ति के तीन समान भाग करने चाहिएँ (२१) यदि यह भाग

```
( १२ ) ग्रह`० ७७ ।
( १६ ) ,, ७७ ।
( १७ ) ,, ७६ ।
( १८ ) भद्र० ७७ ।
( १८ ) ,, ११ ।
( २० ) वर्ध० १; ग्रह`० २२ ।
( २१ ) इन्द्र० २१ ।
```

समान हैं तो पुत्री को सर्व सम्पत्ति का एक तिहाई मिलेगा। परन्तु इसका थ्राशय यह मालूम पड़ता है कि विवाह के व्यय का अनुमान सामान्यतः इसके ही सीमान्तर होगा। दासीपुत्रों के भरग-पेषिग की सीमा उनके पिता की सम्मति पर है जब तक वह जीवित है (२२)। श्रीर पिता के पश्चात् वह असली पुत्रों से अर्घभाग तक पा सकते हैं, यदि पिता ने उनके गुज़ारे का कोई अन्य प्रबन्ध न कर दिया हो (२३)।

यदि किसी विधवा ने कोई पुत्र गोद लेकर उसी केा अधिकार दे दिया है ते। वह गुज़ारा पाने तथा दत्तक की कुमारावस्था में उसकी संरचिका होने की अधिकारिग्री होगी (२४)। पुत्र भी माता से गुज़ारे का अधिकारी है (२५)। यह अनुमानतः तभी होगा जब कि पिता की सम्पत्ति माता ने पाई हो। तो भी सद्व्यव-हार के अनुसार माता अपने बच्चों का भरग्र पोषग्र करने पर बाध्य ही है, यदि वह ऐसा करने की सामर्थ्य रखती हो।

सतम परिच्छेद

संरक्षकता

जा पुत्र तथा पुत्रियाँ वयःप्राप्त नहीं हैं डनकी संरचकता के अधि-कारी नीचे लिखे मनुष्य कमानुसार हेंागे (१)—


१--पिता। २--पितामहः ३--भाई। ४--चचा। ४--पिता का गेत्रज्ञ। ६---धर्मगुरु। ७---नाना। ८---मामा।

यह कम विवाह के सम्बन्ध में है (१)। बड़े भाइयें के साथ छोटे भाइयें को रहने की आज्ञा है (२) और बड़े भाई का कर्त्तव्य है कि पिता के समान उनके साथ व्यवहार करे (३)। विभाग होने के पश्चात् भी यदि कोई भाई उत्पन्न हो जाय ते। बड़े भाइयें की उसका विवाह करना चाहिए (४)। छोटी बहिनें की संरचकता, उनके विवाहित होने तक, पिता के ग्रभाव में, बड़े भाइयें की प्राप्त होती है (५)। यदि किसी विवाहिता पुत्री के पति के कुटुम्ब में उसकी रचा और उसकी सम्पत्ति की देखभाल करनेवाला कोई न हो ते। उसके पिता के कुटुम्ब का कोई ग्रादमी संरचक होगा (६)। यदि माता जीवित है और कोई छोटी लड़की या लड़का उसके साथ ग्रीर ग्रपने अन्य भाइयें से प्रथक रहता हो। या और भाई

न हों ते। उसकी संरचकता उसकी माता को प्राप्त होगी (७)। यदि उन्मत्तता, असाध्य रोग, आसेब या इसी प्रकार के किसी अन्य कारण वश कोई विधवा अपनी सम्पत्ति की रचा करने के अयेगय हो ते। उसकी रचा उसके पति का भाई, भतीजा या गोत्रज, और उनके अभाव में पड़ोसी करेगा (⊂)। परन्तु अब असमर्थ और रचक का विषय सरकारी क़ानून गार्डियन्ज़ एण्ड वार्ड्ज़ ऐकृ के अनुसार निर्धीय होगा। पागलों का क़ानून असमर्थ और अयेग्य मनुष्येां के कोर्ट का क़ानून तथा इसी प्रकार के विषय सम्बन्धी कुानून भी अपने अपने मौके पर लागू होंगे।

जैन-लॉ में इस अधिकार को स्वीकार किया गया है कि कोई मनुष्य अपने जीवन-काल में वसीअत द्वारा अपनी सम्पत्ति का कोई प्रबन्धक नियत कर दे जे। उसकी विधवा एवं उसकी सम्पत्ति की रचा करे (-5) ऐसा नियुक्ति-पत्र साचियों द्वारा पंचें। या सरकार से रजिस्टरी कराना चाहिए (१०) । यदि सिपुर्ददार सम्पत्ति के स्वामी की मृत्यु के पश्चात् विश्वासघाती हे। जावे ते। विधवा को अधिकार होगा कि अदालत द्वारा उसे प्रथक करा दे थ्रीर उसके स्थान पर अन्य पुरुष को नियुक्त करा दे (११) । वर्धमान नीति के अनुसार वह स्वयं भी उस प्रबन्धक की जगह अपनी सम्पत्ति का प्रबन्ध कर सकती है (१२) । प्रबन्धक का कर्तव्य है कि वह सम्पत्ति की देखभाल पूर्श सावधानो

से करे ताकि सम्पत्ति सुरचित रहे और परिवार-जने का निर्वाह भली भाँति हे। सके (१३) । यदि विधवा ने प्रबन्ध-कार्य का दायत्व स्वयं ग्रपने ऊपर ले लिया है ते। उसको। (नियुक्ति-पत्र या वसीयत के अनुसार) उस सम्पत्ति को दान करने, गिरवी रखने तथा बेच देने का ग्रावश्यकतानुसार अधिकार हे।गा (१४) । यदि काई श्रीरस या दत्ताक पुत्र हो। ते। वह उसके इस प्रकार सम्पत्ति को। व्यय करने में बाधक नहीं हे। सकता (१४); क्योंकि विधवा के। वह सब ग्रधि-कार हैं जे। सिपुर्ददार को। होते, तथा उसको। धार्मिक कार्यी अथवा व्यापार सम्बन्धी आवश्यकतात्रों में उस सम्पत्ति को। दानकर देने, गिरवी रखने श्रीर बेचने का अधिकार प्राप्त है (१६) ।



अष्टम परिच्छेद

रिवाज

रिवाज कई प्रकार के होते हैं, साधारग्रा व विशेष, अर्थात् जातीय, कौटुम्बिक और स्थानीय । प्रत्येक मुक़दमे में इनको गवाहों से साबित करना पड़ता है । कौटुम्बिक रिवाज के साबित करने के लिए बड़ी प्रमाणित साचो की आवश्यकता होती है । आजकल कानून के अनुसार न्यायालयों में जैन-जाति के मनुष्यों के मनगड़े रिवाज-विशेष के अनुसार निर्णय किये जाते हैं (१)। रिवाज-विशेष के अभाव में हिन्दू-क़ानून लागू होता है (२)। रिवाज-विशेष के अभाव में हिन्दू-क़ानून लागू होता है (२)। हिन्दू-क़ानून का वह भाग जा द्विजों के लिए है जैनियों के लिए लाग माना गया है (३)। बम्बई प्रान्त में एक मुक़दमे में एक मृतक पुरुष की बरसी के सम्बन्ध में भी हिन्दू-क़ानून लागू किया गया था यद्यपि बरसी का जैन-जाति में रिवाज नहीं है और वह जैन सिद्धांत के नितान्त बाहर व विरुद्ध है। परन्तु उस मुक़दम में विधवा एक ओर और दूसरी ओर मृतक का अल्पवयस्क पुत्र था और सम्पत्ति

(१) शिवसिंह राय ब॰ सु॰'दाखो १ इला॰ ६८८ प्री॰ कैां॰; मानक-चन्द गुलेचा ब॰ जगत्सेठानी प्राणकुमारी बीबी १७ कल॰ ४१८।

(२) अम्बाबाई ब॰ गोविन्द २३ बम्बई २४७; छोटेलाल ब॰ छन्नुलाल ४ कल॰ ७४४ प्री॰ कैां॰, और देखो अन्य मुक्दमे जिनका पहिले उल्लेख किया जा चुका है।

(३) ग्रम्वाबाई व० गोविन्द २३ बम्बई २४७ । ६ कि उनके मुक़दमे से हिन्दू-क़ानून लागू होता है (४) । धर्म-परि-वर्तन का, अर्थात् किसी जैनी के हिन्दू-धर्म खाकार कर लेने से उसके स्वत्वों पर कोई असर नहीं पड़ता (५)। एक मुक़दमे में, जे। तआ्जौर में हुन्रा था, जहाँ एक जैन विधवा ने जिसके कुटुम्बी जन किसी समय में हिन्दू थे अपने पति की ब्राज्ञा के बिना पुत्र गोद ले लिया था, यह निर्णय हुआ था कि हिन्दू-क़ानून लागू <mark>होता है</mark> और दत्तक नीति-विरुद्ध है (६) । यह मुक्**दमा एक** पहिले मुक़दमे से इस कारख असहधर्मी क़रार दिया गया था कि उसमें धर्म-परिवर्तन मुक़दमा चलने से सैकड़ों वर्ष पूर्व हो चुका **था**; और अनुमानतः उससे भी पहिले हे। चुका था जब कि हिन्दू-लॉ का वह भाग, जेा उस स्थान पर मुकुदमे के समय चालू था, रचा गया होगा (७)। बङ्गाल के एक पुराने मुकदमे में हिन्दू-कानून का स्थानीय नियम जैनियें। को लागू किया गया था, अर्थात् हिन्दू-कानून की वह शाखा जिसका उस स्थान में रिवाज था जहाँ सम्पत्ति वाक़े थी जैनियों को लागू की गई थी (<) । परन्तु इसके पश्चात् एक त्रौर मुक़दमे में, जिसका जुडीशल कमिश्तर नागपुर ने निर्ग्य किया, इस फ़ैसले का अर्थ यह समभा गया कि स्थानीय

(४) सुन्दरजी दामजी व० दाही बाई २१ बम्बई ३१६ = ६ वम्बई छॉ-रिपोर्टर १०४२।

(१) मानकचन्द गुलेचा व० ज० से० प्राणकुमारी ३७ कल० ११८ । (६) पेरिया अम्मानी ब० कृष्णास्वामी १६ मद्रास १८२ ।

(७) रिथुचरण लाला ब॰ सूजनमल लाला १ मद॰ ज्युरिस्ट २१।

(८) महावीरप्रसाद ब० मु० कुन्दन कुँवर ८ वीक्षी रिपोर्टर ११६; इसका प्री० कैंगं० का फ़ैसला नं० २१ वीक्षी रिपोर्टर पृ० २१४ और उसके पश्चात् के पृष्ठों पर दिया है (दुर्गाप्रसाद ब० मु० कुन्दन कुँवर) । नियम उसी अवस्था में लागू होगा जब कि किसी दूसरे नियम या क़ानून का होना प्रमागित न हो (-)।

अव यह नियम सिद्ध हो गया है कि एक स्थान का रिवाज दूसरे स्थान के रिवाज का प्रमाणित करने के लिए साबित किया जा सकता है और प्रासङ्गिक विषय है (१०)। यह भी माना जायगा कि हिन्दुओं की भाँति जैनी लोग भी एक स्थान से दूसरं स्थान को अपने रीति-रिवाज साथ ले जाते हैं, जब तक कि यह न दिखाया जाय कि पुराने रिवाज छोड़कर स्थानीय रिवाज प्रहण कर लिये गये हैं (११)।

रिवाज प्राचोन, निश्चित, व्यवहृत और उचित होने चाहिएँ। सदाचार के प्रतिकूल, सरकारी कानून के विरुद्ध और सामाजिक नीति (public policy) के द्रोही रिवाज उचित नहीं समम्हे जायेंगे। गवाहों की निजी सम्मति की अपंचा उदाहरणों और भगड़ेवाले मुक़दमों के फ़ैसलों का मूल्य रिवाज को साबित करने के लिए अधिक है। ऐसा रिवाज जेा न्यायालयों में बार बार प्रमाणित हो चुका है कानून का अंश बन जाता है और प्रत्येक मुक़दमे में उसके साबित करने की आवश्यकता नहीं रहती है (१२)।

(१) ज़ कूरी ब० बुद्धमल ४७ इंडि० के० २४२ ।

(१०) हरनाभप्रसाद ब० मंडिलदास २७ कल० ३७६; अम्बाबाई ब० गोविन्द २३ बम्बई २४७।

(१९) ज़ंकूरी व० बुद्धमल ४७ इंडि० के० २४२; अम्बाबाई व० गोविन्द २३ बम्बई २४७ ।

(१२) मु० सानेा ब० मु० इन्द्राणी बहू ७८ इंडि० के० ४६५ नागपुर।

हितीय भाग

त्रैवर्णिकाचार

ग्यारहवाँ ऋध्याय

ग्रन्यगेत्रभवां कन्यामनातङ्कांसुलचग्राम् ।

ग्रायुष्मतौं गुगाढ्यां च पितृदत्तां वरेद्वर: ॥ ३ ॥

जो अन्य गोत्र की हो, रेागरहित हो, उत्तम लच्चगोंवाली हो, द्वीर्घ आयुवाली हो, उत्तम गुग्रों से भरी पुरी हो और अपने पिता द्वारा दी जावे, ऐसी कन्या के साथ विवाह करे ॥ ३॥

वरोऽपि गुणवान श्रेष्ठो दीर्घायुर्व्याधिवर्जित: ।

सुकुली तु सदाचारी गृद्यतेऽसौ सुरूपक: ॥ ४ ॥

वर भी गुग्रवान, श्रेष्ठ, दीर्घ आयुवाला, निरोगी, उत्तम कुल का, सदाचारी श्रीर रूपवान होना चाहिए ॥ ४ ॥

पादेऽपि मध्यमा यस्याः चितिं न स्पृशति यदि ।

हैं पूरुपावतिक्रम्य सा तृतीये न गच्छति ॥ २० ॥

जिसके पैर की बिचली उँगलो ज़मीन पर न टिकती हो ते। समफना चाहिए कि वह देा पुरुषों को छे।ड़कर तीसरे के पास नहीं जायगी ।। २० ।।

यस्यास्त्वनामिक हस्वा तां विदुः कलद्वप्रियाम् ।

भूमिं न स्पृशते यस्याः खादते सा पतिद्वयम् ॥ २४ ॥

जिसके पैर की अनामिका उँगली छोटी हेा उसे कलहकारिग्री समभो और उसकी वह उँगली यदि ज़मीन पर न टिकती हो ते। समभो कि वह कन्या देा पतियें। को खायगी ॥ २४ ॥ इत्थं लचगासंयुक्तां षडप्राशिवर्जिताम् ।

वर्षविरुद्धासंयक्तां सुभगां कन्यकां वरेत् ॥ ३५ ॥

जो ऊपर कहे हुए शुभ लचागों से युक्त हो, पति की जन्म-राशि से जिसकी जन्म-राशि छठवीं या आठवीं न पड़ती हो, श्रीर जिसका वर्ग्य पति के वर्ग्य से विरुद्ध न हो, ऐसी सुभग कन्या के साथ विवाह करना चाहिए ।। ३५ !।

रूपवती खजातीया स्वतेालघ्वन्यगात्रजा।

भेक्तुं भोजयितुं येग्या कन्या बहुकुटुम्बिनी 🗉 ३६ 🗉

जो रूपवती हो, अपनी जाति की हो, वर से आयु और शरीर में छोटी हो, दूसरे गेत्र की हो; और जिसके कुटुंब में वहुत से स्नी-पुरुष हों, ऐसी कन्या विवाह के योग्य होती है ॥ ३६ ॥

सुतां पितृष्वसुश्चैव निजमातुलकन्यकाम् ।

स्वसारं निजभार्यायाः परिखेता न पापभाक् ॥ ३७ ॥

बूत्र्या की लड़की के साथ, मामा की कन्या के साथ और साली के साथ विवाह करनेवाला पातकी नहीं है ॥ ३७ ॥

पुत्रो मातृभगिन्याश्च खगेत्रजनिताऽपि वा । श्वश्रूष्वसा तथैतासां वरीता पातकी स्मृतः ॥ ३८ ॥ ग्रपनी मैसिा की लड़की, अपने गोत की लड़की तथा ग्रपनी सास की बद्दन के साथ विवाह करनेवाला पातकी माना गया है ॥ ३८ ॥ स्ववयसेाऽधिकां वर्षेंरुन्नतां वा शरीरतः । गुरुपुत्रीं वरेन्नैव मातृवत्परिकीर्तिता ॥ ४० ॥ अपने से उमर में बड़ी हो, अपने शरीर से ऊँची हो तथा गुरु की पुत्रों हो तो इनके साथ विवाह न करें। क्योंकि ये माता के समान मानी गई हैं। ४०॥

वाग्दानं च प्रदानं च वरणंपाणिपीडनम्।

सप्तपदोति पब्चाङ्गो विवाहः परिकीर्तितः ॥ ४१ ॥

वाग्दान, प्रदान, वरण, पाणिप्रहण श्रीर सप्तपदी, ये विवाह के पाँच ब्रङ्ग कहे गये हैं ॥ ४१ ॥

नाट—वाग्दान सगाई को कहते हैं, प्रदान ज़ेवर थ्रौर कपड़े वग़ैरह का वर का तरफ़ से कन्या को भेंट करना होता है। वरख वर थ्रीर कन्या के वंश का वर्षन है जो विवाह के समय होता है। पाणिप्रहण या पाणिपीड़न हाथ मिलाने का कहते हैं थ्रीर सप्तपदी भाँवर है।

ब्राह्यो दैवस्तथा चार्धः प्राजापत्यस्तथाऽऽसुरः ।

गान्धर्वो राच्तसश्चेव पैशाचश्चाष्टमेाऽधर्मः ॥ ७० ॥

त्राह्य विवाह, दैव विवाह, आर्थ विवाह और प्राजापस विवाह, ये चार धर्म्य विवाह हैं। श्रीर आसुर विवाह, गान्धर्व विवाह, राचस विवाह श्रीर पैशाच विवाह, ये चार अधर्म्य विवाह हैं। एवं विवाह के आठ भेद हैं। ७० ॥

त्राच्छाद्य चाईयित्वा च श्रुतशीलवते स्वयम् ।

त्राहूय दानं कन्यायाः ब्राह्मो धर्मेः प्रकीर्तितः ॥ ७१ ॥

विद्वान और सदाचारी वर केा स्वयं बुलाकर उसको और कन्या को बहुमूल्य आभूषग्र पहनाकर कन्या देने को ब्राह्म विवाह कहते हैं ॥ ७१ ॥

यज्ञे तु वितते सम्यक् जिनार्चाकर्म कुर्वते । अलंकृत्य सुतादानं दैवेा धर्मः प्रचच्च्यते ॥ ७२ ॥ जिन-पूजा रूप मद्दान अनुष्ठान की समाप्ति होने पर जिनार्ची करानेवाले सधर्मी पुरुष को वस्त्र-ग्रामूपर्यों से विभूषित करके कन्या के देने को दैव विवाह कहते हैं ॥ ७२ ॥

एकं वस्त्रयुगं द्वे वा वरादादाय धर्मतः ।

कन्या प्रदानं विधिवदार्षो धर्मः स उच्यते ॥ ७३ ॥

एक या देा जोड़ो वस्त्र वर से कन्या को देने के लिए धर्म निमित्त लेकर विधि पूर्वक कन्या देना ग्रार्ष विवाह है ॥ ७३ ॥

नेाट—कहीं कहीं 'वस्त्रयुगं' के बजाय 'गेामिथुनं' का पाठ भी झाया है जिसका अर्थ एक गाय ब्रीर बैल का है ।

सहोभें। चरतां धर्ममिति तं चानुभाष्य तु ।

कन्याप्रदानमभ्यच्र्यं प्राजापत्यो विधिः स्मृतः ॥ ७४ ॥

'तुम दोनों साथ-साथ सद्धर्म का ग्राचरण करेा', केवल ऐसे ग्राशीर्वाद के साथ कन्या के ब्याइ देने को प्राजापत्य विवाह कहते हैं ॥ ७४ ॥

ज्ञातिभ्यो द्रविशं दत्वा कन्याये चैव शक्तित: ।

कन्यादानं यत्कियते चासुरो धर्म उच्यते ॥ ७५ ॥

कन्या के पिता त्रादि के। कन्या के लिए यथाशक्ति धन देकर कन्या लेना त्रासुर विवाह है ॥ ७४ ॥

स्वेच्छयाऽन्येान्यसंयोगः कन्यायाश्च वरस्य च ।

गान्धर्वः स तु विज्ञेये। मैथुन्यः कामसम्भवः ॥ ७६ ॥

वर स्रीर कन्या का अपनी इच्छापूर्वक परस्पर आलिङ्गनादि रूप संयोग गान्धर्व विवाह है। यह विवाह कन्या स्रीर वर की अभिलाषा से होता है। अत: यह मैथुन्य—कामभोग के लिए होता है॥ ७६॥ हत्वा भित्वा च छित्वा च क्रोशन्तीं रुदन्तीं गृहात् ।

प्रसद्ध कन्याहरणं राचसे। विधिरुच्यते ॥ ७७ ॥ कन्या के पत्त के लोगों के। मारकर, उनके अङ्गोपाङ्गों के। छेद-कर, उनके प्राकार (परकोटा) दुर्ग आदि के। ते।ड़-फोड़कर चिन्नाती हुई और रोती हुई कन्या के। ज़बर्दस्ती से हरण करना राचस विवाह है ॥ ७७ ॥

सुप्तां मत्तां प्रमत्तां वा रहेा यत्रोपगच्छति ।

स पापिष्ठो विवाहानां पैशाचः कथिते। प्रिमः ॥ ७८ ॥

सोई हुई, नशे से चूर,अपनेशील की संरचा से रहित कन्या के साथ एकान्त में समागम करके विवाह करना पैशाच विवाह है जो पाप का कारया है। यह त्र्याठवीं किस्म का विवाह है।।७८॥ पिता पितामहेा आता पितृब्ये। गोत्रियो गुरु:।

मातामहो मातुले। वा कन्याया बान्धवा: क्रमात् ॥ ८२ ॥

पिता, पितामह, भाई, पितृव्य (चाचा), गोत्रज मनुष्य, सुरु, माता का पिता श्रीर मामा ये कन्या के क्रम से बन्धु (वर्ला) हैं।।८२।।

पित्र्यादिदात्रभावे तु कन्या कुर्यात्स्वयंवरम् ।

इत्येवं केचिदाचार्याः प्राहुर्महति सङ्कटे ॥ ८३ ॥

विवाह करनेवाले पिता, पितामह त्रादि न हें।, ते। ऐसी दशा में कन्या खयं त्रपना विवाह करे । ऐसा कोई-कोई त्राचार्य कहते हैं । यह विधि महासंकट के समय समफना चाहिए ॥ ८३ ॥

तावद्विवाहो नैव स्याद्यावत्सप्तपदी भवेत् ।

तस्मात्सप्तपदी कार्या विवाहे मुनिभिः स्मृता ॥१०५॥

जब तक सप्तपदी (भावर) नहीं होती तब तक विवाह हुआ नहीं कहा जाता। इसलिए विवाह में सप्तपदी ग्रवश्य होनी चाहिए, ऐसा मुनियों का कहना है ॥१०४॥ नेाट----सप्तपदी जिसका अर्थ सात पद या सात वार प्रहण करने का है पवित्र अग्नि के गिर्द सात बार फेरे लेने को कहते हैं। अगिन वैराग्य का रूपक है, इस कारण सप्तपदी का गृढ़ार्थ यही है कि जिससे दूल्हा दुलहिन के हदय पर यह बात सात मर्तबा, याने पूरे तौर से, अंकित कर दी जावे कि विवाह का असली अभिप्राय धर्म-साधन है न कि विषय सेवन ।

चतुर्थी मध्ये ज्ञायन्ते देाषा यदि वरस्य चेत् ।

दत्तामपि पुनर्दचात्पिताऽन्यस्मै विदुर्चुधाः ॥१७४॥

चैौथो में यदि कोई देेाष वर में मालूम हो जायँ ते^क दी हुई कन्या को भी उसका पिता किसी दूसरे वर को दे, ऐता वुद्धि-मानेंा का मत है ॥ १७४ ॥

प्रवरैक्यादिद्देाषः स्युः पतिसङ्गादधो यदि ।

दत्तामपि हरेददयादन्यस्मा इति केचन ॥१७५॥

अथवा किन्हां-किन्हीं ऋषियेां का ऐसा भी मत है कि यदि पति-संग से प्रवरेंक्यादि देाष मालूम हो ते। कन्यादाता कन्या के। उस वर को न देकर किसी अन्य वर को दे ॥१७५॥

कलें। तु पुनरुद्वाहं वर्जयेदिति गालवः।

कस्मिश्चिद्देश इच्छन्ति न तु सर्वत्र केचन ॥ १७६ ॥

गालव ऋषि कहते हैं कि कलियुग में पुनर्विवाह का निषंध है । इसके अतिरिक्त यह किसी-किसी देश में ही होता है, सर्वत्र नहीं होता ॥१७६॥

ग्रप्रजां दशमे वर्षे स्त्रोप्रजां द्वादशे त्यजेत् ।

मृतप्रजां पञ्चदशे सद्यस्त्वप्रियवादिनीम् ॥१-६७॥

दसवें वर्ष तक जिस स्त्री के सन्तान न हो तेा उसके होते हुए दूसरा विवाह करें । जिसके केवल कन्याएँ हो होती हेंा तेा बारह वर्ष को बाद दूसरा विवाह करे, जिसके सन्तान हो को मर जाती हो उसके होते हुए १४ वर्ष के बाद फिर विवाह करे । श्रीर श्रप्रिय-वादिनी की उपस्थिति में तत्काल दूसरा विवाह करे ॥१८७॥

सुरूपां सुप्रजां चैव सुभगामात्मनः प्रियाम् ।

धर्मानुचारिणीं भार्थां न खजेद् गृहसद्वती ॥१६६॥

रूपवतो, पुत्रवती, भाग्यशालिनी, अपने को प्रिय और धर्मातु-चारिग्री भार्यो के होते हुए दूसरा विवाह नहीं करना चाहिए ॥१८८॥ अक्टरबाईकविवाहं तु एतीयां यदि चोद्वहेत् ।

विधवः सा भवेत्कन्या तस्मात्कार्यः विचचणा ॥२०४॥

अर्कविवाह किये बिदून तीसरा विवाह समभदार मनुष्य को नहीं करना चाहिए । यदि ऐसा नहीं किया जावेगा ते। कन्या विधवा के समान होगी ॥२०४॥

श्रो भद्रबाहुसंहिता

दायभाग

संसृतौ पुत्रसद्भावो भवेदानन्दकारकः

यदमावे वृथा जन्म गृह्यते दत्तको नरैः ॥ १ ॥

ग्रर्थ--संसार में पुत्र का सद्धाव (होना) ऐसा आनन्दकारक है कि, जिसके अभाव में जन्म ही व्यर्थ समभा जाता है । इसलिए औरस पुत्र के अभाव में मनुष्य दत्तक पुत्र ग्रहण करते हैं ॥ १ ॥

बहवो भ्रातरो यस्य यदि स्युरेकमानसाः ।

महत्पुण्यत्रभावोऽयमिति प्रोक्तं महर्षिभिः ॥ २ ॥

ग्रर्थ—यदि किसी के बहुत से भाई एक चित्तवाले हों ते। इसको उसके वड़े भारी पुण्य का प्रभाव समफना चाहिए, ऐसा महर्षियों ने कहा है।। २।।

पुंण्ये न्यूनं भ्रातरस्ते दुह्यन्ति धनलोभतः ।

त्रापत्तौ तन्निवृत्यर्थे दायभागो निरूप्यते ॥ ३ ॥

अर्थ---पुण्य के न्यून होने पर वे बहुत से भाई धन के लोभ से परस्पर द्रोह भाव का प्राप्त होते हैं, अर्थात् श्रापस में लड़ते-फगड़ते हैं। ऐसी त्रापत्ति में उसके (वैर भाव के) निवारण करने के लिए यह दायभाग निरूपित किया जाता है। ३ ॥

पित्रोस्द्र्घ्वं भ्रातरस्ते समेख वसु पैठकम् । विभजेरन् समं सर्वे जीवतो पितुरिच्छया ॥ ४ ॥ च्रर्थ—माता-पिता की मृत्यु के पश्चात् वे सब भाई पैत्रिक सम्पत्ति को एकत्र करके बराबर बराबर बाँट लें । परन्तु उनके जीते जी पिता के इच्छानुसार ही प्रहण्ड करें ॥ ४ ॥

ज्येष्ठ एव हि गृह्णीयात्पित्र्यं धनमशेषतः ।

ग्रन्ये तदनुसारित्वं भजेयुः पितरं यथा ॥ ५ ।;

ध्यर्थ--पिता का सम्पूर्ण धन ज्येष्ठ (बड़ा) पुत्र ही ग्रहण करता है; रोष छोटे पुत्र उस अपने बड़े भाई को पिता के समान मानके उसकी त्राज़ा में रहते हैं ।। ४ ।।

प्रथमेत्पन्नपुत्रेग पुत्रो भवति मानवः।

पुनर्भवन्तु कतिचित्सर्वस्याधिपतिर्महान् ॥ ६ ॥

ग्रर्थ---प्रथम उत्पन्न हुए पुत्र से मनुष्य पुत्री* ग्रर्थात् पुत्रवान् होता है, श्रीर पीछे से कितने ही पुत्र क्यों न पैदा हों परन्तु उन सबका ग्रधिपति वह बड़ा पुत्र ही कहलाता है ॥ ६ ॥

र्यास्मन् जाते पितुर्जन्म सफलं धर्मजे सुते ।

पापित्वमन्थया लोका वदन्ति महदद्भतम् ॥ ७ ॥

अर्थ—जिस धर्मपुत्र के उत्पन्न होने से पिता के जन्म को लोक सफल कहते हैं उसी के न होने से उसको पापी कहते हैं। यह बड़ा ग्राश्चर्य है।। ७।।

पुत्रेग स्यात्पुण्यवत्त्वमपुत्र: पापभुग्भवेत् ।

पुत्रवन्ते। ५त्र दृश्यन्ते पामराः कणयाचकाः ॥ ५ ॥

अयेष्ठेन जातमात्रेग पुत्री भवति मानवः । —मनुस्मृति ग्र० ६, श्लो० ६ । पूर्वजेनतु पुत्रेग अपुत्रः पुत्रवान् भवेत् । —ग्र्यर्हन्नीति श्लो० २३ । दृष्टास्तीर्थकृतेाऽपुत्रा पञ्चकल्याग्रभागिनः ।

देवेन्द्रपूज्यपादाब्जा लोकत्रयविलेकिनः ॥ - ॥

श्रर्थ—श्रनेक लोग इस लोक में पुत्र से पुण्यवान कहे जाते हैं श्रीर पुत्रहीन पापी कहे जाते हैं। परन्तु बहुतेरे पुत्रवान नीच श्रीर दाने माँगते हुए देखे जाते हैं, तथा पुत्र-रहित पञ्च कल्याय के भागी देवेन्द्रों से पूज्य हैं चरयकमल जिनके श्रीर तीन लोक के देखनेवाले तीर्थडूर भी देखे जाते हैं।। प्र—र्ट।

ज्यंष्ठोऽविभक्तभ्रातृन् वै पितेव परिपालयेत् ।

तेऽपि तं भ्रातरं ज्येष्ठं जोनीयुः पितृवत्सदा ॥ १० ॥

ऋर्थ—उयेष्ठ भाई को चाहिए∗ कि अपने अविभक्त अर्थात् एकत्र रहनेवाले भाइयेां का पिता के समान पालन करे और उन भाइयेां को भी चाहिए कि ज्येष्ठ भाई को सदैव पिता के समान मानें॥१०॥

यद्यपि ञ्चातॄग्रामेकचित्तत्वं पुण्यप्रभावस्तथापि । धर्मवृद्धरौ पृथग्भवनमपि योज्यम् ॥ ११ ॥ मुनीनामाहारदानादिना सर्वेषां पुण्यभागित्वात् ।

भागभूमिजन्मरूपफलंप्राप्तिः स्यात्तदेवाह ॥ १२ ॥

सब भाई पृथक्-पृथक् भागी होंगे, जिसके कि फल-रूप भोग-भूमि में जन्म की प्राप्ति होती है ॥ ११-१२ ॥

विभक्ता भ्रातरेा भित्रास्तिष्ठन्तु सपरिच्छदाः ।

दानपूजादिना पुण्यं वृद्धिः संजायतेतराम् ॥ १३ ॥

अर्थ-विभक्त हुए भाई अपने-अपने परिवार के सहित भिन्न-भिन्न रहें, क्योंकि दान, पूजा आदि कार्यों से विशेष पुण्यवृद्धि होती है।। १३।।

तद्द्रव्यं द्विविधं प्रोक्तं स्थावरं जङ्गमं तथा ।

स्थानादि स्थावरं त्रोक्तं यदन्यत्र न गम्यते ॥ १४ ॥

अर्थ---वह द्रव्य, जिसका दायभाग किया जाता है, देा प्रकार का कहा गया है, एक स्थावर (ग़ैरमन कूला) और दृसरा जङ्गम (मन कूला)। जिस द्रव्य का गमन अन्यत्र न हेा सके, प्रर्थात् जेा कहीं जा न सके, जैसे कि स्थानादि, उसे स्थावर कहते हैं।। १४ ।।

जङ्गमं रौप्य गाङ्गेय भूषा वस्त्रागि गेधनम् ।

यदन्यत्र परेगापि नीयते स्त्र्यादिकं तथा ॥ १५ ॥

त्रर्थ---ग्रीर जे। अन्यत्र भी पहुँचाया जा सके जैसा कि चाँदी, सोना, भूषण, वस्त्र, गोधन (गाय भैंस श्रादि चैापाये) त्रीर दास दासी ग्रादि, सेा सब जङ्गम द्रव्य है ।। १४ ॥

स्थावरं न विभागाईं नैव कार्या विकल्पना ।

स्थास्याम्यत्र चतुष्पादेवात्र त्वं तिष्ठ मद्गृहे ॥ १६ ॥

त्र्यर्थ-स्थावर द्रव्य विभाग करने के येाग्य नहीं है *। उसके विभाग करने की कल्पना नहीं करनी चाहिए। ''यहाँ पर चतुर्थ

ल विभज्यं न विक्रेयं स्थावरं न कदापि हि । प्रतिष्ठाजनकं लोके आपदाकाल्यमन्तरम् ॥

अर्हजीति ४।

भाग में मैं रहूँगा, श्रीर इस घर में तुम रहो" ऐसा भाइयों को प्रबन्ध कर लेना चाहिए ॥ १६ ॥

सर्वेपि भ्रातरे। ज्येष्ठं विभक्ताजङ्गमा तथा।

किश्चिदंशं च ज्येष्ठाय दत्त्वा कुर्युः समांशकम् ॥ १० ॥

अर्ध-सब भाई भ्रपने बड़े भाई को पहिले अविभक्त जङ्गम ट्रव्य में से कुछ ग्रंश देकर फिर शेष सम्पत्ति के। सब मिल्लकर बराबर-बराबर बाँट लें ॥१७॥

गोधनं तु समं भक्ता गृह्णोयुस्ते निजेच्छया ।

कश्चिद्धर्तुं न शक्तश्चेदन्यो गृह्णात्यसंशयम् ॥ १८ ॥

भ्रर्थ—गोधन (त्र्यर्थात् गाय महिषादि जानवरों) को अपने-अपने इच्छानुसार बरावर भाग करके ले लें, और यदि भागाधि-कारियों में से कोई धारण करने में समर्थ न हो तेा उस गोधन को दूसरा भागी बेखटके ब्रहण कर ले ॥ १८ ॥

भ्रातृगां यदि कन्या स्यादेका बहुराः सहोदरैः ।

स्वांशात्सवेँस्तुरीयांशमेकीकृत्य विवाह्यते ॥ १- ॥

अर्थ—यदि भाइयों की सहोदरी एक अथवा बहुतसी कन्या हों तेा सब भाइयों को अपने-अपने भाग में से चैाथा-चैाथा भाग एकत्र करके कन्याओं का विवाह कर देना चाहिए ॥ १-с ॥

उढायास्तु न भागोऽस्ति किञ्चिद् भ्रातृसमत्ततः ।

विवाहकाले यत्पित्रा दत्तं तस्यास्तदेव हि ॥ २० ॥

अर्थ--भाइयों के समज्ञ विवाहिता कन्या का पिता की सम्पत्ति में कुछ भी भाग नहीं है। विवाहकाल में पिता ने उसे जेा दे दिया हो वही उसका है।। २०।।

सहोदरैर्निजाम्बाया भागस्सम उदाहतः । साधिको व्यवहारार्थं मृतौ सर्वेऽशभागिनः ॥ २१॥ ग्रर्थ---माता का भी भाइयों के साथ समान भाग कहा गया है ऋौर इसके अतिरिक्त व्यवहार-साधन के खिए माता को कुछ ग्रधिक ऋौर भी देना चाहिए। माता के मरने पर उसके धन के सब भाई समानांश भागी होते हैं।। २१।।

एककाले युगोत्पत्तौ पूर्वजस्य हि ज्येष्ठता ।

विभागसमये प्रोक्तं प्राधान्यं तस्य सूरिभिः ॥ २२ ॥

च्रर्थ — एक काल में दो पुत्रों की उत्पत्ति में पूर्वज के, अर्थात् जे। पहिले निर्गत हुआ हो उसे ही, ज्येष्ठता होती है और विभाग के समय आचार्यों ने उसी का प्राधान्य कहा है ॥ २२ ॥

यदि पूर्व सुता जाता पश्चात्पुत्रश्च जायते ।

तत्र पुत्रस्य ज्येष्ठत्वं न कन्याया जिनागमे ।। २३ ।।

सा तत्सुतेा वाऽधिपतिः पितृद्रव्यस्य सर्वतः ॥२४॥

द्यर्थ—जिसके केवल एक पुत्रो ही उत्पन्न हो और म्रन्य सन्तान का ग्रभाव हो, ते। वह पुत्रो और उस पुत्रो का पुत्र (म्रर्थात् दीहित्र) उस पिता के द्रव्य के सर्वतः स्वामी* होते हैं ॥२४॥

नेाट—निकटवर्ती दायादेां के अभाव में ही लड़की श्रीर उसका लड़का वारिस होते हैं।

वच्यमाग्र निदानानामभावे पुत्रिका मता। दाये वा पिण्डदाने च पुत्रैदीहित्रकाः समाः ॥ २५ ॥

अयस्यैकस्यां तु कन्यायां जातायां नान्यसन्ततिः । प्राय तं तस्याश्चाधिपत्थं सुतायास्तु सुतस्य च ।। ग्रहबीति ३१ अर्थ---उन नियमें। के श्रभाव में जे। श्रागे कहे जायँगे पुत्र के सदृश पुत्रिका मानी गई है श्रीर दायभाग तथा पिण्डदान (सन्तति-सभ्वालन) के लिए पुत्रों के समान दौहित्र माने गये हैं ॥ २५ ॥

नोट—यह नियम (कृायदे) इस पुस्तक में नहीं मिलते हैं जिससे प्रकट होता है कि यह शास्त्र अधूरा है और किसी बड़े शास्त्र के आधार पर लिखा गया है। परन्तु विर्सा का कृानून वर्धमान-नीति आदि अन्य शास्त्रों में दिया हुआ है।

ग्रात्मा वै जायते पुत्रः पुत्रेग दुहिता समा ।

तस्यामात्मनि तिष्ठंत्यां कथमन्यो धनं हरेत् ॥ २६ ॥

ऊढानूढाऽथवा कन्या मातृद्रव्यस्य भागिनी ।

श्रपुत्रपितृद्रव्यस्याधिपेा दौहित्रको भवेत् ॥ २७ ॥

अर्थ—माता के द्रव्य की भागिनी कन्या होती है, चाहे वह विवा-हित हो अथवा अविवाहित, और पुत्र-रहित पिता के द्रव्य का अधि-कारी दौहित्र होता है ॥२७॥

न विशेषे।ऽस्ति लोकेऽस्मिन् पौत्रदौहित्रयोः स्मृतः ।

पित्रोरेकत्रमसम्बन्धाज्जातयोरेकदेहत: ॥ २८ ॥

अर्थ—(क्योंकि) इस लोक में माता-पिता के एकत्र सम्बन्ध से उत्पन्न हुए एक देह रूप जेा पुत्र ग्रीर पुत्री हैं, उनसे उत्पन्न हुए पौत्र ग्रीर दैाहित्र में कुछ विशेषता (अर्थात् भेद) नहीं जानना चाहिए ॥ २८ ॥

ऊढपुत्र्यां परेतायामपुत्रायां च तत्पतिः ।

स स्त्रीधनस्य द्रव्यस्याधिपतिस्तत्पतिः सद्दा ॥२-८॥

ग्रर्थ—यदि विवाहिता पुत्री निःसन्तान मर जावे ते। उसके द्रव्य का मालिक उसका पति ही होगा ।। २८ ।।

तयोरभावे तत्पुत्रो दत्तको गोत्रियः सति ।

पितृद्रव्याधिपः स्याद्वै गुग्रवान् पितृभक्तिमान् ॥ ३० ॥

च्रर्थ—पति-पत्नो दोनों के मरने पर पिता में भक्ति करनेवाला गुग्रावान पुत्र औरस हा म्रथवा दत्तक हो पिता के सम्पूर्ग्य द्रव्य का मालिक होता है ।।३०।।

त्राह्मयचत्रियविशां त्राह्मग्रेन विवाहिता।

कन्यासञ्जातपुत्रागां विभागोऽयं बुधैः स्मृतः ॥३१॥

म्पर्थ--व्राह्मण, चत्रिय, वैश्यों की कन्यात्रों का यदि व्राह्मण के साथ विवाह किया जावे ते। उनसे पैदा हुए पुत्रों का भाग पिता सम्बन्धी द्रव्य में इस प्रकार बुद्धिमान पुरुषों ने कहा है---!।३१।।

पितृद्रव्यं जंगमं वा स्थावरं गोधनं तथा । विभज्य दशधा सर्वे गृह्णीयुः सर्व एकतः ॥३२॥ विप्राजस्तुर्यभागान्वै त्रीन्भागान् चत्रियासुतः । द्वौ भागौ वैश्यजेा गृह्यादेकं धर्मे नियोजयेत् ॥३३॥

भ्रर्थ--पिता के जंगम तथा गोधनादिक और स्थावर द्रव्य में दस भाग लगाकर भाइयों को इस प्रकार लेना चाहिए कि ब्राह्मणो से उत्पन्न हुए पुत्र को चार भाग, चत्रिया से उत्पन्न हुए को तीन भाग, और वैश्य माँ से उत्पन्न हुए को देा भाग, तथा अवशिष्ट एक भाग धर्मार्थ नियुक्त करें ॥३२---३३॥

यद्गेहे दासदास्यादिः पालनीयेा यवीयसा । सर्वे मिलित्वा वा कुर्युरन्नांग्रुकनिबन्धनम् ॥ ३४ ॥ द्यर्थ---गृह में जेा दासी से उत्पन्न हुए पुत्र हैां तेा उनका पालन छेाटे भाई को करना चाहिए अथवा सब भाई मिलकर अन्न-वस्त्र का प्रबन्ध करें ॥३४॥

चत्रियस्य सवर्णाजेाऽर्र्डभागी वैश्यजेाद्भवः ।

तुर्यांशभागी शूद्राजः पितृदत्तांशुकादिभृत् ॥३५॥

अर्थ---चत्रिय पिता से सवर्था स्त्रो (चत्रिया) से उत्पन्न हुए पुत्र को पिता के द्रव्य का अर्धांश तथा वैश्याज पुत्र को चतुर्थांश मिलना चाहिए, और शूद्रा से उत्पन्न हुआ जो पुत्र है वद्द जो द्रव्य (ग्रज्ञ-वस्त्रादिक) उसको उसके पिता ने दिया है उसी का खामी हो सकता है (अधिक नहीं) ॥ ३४ ॥

वैश्यस्य हि सवर्षांजः सर्वस्वामी भवेत्सुतः ।

शुद्रापुत्रोऽन्नवासोर्ह इति वर्ग्यत्रये विधि: ॥ ३६ ॥

अर्थ-वैश्य का वैश्य स्तो से उत्पन्न हुआ पुत्र **ही सर्व** सम्पत्ति का अधिकारी हेा सकता है, शूद्रा से उत्पन्न हुआ लड़का केवल अन्न-वस्त्र का ही अधिकारी है। इस प्रकार वर्गत्रय की विभाग की विधि है। ३६।।

शूद्रस्यैकसवर्णाजा एको ह्रौ वाऽधिका अपि ।

समांशभागिनः सर्वे शतपुत्रा भवन्त्यपि ॥ ३७ ॥

अर्थ --- शूद्र पिता के शूद्रा स्त्री से उत्पन्न हुए पुत्र एक, देा तथा .शत भी हों ते। वे समभाग के अधिकारी हैं ॥ ३७॥

एकपितृजभ्रातृणां पुत्रश्चैकस्य जायते ।

तेन पुत्रेग ते सवे बुधैः पुत्रिग ईरिताः ॥ ३८ ॥

श्पर्ध-एक पिता के उत्पन्न हुए पुत्रों में से यदि किसी एक के पुत्र हो तो उस पुत्र से सभी पुत्र पुत्रवाले समभे जाते हैं, ऐसा बुद्धिमानें का कथन है ॥ ३८ ॥ कस्यचिद्वद्वपत्नीषु ह्येका प्रजनयेत्सुतम् ।

तेन ५त्रेग महिलाः पुत्रवत्यः स्मृताः बुधैः ॥ ३- ॥

अर्थ—यदि किसी पुरुष की बहुत स्त्रियों में से किसी एक के पुत्र हो ते वे सभी स्त्रियाँ डस पुत्र के कारग्र पुत्रवती समफ्तनी चाहिएँ, बुद्धिमानेंा की ऐसी आज्ञा है ॥ ३ ६ ॥

तासां मृतै। सर्वधनं गृह्णोयात्सुत एव हि ।

एको भगिन्यभावे चेत्कन्येकस्याः पतिर्वसोः ॥ ४० ॥

ऋर्थ—उन सब खियों के मरने पर उनका धन वह पुत्र लेता है और जब एक भी स्त्री उसके पिता की न रहे तेा वह पिता का कुल धन लेता है।। ४०।।

श्रीरसेऽसति पितृभ्यां प्राह्यो वै दत्तकः सुतः ।

सोऽप्यैारस इव प्रीत्या सेवां पित्रोः करेात्यसौ ॥ ४१ ॥

अर्थ---म्र्यपने अङ्ग से उत्पन्न हुआ पुत्र यदि न हो ते। माता-पिता को दत्तक पुत्र लेना चाहिए, क्योंकि दत्तक पुत्र भी माता-पिता की सेवा प्रीतिपूर्वक करता है ॥ ४१ ॥

अपुत्रो मानवः स्त्री वा गृह्णीयाइत्तपुत्रकम् ।

पूर्वं तन्मातृपित्रादेः ससात्तिलेखनं स्फुटम् ॥ ४२ ॥

अर्थ—ित:सन्तान स्त्री अथवा पुरुष पुत्र गोद लेते हैं । प्रथम ही उसके माता-पिता के हस्त से साचिपूर्वक लेख लें ।। ४२ ।। स्वकीयभ्रावृज्ञातीयजनसाचियुतं मिथः ।

कारयित्वा राजमुद्राङ्कितं भूपाधिकारिभि: ॥ ४३ ॥

कारयेत्पुनराहूय नरनारीः कुटुम्बिकाः ।

वादित्रनृत्यगानादिमंगलाचारपूर्वकम् ॥ ४४ ॥

त्रर्थ--परस्पर त्रपने भाई-बन्धु और जातीय पुरुषों के साचि सहित (लेख केंा) राजा के कार्यभारी पुरुषों से राजा की मुद्रा से चिह्नित कराकर तत्पश्चात् श्रपने कुटुम्ब के नर-नारियों को बुलाकर मङ्गलाचारपूर्वक वादित्र नृत्य गान श्रादि करावे ॥ ४३----४४ ॥

द्वारोद्घाटनसत्कर्म कुर्वन्ति श्रीजिनालये ।

घृतकुम्भं खस्तिकं च जिनाये स्थापयेद् गुरुम् ॥ ४५ ॥

अर्थ---भ्रीर श्रीजिनचैत्यालय में जाकर द्वारोद्घाटन भ्रादि सक्तिया करें तथा श्रीजिनेन्द्र देव की प्रतिमा के आगे घृतकुम्भ खस्तिक ग्रादि रक्खें ॥ ४५ ॥

उत्तरीयमधोवस्तं दत्वा व्याघुट्य मन्दिरम् ।

स्वं समागत्य नृस्त्रिभ्यस्ताम्बूलं श्रोफलादिकम् ॥ ४६ ॥

स्रीभ्यश्च कञ्चुकीर्देयात्कुंकुमालक्तपूर्विकाः ।

अशनं कारयित्वा वै जातकर्मकियां चरेत् ॥ ४७ ॥

अर्थ-फिर श्रोमन्दिरजी में धोती-दुपट्टा पूजा के निमित्त दे, घण्टा बजावे श्रीर अपने घर श्राकर पुरुष-स्त्रियों को ताम्बूल, श्रीफल श्रादि दे तथा स्त्रियों को कुंकुमादि-संयुक्त कंचुकी (आँगी धोती) दे श्रीर भोजन कराकर जात-कर्म नामक क्रिया (जन्म-संस्कार) करे ॥ ४६--४७ ॥

परैभ्रोत्रादिभिर्नीतं मुकुटं श्रीफलादिकम् ।

एकद्वित्रिचतुरोऽपि मुद्रा रच्चेत्पिता शिशोः ॥ ४८ ॥

अर्थ---बालक का पिता दूसरे भाई वग्रैरह कुटुम्बियां द्वारा लाये गये मुकुट, श्रीफलादिक तथा एक देा तीन चार आदि मुद्रा (रुपये) ले ले ॥ ४८ ॥

व्यवहारानुसारेग दानं प्रहणमेव च।

एतत्कर्मीण संजातेऽयं पुत्रोऽस्येति कथ्यते ॥ ४६ ॥

अर्थ---इस प्रकार ग्रपने कुलादि व्यवहार के डचित देना-लेना जब हो जावे तब ''इसका यह पुत्र है'' ऐसा कहा जाता है।।४-८।। तदैव राज्यकर्मादिव्यापारेषु प्रधानताम् ।

प्राप्नेति भूमित्रामादिवस्तुष्वपि कृतिं पराम् ॥ ४० ॥

अर्थ-—और उसी समय उस पुत्र को राज्यकर्मादि व्यापारे। में प्रधानता तथा भूमित्रामादि वस्तुग्रेां में अधिकार मिलता है ॥५०॥ खामित्वं च तदा लोकव्यवद्दारे च मान्यताम् ।

तत्संस्कारे कृते चैव पुत्रिखौ पितरौ स्मृतौ ॥ ५१ ॥

दत्तकः प्रतिकूलः स्यात् पितृभ्यां प्राग्म्टर्कितः । बेधियेत्तं पुनर्दर्पति तादृशो जनकस्त्वरम् ॥ ५२ ॥ तत्पित्त्रादीन् तदुद्वान्तं ज्ञापयित्वा प्रबेधियेत् । भूये।ऽपि तादृशश्चैव बन्धुभूपाधिकारिषाम् ॥ ५३ ॥ ग्राज्ञामादाय गृहते। निष्कास्ये। द्यर्भकस्त्वरम् । न तन्नियोगं भूपाद्याः श्रुण्वन्ति हि कदाचन् ॥ ५४ ॥

दत्तपुत्रं गृहीत्वा या स्वाधिकारं प्रदाय च । जङ्गमे स्थावरे वाऽपि स्थातुं स्व धर्मवर्त्तमि ॥ ४५ ॥ यर्थ - स्त्री दत्तक पुत्र को लेकर और उसको सम्पूर्ध अधिकार देकर ध्राप धर्म-कार्य में संलग्न होने के निमित्त जङ्गम तथा स्थावर द्रव्य उसको सौंप देती है ॥ ५५ ॥

पुनः स दत्तको काललब्धि प्राप्य मृतो यदि।

भर्तृद्रव्यादि यत्नेन रत्त्वयेत् स्तैन्यकर्मतः ॥ ५६ ॥

ग्रर्थ—-पुनः काल-लब्धि के वश यदि वद्द पुत्र बिना विवाइ ही मर जावे तेा भर्ता के द्रव्य की चोरी श्रादि से रचा करनी चाहिए ॥५६॥

न तत्पदं कुमारेाऽन्यः स्थापनीयेा भवेत्पुनः ।

प्रेतेऽनूढे न पुत्रस्याज्ञाऽस्ति श्रोजिनशासने ॥ ५७ ॥

अर्थ---उस पुत्र का मरग्र हो जाने पर पुनः उस कुमार के पद पर दूसरे किसी को स्थापित करने की आज्ञा श्रीजिनशासन में नहीं है, यदि वह कुँवारा मर जावे ॥ ५७॥

सुतासुतसुतात्मोय भागिनेयेभ्य इच्छया ।

देयाद्धर्मेऽपि जामात्रेऽन्यस्मै वा ज्ञातिभोजने ॥ ५८ ॥

त्र्यर्थ— उस (मृतक पुत्र) के द्रव्य को दोहिता, दोहिती, भानजा, जमाई तथा किसी अन्य को दे सकते हैं तथा जाति के भोजन अथवा धर्म-कार्यों में लगा सकते हैं ॥ ५⊂ ॥

स्वयं निजास्पदे पुत्रं स्थापयेच्चेन्मृतप्रजाः ।

युक्त परमनूढस्य पदे स्थापयितुं न हि ॥ ५ सा

अर्थ----यदि पुत्र मर गया हो ते। अपनी जगह पर पुत्र स्थापन करने की श्राज्ञा है, परन्तु प्रविवाहित पुत्र के स्थान पर स्थापन नहीं कर सकते हैं ।। ५. ।।

पित्रोः सत्वे न शक्तः स्यात् स्थावरं जङ्गम' तथा । विविक्रियं गृहींतु वा कर्तुं पैतामहं च सः ॥ ६० ॥ अर्थ---माता-पिता के होते हुए दत्तक पुत्र को डनके स्थावर व जङ्गम द्रव्य को गिरवी रखने तथा बेचने का अधिकार नहीं है ॥६०॥

पैतामहक्रमायाते द्रव्येऽनधिकृति: स्मृता |

श्वशुरस्य निजे कृत्ये व्ययं कर्तुं च सर्वथा ॥ ६१ ॥

ष्प्रर्थ---श्वशुर की पैदा की हुई सम्पत्ति में श्रीर उसमें जे। उसकी पुरुखेां से मिली है विधवा बहू को निजी कार्यों के लिए व्यय करने का कोई श्रधिकार नहीं है।। ६१।।

सुताज्ञया विना भक्तेऽभक्ते तु धर्मकर्मणि ।

मैत्रज्ञातिन्नतादे। तु व्ययं कुर्याद्यश्रोचितम् ॥ ६२ ॥

अर्थ--(पिता) सुत की आज्ञा के बिना ही विभाग की हुई अथवा अविभक्त द्रव्य का व्यय (खर्च) मित्रादि सम्बन्धी जाति-व्रतादिकों में कर सकता है ॥ ६२ ॥

तन्मृतौ तु स्नियश्चापि व्ययं कर्तुं मशक्तता ।

भोजनांशुकमात्र' तु गृह्णीयाद् वित्तमासत: ।। ६३ ॥

अर्थ — उसके मर जाने पर उसकी स्त्री को जायदाद के प्रथक् कर देने का ब्रधिकार नहीं है। वह केवल भेाजन-वस्त्र के वास्ते हैसियत के मुताबिक ले सकती है।। ६३॥

नोट---यहाँ पर रचयिता के विचार में यह बात है कि पु पिता की जीवित अवस्था में मर गया है, इसलिए ''उसके मर जाने पर'' का अभिप्राय ''लड़के के मर जाने का'' है।

सर्वद्रव्याधिकारस्तु व्यवहारे सुतस्य वै ।

न व्ययीकरणे रिक्थस्य हि मातृसमच्चकम् ॥ ६४ ॥

अर्थ-सम्पूर्ण द्रव्य का अधिकार व्यवहार करने में पुत्र को है, परन्तु माता की उपस्थिति में ख़र्च करने का नहीं ।। ६४ ।। सुते प्रेते सुतवधूर्भर्त्त सर्वस्वहारिगी।

श्वश्वा सद्द कियत्काल' माध्यथ्येन हि स्थोयते ॥ ६५ ॥

अर्थ---पुत्र के मर जाने पर भर्ता के सम्पूर्ण द्रव्य को मालिक पुत्र की स्त्री होती है, परन्तु उसको चाहिए कि वह अपनी श्वश्रू (सास) के साथ क्रुछ काल पर्यन्त विनयपूर्वक रहे ।। ६५ ।।

रत्तन्ती शयनं भर्तुः पालयन्ती कुटुम्बद्मम् ।

खधर्मनिरता पुत्रं भर्त्रस्थाने नियोजयेत् ॥ ६६ ॥

अर्थ---ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करती हुई, तथा अपने धर्म में तत्पर, कुटुम्ब का पालन करती हुई, अपने पुत्र को भर्ता के स्थान पर अर्थात् भर्ता के द्रव्य का अधिकारी नियुक्त करे ॥ ६६॥

न तत्र श्वश्रूर्यत्किच्चिद्वदेदनधिकारत: ।

नापि पित्रादिलोकानामधिकारोऽस्ति सर्वथा ॥ ६७ ॥

अर्थ----पुत्र को भर्ता की जगह में नियोजित करने में उसकी सास को रोकने का कुछ अधिकार नहीं है, श्रीर उसके माता-पिता श्रादि को भी कुछ अधिकार नहीं है ॥ ६७ ॥

दत्तं चतुर्विधं द्वयं नैव गृह्णन्ति चेात्तमाः ।

श्रन्यथा सकुटुम्बास्ते प्रयान्ति नरकं तत: ॥ ६८ ॥

त्र्यर्थ—-उत्तम पुरुष चारों प्रकार के दिए हुए द्रव्य को फिर प्रहया नहीं करते । ऐसा करने से वे कुटुम्ब के साथ नरक के पात्र होते हैं ।। ६८ ।।

बहुपुत्रयुते प्रेते भ्रातृषु क्लीवतादियुक् ।

स्याच्चेत्सर्वे समान्भागान्नद्युः पैतृकाद्धनात् ॥६-॥

अर्थ --- बहुत पुत्रों को छोड़कर पिता के मर जाने पर यदि डन माइयों में से कोई नपुंसकता आदि देाष सहित हो, तेा डसको पिता के द्रव्य में से समान भाग नहीं मिल सकता है ॥६-८॥ पङ्गरन्मत्तक्लीवान्धखलकुढजजडास्तथा ।

एतेऽपि आतृभिः पांष्या न च पुत्रांशभागिनः ॥ ७० ॥

भ्रर्थ----यदि भाइयों में से कोई लॅंगड़ा, पागल तथा उन्मत्त, क्लोव, अन्धा, खल (दुष्ट), कुबड़ा तथा सिड़ी होवे तेा अन्य भाइयों को अन्न-वस्त्र से उसका पोषण करना चाहिए। परन्तु वह पुत्र भाग का मालिक नहीं हो सकता॥ ७०॥

मृतवध्वाधिकारीशो बोधितव्यो मृदूक्तित: ।

न मन्येत पुरा भूपामात्यादिभ्य: प्रबोधयेत् ॥ ७१ ॥

भूयोऽपि तादृशः स्याच्चेदमात्याज्ञानुसारतः ।

पुरातने। नूतने। वा निष्कास्ये। गृइत: स्फुटम् ॥ ७२ ॥

कार्यतेऽन्य जनैयोंग्यैर्व्यवहारः कुलागतः ॥ ७३ ॥

अर्थ-अपने पति के समान कुलीन स्त्री को अपने द्रव्य का यत्न-पूर्वक रच्चग्र करना चाहिए और कुलक्रम के अनुसार अपने व्यवहार को भी दूसरे योग्य पुरुषों द्वारा चलाना चाहिए ॥ ७३ ॥

कुर्यात् कुटुम्बनिर्वाहं तन्मिषेग च सर्वथा ।

येन लोको प्रशंसा स्याद्धनवृद्धिश्च जायते ॥ ७४ ॥

म्र्यर्थ-इसी प्रकार से उसे चाहिए कि सर्वथा कुटुम्ब का निर्वाह

करे; जिससे लोक में कीर्ति श्रीर धन की वृद्धि हो ॥ ७४ ॥ माह्यः सद्गात्रजः पुत्रो भर्ता इव कुलस्त्रिया । भर्त्रस्थाने नियोक्तव्यो न श्वश्र्वा स्वपतेः पद्दे ॥ ७५ ॥ अर्थ—भर्ता के समान वह कुलीन स्त्रो किसी श्रेष्ठ गोत्र में पैदा हुए पुत्र को लेकर पति की गद्दी पर नियुक्त करे । उसके पति के लिए उसकी सास की गोद लेने की आज्ञा नहीं है ।। ७५ ॥

शक्ता पुत्रवधूरेव व्ययं कुर्तुं च सर्वथा ।

न श्वश्र्वाश्चाधिकारे। त्र जैनशास्त्रानुसारतः ॥ ७६ ॥

अर्थ---ख़र्च करने का अधिकार भी सर्वधा पुत्र की वधू को ही है। किन्तु जैन-सिद्धान्त के अनुसार उसकी सास को नहीं है। ७६॥

कुर्यात्पुत्रवधूः सेवां श्वश्र्वोः पतिरिव स्वयम् ।

सापि धर्मे व्ययं त्विच्छेद्दद्यात्पुत्रवधूर्वसु ॥ ७७ ॥

अर्थ----उसको चाहिए कि जिस प्रकार उसका पति सेवा करता था उसी प्रकार श्वश्रू (सास) की सेवा करे। यदि सास को धर्म-कार्य करने की इच्छा हो ते। उसको धन भी दे।। ७७॥

ग्रीरसो दत्तको मुख्यै। क्रीतसौतसहोदरा: ।

तथैवोपनतश्चैव इमे गैागा जिनागमे ।। ७८ ।।

अर्थ---जैन-शास्त्र के अनुसार पुत्रों में औरस और दत्तक मुख्य हैं। और क्रोत, सौत, सहेादर और उपनत गौगा हैं।। ७८ ।।

दायादाः पिण्डदाश्चैव इतरे नाधिकारिषाः ।

श्रीरसः खन्नियां जातः प्रीत्या दत्तश्च दत्तकः ॥ ७२ ॥

अर्थ----जिसको रुपया देकर मोख लिया हो वष्ठ क्रोत है, ऐसा बुद्धिमानेां का कथन है । जो लड़के का लड़का अर्थात् पोता हो वह सैात है, और माँ-जाये छोटे भाई का नाम सहोदर है ॥ ⊏० ॥

मातृपितृपरित्यक्तो दुःखिते।ऽस्मितरां तव ।

पुत्रो भवामीति वदन विह्रौरुपनतः स्मृत: ॥ ८१ ॥

अर्थ—जिसको माँ-बाप ने छे।ड़ दिया हो और जेा टुःखी फिरता हुआ आकर यह कहे कि ''मैं पुत्र होता हूँ'' उसको टुद्धिमान् उपनत बताते हैं ।। ⊏१ ।।

मृतपित्रादिकः पुत्रः समः कृत्रिम ईरितः ।

पुत्रभेदा इमे प्रेक्ता मुख्यगैौग्धेतरादिकाः ॥ ८२ ॥

द्यर्थ-- क्वत्रिम वह पुत्र होता है जिसके माता-पिता मर गये हेां ग्रैोर जो (ग्रपने) पुत्र के सटरा हो । इस प्रकार मुख्य, गैाग्र ग्रीर ग्रन्य पुत्रों की श्रेगी है ।। ८२ ।।

तत्राद्यौ हि स्मृतौ मुख्यौ गौाणाः क्रोतादयस्त्रयः ।

तथैवेापनताद्याश्च पुत्रकल्पा न पिण्डदा: ॥ ८३ ॥

अर्थ — इनमें से प्रथम के देा (अर्थात् श्रीरस और दत्तक) मुख्य हैं। फिर तीन (अर्थात् कोत, सौत, सहेादर) गैाण हैं, श्रीर उपनत श्रीर छत्रिम की गिनती लड़कों में होती है परन्तु वे नस्ल नहीं चला सकते हैं।। ⊂३।।

मुक्त्युपायोद्यतश्चैकोऽविभक्तेषु च भ्रातृषु ।

स्रोधनं तु परित्यज्य विभजेरन् समं धनम् ॥ ८४ ॥

अर्थ----यदि विभाग के पूर्व ही कोई भाई मुक्ति प्राप्त करने के निमित्त साधु हो गया हो ते। स्त्री-धन को छोड़कर सम्पत्ति में सबके बराबर भाग लगाने चाहिएँ ॥ ८४ ॥ विवाहकाले पितृभ्यां दत्तं यदभूषणादिकम् ।

तदध्यग्निकृतं प्रेाक्तमग्नित्राह्यग्रसाचिकम् ॥ ८५ ॥

ऋर्थ---विवाह समय में जो माता-पिता ने भूषणादिक द्रव्य ऋग्नि झौर ब्राह्मणों की साचो में दिया हे। वह अध्यग्नि कहा जाता है ॥ ⊏५ ॥

यत्कन्यया पितुर्गेद्वादानीतं भूषणादिकम् ।

अध्याह्वनिकं प्रेाक्तं पितृभ्रातृसमचकम् ॥ ⊂६ ॥

अर्थ—जो धन पिता के घर से कन्या पिता व भाइयों के सामने दिया हुआ लावे उसकेा अध्याह्वनिक अर्थात् लाया हुआ कहते हैं ॥ ⊂६ ॥

प्रोत्या यद्दीयते भूषा श्वश्र्वा वा श्वशुरेग वा ।

मुखेचगाङ्घ्रप्रहणे प्रीतिदानं स्मृतं बुधै: ॥ ८७ ॥

द्मर्थ—जो धन-वस्त्रादि श्वशुर तथा सास ने मुखदिखाई तथा पादमहग्र के समय प्रीतिपूर्वक दिया उसको बुद्धिमान् लोग प्रीति-दान कहते हैं ॥ ⊏७ ॥

त्रानीतमूढकन्याभिर्द्रव्यभूषांशुकादिकम् ।

पितृभ्रातृपतिभ्यश्च स्मृतमादियिकं बुधै: ॥ ८८ ॥

अर्थ--विवाह के पश्चात् पिता, भाई, पति से जो धन, भूष**ग्र**, वस्त्रादि मिले वह श्रीदयिक कहा जाता है।। ⊏⊂ ।।

परिकमग्रकाले यद्धेमरत्नांशुकादिकम् ।

दम्पतीकुलवामाभिरन्वाधेयं स्मृतं बुधैः ॥ ८- ॥

अर्थ-विवाइ समय में अपने पति तथा पति के कुल की सिये। (कुटुम्बी सियें।) से जो धन आया हो वह अन्वाधेय है।। ८२॥ एवं पञ्चविधं प्रोक्तं स्नोधनं सर्वसम्मतम्।

न केनापि कदा प्राह्य टुर्भिचाऽपद्वृषाहते ॥ २० ।

पैतामहधनातिकञ्चिद्दातुँ वाञ्छति सप्रजा: ।

भगिनीभागिनेयादिभ्यः पुत्रस्तु निषेधति ॥ २१ ॥

म्रर्थ—बाबा के ट्रव्य में से यदि कोई व्यक्ति म्रपनी भगिनी या भानजे म्रादि को कुछ देना चाहे ते। उसका पुत्र उसको रोक सकता है ॥ -६१ ॥

बिना पुत्रानुमत्या वै दातुं शक्तो न वै पिता ।

म्टते पितरि पुत्रस्तु ददत्केन निरुध्यते ॥ - २२ ॥

गृहीते दत्तके पुत्रो धर्मपत्न्यां प्रजायते । स एवेष्ण्यीषबन्धस्य योग्यः स्यादत्तकस्तु सः ॥ २३ ॥ चतुर्थाशं प्रदाप्यैव भिन्नः कार्योऽन्यसात्तितः । प्रागेवेष्ण्यीषबन्धे तु जाते।ऽपि समभाग्भवेत् ॥ २४ ॥

पतेरप्रजसे। मृत्यौ तद्द्रव्याधिपतिर्वधू: । दुहित्तप्रेमतः पुत्रं न गृह्णीयात्कदाचन ॥ ६५॥ न ज्येष्ठदेवरसुता दायभागाधिकारिषः ।

तन्मृतौ तत्सुता मुख्या सर्वद्रव्याधिकारिग्रो ॥ इद्या

अर्थ-मर्द के निःसन्तान मर जाने पर उसकी विधवा उसकी सम्पत्ति की स्वामिनी होती है। यदि वह अपनी पुत्री के विशेष प्रेम के कारण कोई लड़का गोद न ले तेा उसके मरने पर उसके जेठ देवरों के पुत्र उसके मालिक नहीं हेा सकते किन्तु डसकी मुख्य पुत्री ही अधिकारिणी होती है। स्प्र-स्द ॥

नेाट----यह मसला वसीय्रत का है जिसके द्वारा माता अपनी पुत्री को अपना वारिस नियत करती है । यह वसीय्रत ज़बानी किस्म की है । तन्मृतौ तत्पतिः स्वामी तन्मृतौ तत्सुतादिकाः ।

न पितृभ्रातृतज्जानामधिकारोऽत्र सर्वथा ॥ २७॥

अर्थ---उस पुत्रो के मरने पर उसका पति उसका वारिस होगा । उसके भी मरने पर उसके पुत्रादि मालिक होगे । परन्तु उसके पिता के भाई आदि की सन्तान का कुछ अधिकार नहीं है ॥-८७॥

प्रेते पितरि यत्किञ्चिद्धनं ज्येष्ठकरागतम् ।

विद्याध्ययनशीलानां भागस्तत्र यवीयसाम् ॥ २८॥

ग्रविद्यानां तु भ्रातृणां व्यापारेग धनार्जनम् ।

पैत्र्यं धनं परित्यज्याऽन्यत्र सर्वे समांशिनः ॥ रूरा।

म्रर्थ--विद्या रहित भाइयों को व्यापार से धन को उपार्जन करना चाहिए, ग्रीर पिता के धन को छोड़कर रोष द्रव्य में सबका समान भाग होना चाहिए ॥ रू॥ नोट---पिता के धन से अभिप्राय पिता के अविभाग योग्य वर्सा से है (देखो आगगमी श्लोक)। शेष सम्पत्ति वह है जे। विभाग योग्य है।

पित्तद्वव्यं न गृह्णीयात्पुत्रेष्वेक उपार्जयेत् ।

भुजाभ्यां यन्न भाज्यं स्यादागतं गुग्रवत्तया ॥१००॥

अर्थ---गुग्रों से एकत्रित किया हुआ अविभाज्य जेा पिता का द्रव्य है, उसे सब लड़के बांट नहीं सकते हैं। उसको केवल एक ही लड़का लेगा और वह अपने बाहु-बल्ल से उसकी वृद्धि करेगा ॥ १००॥

पत्याङ्गनायै यद्दत्तमलङ्कारादि वा धनम् ।

तद्विभाज्येँ न दायादैः प्रान्ते नरकभीरुभिः । १०१।।

त्रर्थ--पति ने स्त्रो को जो अलंकारादि अथवा धनादि दिया हो डसका, नरक से भयभीत दायादों (विभाग लेनेवालों) को, विभाग नहीं करना चाहिए ॥१०१॥

येन यत्स्वं खनेर्लब्धं विद्यया लब्धमेव च ।

मैत्रं छोपचलोकाच्चागतं तद्भज्यते न कैः ॥१०२॥

अर्थ - जो द्रव्य किसी को खान से मिला हो, अथवा विद्या द्वारा मिला हो, मित्र से मिला हो, अथवा स्त्री-पत्त के मनुष्यों से मिला हो, वह भाग के योग्य नहीं है ॥१०२॥

बहुपुत्रेष्वशक्तेषु प्रेते पितरि यद्धनम् ।

येन प्राप्त' खशक्तया नेा तत्रस्याद्भागकल्पना ॥१०३॥

अर्थ—वहुत से अशक्त (अयोग्य) पुत्रों में से पिता के मर जाने पर जे। किसी ने अपने पौरुष से धन एकत्रित किया हो। उसमें भाग-कल्पना नहीं है ॥१०३॥

पित्रा सर्वे यथाद्रव्यं विभक्तास्ते निजेच्छया । एकत्रीक्रत्य तद्द्रव्यं सह कुर्वन्ति जीविकाम् ॥१०४॥ विभजेरन् पुनर्द्रव्यं समांशैभ्रीतरः स्वयम् ।

न तत्र ज्येष्ठांगस्यापि भागः स्याद्विषमेा यतः ॥१०५॥

भ्रर्थ---वे पुत्र जिन्हें पिता ने कुछ-कुछ द्रव्य देकर अपनी इच्छा से जुदे कर दिये हों और वे जेा द्रव्य केा इकट्ठा कर साथ मिलकर ही जीविका करते हेंा अपने आप समान भाग से द्रव्य का विभाग करें। उसमें बड़े पुत्र को अधिक भाग नहीं मिल सकता।।१०४-१०४।।

जाते विभागे बहुषु पुत्रेष्वेको मृतेा यदि।

विभजेरन् समं रिक्थं सभगिन्यः सहोदराः ॥१०६॥

ग्रर्थ---विभाग हो जाने पर बहुत पुत्रों में से यदि एक का मरद्य हे। जाय ते। भाई ग्रीर बहन उसका समान भाग कर सकते हैं॥१०६॥

नेाट----बहिन का यहाँ पर हिस्सा उसके विवाह के ख़र्च के लिए दिया गया है, क्योंकि वह वारिस नहीं है ।

निह्नूते लेभितो ज्येष्ठो द्रव्यं भातृन् यवीयसः ।

वश्वते राजदण्ड्यः स्यात् स भागार्हो न जातुचित् ॥१०७॥

अर्थ---लोभ के वश होकर ज्येष्ठ भाई द्रव्य को छिपावे और यदि छोटे भाइयेां को ठगे तेा राजा द्वारा दण्ड देने येाग्य है, तथा वह अपना भाग भी नहीं पा सकता ॥१०७॥

द्युतादिव्यसनासक्ताः सर्वे ते भ्रातरो धनम् ।

न प्राप्नुवन्ति दण्डयाश्च प्रत्युते। धर्मविच्युता: ।।१०⊂।।

अर्थ----धर्म को छोड़कर द्यूतादि व्यसनेंा में यदि कोई भाई आसक्त हो जावे तेा उसको धन नहीं मिल सकता, प्रत्युत वह दल्ड के योग्य है।। १०⊂ ।।

विभागोत्तरजातस्तु पैत्र्यमेव लभेद्धनम् ।

तदल्पं चेद्विवाहं तु कारयन्ति सहोदराः ॥१०-८॥

भ्रर्थ—विभाग के पश्चात् जेा पुत्र उत्पन्न हो वह पिता के भाग का द्रव्य ही ले सकता है, अधिक नहीं। यदि वह बहुत छोटा हे। ते। उसका विवाह उसके भाइयों को करना चाहिए ।।१०-६।।

पुत्रस्याप्रजसेा द्रव्यं गृह्णीयात्तद्वधूः स्वयम् ।

तस्यामपि मृतायां तु सुतमाता धनं हरेत् ॥११०॥

त्र्पर्थ—स्वपुत्रोत्पत्ति के बिना ही यदि पुत्र मर जाय ते। उसको द्रव्य को। उसकी स्त्री ले । उसके भी मर जा़ने पर पुत्र की माता ले ।।११०।।

ऋगं दत्वाऽवशिष्टं तु विभजेरन् यथाविधि ।

ग्रन्यथेापार्ज्यते द्रव्यं पितृपुत्रैः ससाहसैः ॥ १११॥

कूपालङ्कारवासांसि न विभाज्यानि काेविदैः ।

गोधनं विषमं चैव मन्त्रिदूतपुरोहिताः ॥ ११२ ॥

ग्रर्थ—कूप, अलङ्कार, वस्त्र, गोधन तथा ग्रन्य भी मन्त्री दूत पुरोहि-तादि विषय व द्रव्यों का विभाग विद्वानेंा को करना नहीं चाहिए ।।११२२॥

पुत्रश्चेज्जोवतेाः पित्रोम् तस्तन्महिला वसौ ।

पैतामहे नाधिकृता भर्तृवच्च पतिव्रता ॥ ११३ ॥ भर्तृमञ्चकरत्तायां नियता धर्मतत्परा ।

सुतं याचेत श्वश्रूं हि विनयानतमस्तका ॥ ११४ ॥

ग्रर्थ—-पिता-माता के जीते ही पुत्र मर गया हो ते। उसकी सुशीला स्त्री का पैतामह के धन पर अधिकार नहीं हो सकता, किन्तु पतिव्रता, भर्त्ता के शयन का रच्त्रण करती, धर्मतत्पर, विनय से मस्तक नीचा कर श्वश्रू से पुत्र की याचना करे ॥ ११३—-११४॥ नाट—पोते की विधवा त्रपने श्वशुर के पिता के धन की वारिस नहीं है।

खभर्त्रहव्यं श्वशुरश्वश्रूभ्यां खकरे यदा।

स्थापितं चेत्र शक्ताप्तुं पतिदत्तेऽधिकारिग्री ॥ ११५ ॥

नोट—-अभिप्राय उस धन से है जो पति ने अपने मध्ता-पिता को दे डाला है, क्योंकि यह वापस नहीं होता है।

प्राप्नुयाद्विधवा पुत्रं चेद्गृह्णेयात्तदाज्ञया ।

तद्वंशजञ्च स्वलघुं सर्वलच्यासंयुतम् ॥ ११६ ॥

अर्थ--विधवास्त्री यदि श्वश्रूकी आज्ञा से कोई लड़का गेाद ले तेा त्रपने वंश के, अपने से छोटे, सर्वलत्त्रण-संयुक्त, ऐसे पुत्र को ले सकती है ॥ ११६ ॥

जिनोत्सवे प्रतिष्ठादें। सौहदे धर्मकर्मणि ।

कुटुम्बपालने शक्ता नान्यथा साऽधिकारिग्री ॥ ११७ ॥

अर्थ--जिनेन्द्र के उत्सव, प्रतिष्ठादि, जाति-सम्बन्धी, धर्म कर्मा**दि,** कुटुम्ब-पालन आदि कार्यों में (लड़के की) विधवा व्यय कर सकती है। दूसरे प्रकार में अधिकार नहीं है।। ११७।।

 इति संचेपतः प्रोक्तो दायभागविधिर्मया-पासकाध्ययनात्सारमुद्धृत्य क्वेशहानये ॥ ११८ ॥ एवं पठित्वा राज्यादिकर्म यो वा करिष्यति । लोके प्राप्स्यति सत्कीर्तिं परत्राऽप्स्यति सद्गतिम् ॥ ११-६ ॥ द्यर्थ—इस प्रकार संचेप से उपासकाध्ययन से सार लेकर क्वेश की द्वानि के लिए दायभाग मैंने कहा है । इसे पढ़कर यदि कोई राज्यादि कार्यों को करेगा ते। इस लोक में कीर्ति तथा परलीक में सदगति के प्राप्त होगा ॥ ११८--११-६ ॥

श्रीवर्द्धमान-नीति

प्रयम्य परया भक्त्या वर्धमानं जिनेश्वरम् । प्रजानामुपकाराय दायभागः प्रवच्च्यते ॥ १ ॥ ग्रर्थ----उत्हुष्ट भक्ति से श्रीवर्द्धमान जिनेश्वर को नमस्कार कर प्रजा के उपकार के लिए दायभाग का स्वरूप कहता हूँ ॥ १ ॥ ग्रीरसेा निजपत्नीजस्तत्समो दत्तकः स्मृतः । इमी मुख्यौ पुनर्दत्त कीतसौतसहोदराः ॥ २ ॥ इमे गै।याश्च विज्ञेया जैनशास्त्रानुसारतः । इतरे नैव दायादाः पिण्डदाने कदाचन ॥ ३ ॥ उत्पन्ने त्वौरसे पुत्रे चतुर्थांशहराः सुताः । सवर्य्या असवर्य्यास्ते भुक्त्याच्छादनभागिनः ॥ ४ ॥

अर्थ---निज पत्नो से उत्पन्न लड़का औरस पुत्र है और उसी की भाँति दत्तक (अर्थात् दिया हुआ, गेद लिया हुआ) लड़का होता है। यह दोनों पुत्र मुख्य हैं। फिर दत्त, क्रीत, सौत और सहोदर जैन-शास्त्र के अनुसार गैाग्रपुत्र हैं। इनके अतिरिक्त और सहोद्दर जैन-शास्त्र के अनुसार गैाग्रपुत्र हैं। इनके अतिरिक्त और कोई पुत्र दायाद नहीं हैं, और न पिण्डदान कर सकते हैं (अर्थात् नस्त्व नहीं चला सकते हैं)। औरस पुत्र के उत्पन्न होने पर यदि वह पिता के वर्श्य की माता से उत्पन्न हुआ है (गेद के) पुत्र को चौधाई भाग दिया जाता है। यदि औरस पुत्र अन्य वर्श्य की माता से उत्पन्न हुआ है ते वह केवल रोटी-कपड़ा पाता है ॥ २-४॥ नेाट---अन्य वर्श्य से अभिप्राय यहाँ केवल शूद्राग्री स्त्री से है। गुहीते दत्तके पुत्रे धर्मपत्न्यां प्रजायते। स एवोष्ग्रीषवन्धस्य योग्य: स्यादत्तकस्त स: ॥ ४॥

चत्रशींशं प्रदाप्यैव भिन्नः कार्योऽन्यसाचितः । प्रागेवेाष्णीषबन्धे तु जाते।ऽपि समभागयुकु ॥ ६ ॥ असंस्कृतं तु संस्कृत्य भ्रातरो भ्रातरं पुन: । शेषं विभज्य गृह्णीयुः समं तत्पैतृकं धनम् ॥ ७ ॥ पीछे अवशिष्ट धन का सब भाई समान भाग कर लें ॥ ७ ॥ पित्रोक्तर्ध्व भ्रातरस्ते समेत्य वस पैतृकम । विभजेरन्समं सवै जीवते। पित्ररिच्छया ॥ 🖕 ॥ (देखेा भद्रबाहुसंहिता श्लोक ४) 🛛 🖛 🕦 त्रनुढा यदि कन्या स्यादेकाव**ढीः स**होदरैः । स्वांशात्सर्वे तुरीयांशमेकीकृत्वा विवाहयेत 🕧 🗲 ॥ (देखेा भद्रबाहसंहिता श्लोक १२) ॥ २ ॥ सहोदरैनिंजांबाया भागः सम उदाहतः । साधिकं व्यवहारार्थं मृतौ सर्वेऽशभागिनः ॥ १० ॥ (देखेा भद्रबाहसंहिता श्लोक २१) ॥ १० ॥ पत्नीयुत्रौ भ्रातृजार सपिण्डस्तत्सुतासुतः । बान्धवेा गोत्रजा ज्ञात्या द्रव्येशा ह्यूत्तरोत्तरम् ॥ ११ ॥ तदभावे नृपेा द्रव्यं धर्मकार्ये प्रवर्त्तयेत । निष्पुत्रस्य मृतस्यैव सर्ववर्षो ब्वयं क्रमः ॥ १२ ॥

त्रर्थ----कोई पुरुष मर जाय ते। उसके धन के मालिक इस कम से होते हैं, स्त्री, पुत्र, भतीजा, सपिण्ड, पुत्रो का पुत्र, बन्धु, गोत्रज, ज्ञात्या। इन सबके अभाव में राजा उस धन को धर्म-कार्य में लगा दे। यह नियम सब वर्षों के लिए है।। ११---१२।। ऊढपुत्र्यां परेतायामपुत्रायां च तत्पतिः ।

स स्रोधनस्य द्रव्यस्याधिपतिश्च भवेत्सदा ॥ १३ ॥

(देखेा भद्रबाहुसंहिता २ -) ॥ १३ ॥

पत्युर्धनहरी पत्नी या स्याच्चेद्वरवर्ग्धिनी ।

सर्वाधिकारं पतिवत् सति पुत्रेऽथवाऽसति ॥ १४ ॥

अर्थ--विधवास्त्री पतित्रता हो तो पति के सम्पूर्ण धन की खामिनी होगी। उसको पति की भाँति पूरा अधिकार प्राप्त होता है चाहे लड़का हो या न हो। १४॥

पितृद्रव्यादिवस्तूनां मातृसत्वे सुतस्य हि ।

सर्वथा नाधिकारोऽस्ति दानविक्रयकर्मगि ॥ १५ ॥

अर्थ---माता के होते हुए दत्तक अथवा आत्मज पुत्र को पिता की स्थावर जङ्गम वस्तु के दान करने वा बेचने का सर्वथा अधिकार महों है ॥ १५ ॥

योऽप्रजा व्याधिनिर्मग्नश्चैकाकी स्त्र्यादिमोहितः । स्वकीय व्यवहारार्थं कल्पयेल्लेखपूर्वकम् ।। १६ ।। श्रधिकारिग्रमन्यं वै ससाचिं स्त्रीमनेानुगम् ।

कुलद्वयविशुद्धं च धनिनं सर्वसम्मतम् ॥ १७ ॥

भ्रौरसे। दत्तको वाऽपि कुर्यात्कर्म्म कुलागतम् । विशेषं तु न कुर्याद्वे मातुराज्ञां विना सुधी: ॥ १⊏ ॥ शक्तश्चैन्मातृभक्तोऽपि विनयी सत्यवाक्शमी । सर्वस्वांतहरो मानी विद्याध्ययनतत्पर: ॥ १-६ ॥

गृहीतदत्तकः स्वीयं जीवितप्राप्तसंशयः । परेा वा कृतसल्लेखं दत्वा स्वगृहसाधने ॥ २० ॥ ग्रापौगंडदशां बन्धुभूपाधिकृतिसाचिकम् । स्वयं नियोजयेत्सद्यः प्रायाद्भूयः परासुतां ॥ २१ ॥ प्राप्ताधिकारः पुरुषः प्रतिकूलो भवेद्यदि । मृतपत्नो तदादाय लेखभर्त्ट कृतं ततः ॥ २२ ॥ स्वयंकुलागतं चान्यनरैः रीतिं प्रचालयेत् । पतिस्थापितसर्वस्वं रच्तर्णीयं प्रयत्नतः ॥ २३ ॥ ग्रावस्थापितसर्वस्वं रच्तर्णीयं प्रयत्नतः ॥ २३ ॥

अय — याद किसी व्यक्ति न पुत्र गोद लिया हु आर उसका इपनी ज़िन्दगी का भरोसा नहीं है ते। उसको चाहिए कि वह अपने ख़ान्दान की रत्ता की ग़रज़ से लेख द्वारा किसी व्यक्ति को अपनी जायदाद का प्रबन्धकर्ता नियत कर दे ॥ २० ॥

विरादरी के लोगों और राजा के समच दस्तावेज़ (लेख) लिख देने के पश्चात अपनी जायदाद की श्रामदनी उसके सपुर्द कर दे; फिर यदि वह मर जावे और वह रच्तक उसकी विधवा के प्रतिकूल हो जावे ते। वह विधवा उसके। इटाकर उस लेख के अनुसार जायदाद काकुल के व्यवहार के अपनुकूल प्रबन्ध करे और अपने प्रयत्न से उसाकी रत्ता करे॥ २१— २३॥

तन्मिषेग्वैव निर्वाहं कुर्यात्सा खजनस्य हि । कुर्याद्धर्मज्ञातिकृत्ये स्वतूनामधिविकये ॥ २४ ॥

अर्थ---दत्तक पुत्र यदि माता-पिता से प्रतिक्रूल हो जाय ते। उसके असली माता-पिता को बुलाकर उसको नर्मी के साथ समभावे ॥२५॥

यदि फिर भी वह दुष्टता अथवा गुरूर के कारग न समभे ते। उससे नाता ते।ड़कर भाई-बन्धुओं ग्रीर राजा ग्रीर राजकर्मचारियें। की आज्ञा लेकर उसको घर से निकाल दे। फिर राजा ग्रीर पंच लोग उसकी फ़रयाद नहीं सुन सकते। इसके पश्चात् वह ग्रीरत (दत्तक पुत्र की माता) दूसरा पुत्र गोद ले सकती है। क्योंकि सब वर्गों में पुत्र सुख के लिए ही लिया जाता है।। २६—-२८ ।।

स्वयं निजास्पदे पुत्रं स्थापयेच्चेन्मृतप्रजा । युक्तं परमनूढस्य पद्दे स्थापयितुं न हि ॥ ३४ ॥ (देखेा भद्रवाहुसंहिता ५ रू) ॥ ३४ ॥ श्वश्चरस्थापिते द्रव्ये श्वश्रूसत्वेऽथवा वधू: । नाधिकारमवाप्नोति मुक्त्याच्छादन मंतरा ॥ ३५ ॥ दत्तगृहादिकं कार्यं सर्वं श्वश्रूमनोनुगम् । करग्रीयं सदा वध्वा श्वश्रूमातृसमा यतः ॥ ३६ ॥ श्रर्थ—सास के होते हुए मृत पुत्र की वधू को श्वशुर के द्रव्य में भेाजन-बस्नादिक के व्यतिरिक्त श्रीर कुछ श्रधिकार नहीं है । पुत्र

सुतासुतसुतात्मीयभागिनेयेभ्य इच्छया । देयाद्धर्मेऽपि जामात्रेऽन्यस्मै वा ज्ञातिभोजने ॥ ३३ ॥ (देखेा भद्रवाहुसंहिता ५८) ॥ ३३ ॥

(देखेा भद्रबाहुसंहिता ५६) ॥ ३१ ॥ न तत्पदे कुमारोऽन्यः स्थापनीयो भवेत्पुनः । प्रेतेऽन्ढे न पुत्रस्याज्ञाऽस्ति श्रोजैनशासने ॥ ३२ ॥ (देखेा भद्रवाहु संहिता ५७) ॥ ३२ ॥

(देखेा भद्रवाहुसंहिता ५५) ॥ ३० ॥ पुनः सो दत्तकः काललबिंध प्राप्य मृतेा यदि । भर्त्टेद्रव्यादि यत्नेन रत्त्तयेत् स्तैन्यकर्म्मतः ॥ ३१ ॥

जङ्गमे स्थावरे वाऽपि स्थातं म्वं धर्म्भवत्तमनि ॥ ३० ॥

दत्तपुत्रं गृहीत्वा यः स्वाधिकारं प्रदत्तवान् ।

को गोद लेकर उसको उचित है कि वह सब कार्य्य सास की आज्ञा के अनुकूल करे, क्योंकि मास माता समान होती है ॥ ३५—३६ ॥

पित्तद्रव्याविनाशेन यदन्यत्स्वयमर्जितम् । मैत्रमौद्वाहिकं चैवान्यद्भ्रातॄणां न तद्भवेत् ॥३७॥ पितृक्रमागतं द्रव्यं हतमप्यानयेत्परैः ॥ दायादेभ्यो न तद्दद्याद्विघया लब्धमेव च ॥३८॥

श्रर्थ—अनेक भाइयों में से एक भाई पिता के द्रव्य को विनाश न करता हुआ खयं चाकरी, युद्ध, विद्या द्वारा धन उपार्जन करे वा विवाह में या मित्र से पावे अथवा पिता के समय का डूबा हुआ धन निज पराक्रम से निकाले उसमें किसी का कुछ भाग न होगा॥३७—३८॥

विवाहकाले पतिना पितृपितृव्यभ्रातृभिः ।

मात्रा वृद्धभगिन्या वा पितृश्वस्रा यदर्पितम् ॥३२॥

वस्त्रभूषणपात्रादि तत्सर्वं स्त्रीधनं मतम् ।

तत्तु पञ्चविधं प्रोक्तं विवाइसमयदिनम् ॥४०॥

ग्रर्थ — विवाइ के समय पति तथा पति के पिता तथा स्वपिता-चाचा, भाई, माता, वृद्ध भगिनी अथवा बुवा ने वस्त्र-ग्राभूषण पात्रा दिक जेा दिया वह सब स्त्रो-धन अध्यग्नि है। यह पाँच प्रकार का होता है। विवाह के दिन का दिया होता है।।३-६---४०।।

पितृगृहात्पुनर्नीतं कन्याया भूषणादिकम् ।

ग्रध्याह्ननिकं प्रोक्तं भातृबन्धुसमत्तकम् ॥४१॥

अर्थ---जेा आमूषण आदि पिता के घर से कन्या भाई-बन्धु-जन के सम्मुख लावे वह अध्याह्वनिक कहलाता है ॥४१॥

दत्तं प्रीत्या च यत्थश्रवा भूषणादि श्वशुरेण वा। मुखेचणांझित्रहणे प्रीतिदानं तद्वच्यते ॥४२॥ अर्थ---सास-ससुर ने जेा कुछ मुखदिखाई अथवा पाँव पड़ने के समय प्रोतिपूर्वक दिया हो वह प्रीतिदान स्त्रीधन है ॥४२॥

ऊढया कन्यया चैवं यत्तु पितृगृहात्तथा ।

भ्रातुः सकाशादादत्तं धनमौदयिकं स्मृतम् ॥४३॥

अर्थ--विवाह के पीछे माता-पिता के रिश्तेदारों से जे। कुछ मिला हो वह श्रीदयिक है ॥४३॥

विवाहे सति यदत्तमंशुकं भूषगादिकम् ।

कन्याभर्त्र कुलस्त्रीभिरन्वाधेयं तटुच्यते ॥४४॥

त्र्यर्थ—जेा कुछ गहना इत्यादि पति के कुटुम्ब की स्नियों से विवाह के समय प्राप्त हुया हे। वह अन्वाधेय कहलाता है ॥४४॥

एवं पञ्चविधं प्रोक्तं स्रीधनं सर्व सम्मतम् ।

न केनापि कदा प्राह्य दुर्भिचाऽपद्वृषाहते ॥४५॥

दुर्मित्ते धर्म्मकार्ये च व्याधौ प्रतिरोधके ।

गृहीत स्त्रोधनं भत्तां न स्त्रिये दातुमईति ॥४६॥

अर्थ---दुर्मिच में, धर्म-कार्य में, रोग की दशा में, (व्यापार आदिकी) बाधात्रों के दूर करने के लिए यदि भर्ता स्त्रीधन को व्यय कर दे तेा उसको लौटाने की आवश्यकता नहीं ॥४६॥

पित्रोः सत्वे न शक्तः स्यात्स्यावरं जगमं तथा । निवरणः जनीनः जन्मी केन्याः

विविकयं प्रहीतुं वा कर्तु पैतामहं च सः ॥४७॥

(देखेा भद्रवाहुसंहिता ६०) ॥ ४७ ॥ मुक्त्युपायोद्यतश्चैको विभक्तेषु च भ्रातृषु । स्त्रीधनं तु परिखज्य विभजेरन्समं धनम् ॥४८॥ अर्थ—यदि बाँट के पूर्व भाइयों में से कोई भाई साधु हो। गया है ते। स्त्रीधन को। छोड़कर और सब द्रव्य के समान भाग लगाये जावेंगे ॥४⊂॥

अप्रजाश्चेत्स्वद्रव्याद्यद्वगिनीपुत्रितत्सुतात् । मातृबंधुजनांश्चैव तथा स्त्रोपच्वजानपि । ४-६। विभक्तादविभक्ताद्धि द्रव्यात्किंचिच्च दित्सति । तद्भ्रातरो निषेद्धारो भन्नेयुरतिकोपिताः ।।५०।।

यस्यैतेषु न कोऽप्यस्ति स द्रव्यं च यथेच्छया । सपथे कुपथे वापि दित्सन्वध्वा निवार्थते ॥५१॥

येषां विभक्तद्रव्यागां मृते ज्येष्ठे कनिष्ठके ।

भ्रातरस्तत्सुताश्चैव सोदरास्तत्समांशिनः ॥५२॥

ष्पर्ध—बाँट के पश्चात् यदि अनेक भाइयों में से बड़ा छोटा कोई एक मर जाय तेा उसका धन उसके शेष सब भाई वा भाइयों के पुत्र समान भाग में बाँट लें ॥ ५२ ॥

पंगुरंधश्चिकित्स्यश्च पतितक्लीवरोगिणः । जडोन्मत्तौ च त्रस्तांगः पोषणीयो हि आतृभिः ॥ ५३ ॥ अथ -- लगड़े, अन्धे, रोगी, नपुंसक, पागल, अङ्ग्रहीन भाई का पालन-पेषिण शेष भाइयों की करना चाहिए ।; ५३ ॥

पत्यौ जीवति यः स्त्रीभिरलंकारो घृते भवेत् ।

न तं भजेरन्दायादाः भजमानाः पतन्ति ते ॥५४॥

द्यय^९—पति के होते हुए जे। स्त्री जितने त्राभूष**ग्र धारग्र करती** रहती है उनकी बाँट नईीं होती है। श्रगर कोई उसकी भी बाँट करें ते। वे नीच समभ्कें जावेंगे ॥५४॥

खभर्तृद्रव्यं श्वशुरश्वश्रूभ्यां स्वकरे यदा । स्थापितं चेत्र शक्ताप्तुं पतिदत्तेऽधिकारिग्री ॥५५॥ प्राप्तुयाद्विधवा पुत्रं चेदगृह्णोयात्तदाज्ञया । तद्वंशजं च स्वलघुं सर्वलत्त्रणसंयुतम् ॥ ५६॥

(देखेा भद्रबाहु संहिता ११५-११६) ॥ ५५---५६ ॥ राजा निःस्वामिकं रिक्थ मात्र्यब्दं सुनिधापयेत् । स्वाम्यासुतत्रशक्तत्परतस्तु नृपः प्रभुः ॥५७॥

स्रर्थ—जिस धन का कोई स्वामी निश्चय न हे। उसको राजा तीन वर्ष तक सुरचित रक्खे; (यदि उस समय भी) कोई ब्रधिकारी न हो ते। उसकी राजा स्वयं ब्रहण करे ।:५७।।

इन्द्रनन्दि जिनसंहिता

पग्रमिय वीर जर्ऐदं गाडगा पुराकयं महाधम्मं । सडवासुङ्फयगांगं दायविकागं समासदेा वेात्थे ॥१॥

पुत्तो पित्त धग्रीहिं ववहारे जं जहाय कप्पेई ।

पेति। दायविभागो अप्पडि बंहोस पडिवं हो ॥२॥

अर्थ—पुत्र पिता के धन को व्यवहार से इच्छानुसार बरतता है। पोता उसको प्राप्त करता है चाहे वह अप्रतिबन्ध हो चाहे सप्रतिबन्ध ॥२॥

जीवदु भत्ता जं धणु णिय भज्जं सं पडुव्व सं दिणुगं 🖯

भुंजीद थावरं विग्रु जहेत्थु सातस्स भोयरिडि ॥३॥

अर्थ-अ्यैार जे। कि स्वामी (पति) ने अपने जीते स्वभार्या (निज स्त्री)को जंगमधन (माल मन कूला) प्रेम से दिया हो वह उसको इच्छा-नुसार भोग सकती है, परन्तु स्थावर जायदाद को नहीं ।।३॥

रयगा धगा धण्णा जाई सब्बस्स हवे पदू पिदा मुक्से।

थावर धणरस सव्वस्स इत्थि पिदा पिदा महाग्रावि ॥४॥

अर्थ---सर्व रत्न, मवेशी, धान्य आदि का स्वामी मुख्य पिता है, परन्तु सम्पूर्ण स्थावर धन का स्वामी पिता या पितामह नहीं हो सकता ॥४॥

संदे पितामहे जे थावर वत्थूग्र कोवि संदिट्टूॅं। जं ग्राभरग्रं वत्थं जहेत्यु तं विभायरिहा ॥४॥ अर्ध--पितामह (दादा या बाबा) की ज़िन्दगी में स्थावर धन को कोई नहीं ले सकता। परन्तु सब लोग अपने अपने आभर**ष** वस्त्र उसमें से यथायोग्य पावेंगे ॥४॥

जादा वा वि अजादा बाला अग्याणिग्रो वा पिसुग्रा वा । इत्थं कुडुंववग्गां जत्तायां धम्म किचम्मि तजग्रे ।।७।। एयो विवकियं वा कुज्जादाग्र हि थावर सुवत्शु । मादा पिदा हु भावय जेट्टं भाय गढुगं पुग्रो अण्ग्रो ।।⊂।। सब्वे सम सग्गा हुय तेण्हं कलहोा नसं होई । मादा सुदव्य्छयावा विग्गा भागं सु भाय ग्रामितं ।।-६।। गिण्हादि लंवडेाविहु बुत्त्थे। रुग्गारू गयछहो कामी । दुदेा वेस्सासत्तो गिण्हइ भायं जहोत्तियं तथ्य ।। १० ।।

अर्थ----जात तथा अजात पुत्रों, नावालिग और अयोग्य व्यक्तियें के होते हुए कोई भी यात्रा, धर्म-कृत्य, मित्र जन के वास्ते स्थावर धन को विकय अथवा दे नहीं सकता है। माता, पिता, ज्येष्ठ आता और अन्य कुटुम्वियेां अर्थात् दायादेां की सम्मति से विकय कर सकते हैं। इस तरह से फगड़े नहीं होंगे। यदि माता स्वेच्छा से विभाग करे ते। सब उचित भाग पाते हैं। यदि कोई व्यक्ति दुष्ट है या असाध्य रोग का रोगी है अथवा कोई वाव्छा रहित, कामी, दूत (जुवारी), वेश्यासक्त है ते। वह अपनी ज़रूरत भर के लिए आग पावेगा। ७--१०॥ भत्रय सव्व समंसा सवंसिया ग्रंगणाहु संकुज्जा। जणये गणो विभाऊ ग्रहम्मदे कज्जये कयाकुत्य ॥ ११ ॥ जइचेदु करिज तद्दा ग्रंपभाणं हेाइसब्बत्य । सत्त विसणा सेवी विसयी कुट्टो हु वादि उ विमुद्देा ॥ १२ ॥ गुरु मत्थय विमुद्देा विय ग्रहियारी खेब रारि सा द्देाइ । जिट्ठो गिण्हेइ धर्णं जं विहुणिय जणय तज्जग्रय जण्णं ॥ १३ ॥ रक्सेइ तं कुडंबो जद्द पितरा तद्द समग्गाई । उठाहु जादुहिदरो णिय गिय मायं स धग्रस्स मायरिद्दा ॥१४॥ तह भावेतस्स सुया तद्द भावे गिय सु उ बावि । श्रविभत्त विभत्त धग्र मुक्से साहोइ भामिग्री तत्व ॥ १४ ॥

अर्थ-सब शेष पुत्र समान भाग लें श्रीर धर्मभार्था भी पुत्रों के समान भाग लें; इस प्रकार (भाग) उचित है। (इसके विपरीत) अन्याय या किसी पृथक् अभिप्राय से भी विभाग नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा विभाग किया गया है, तो वह सब जगह अनुचित ठहरेगा। जो पुत्र सप्त कुव्यसनासक्त, विषयी, कुष्ठी, अप्रिय, गुरु विमुख हो वह विभाग का अधिकारी न होगा। ज्येष्ठ पुत्र पिता व पितामह का विर्सा पाता है। जिस प्रकार से माता-पिता कुटुम्ब की रत्ता करते हैं, वैसे ही ज्येष्ठ पुत्र को करनी चाहिए; श्रीर सब परिवार भी उसको वैसा ही माने। यदि कोई विवाहिता पुत्री हो तो वह अपनी माता के धन की अधिकारिग्री होगी। यदि उसका (पुत्री का) अभाव हो तो उसका पुत्र, उसका भी अभाव हो तो स्वयं अपना पुत्र अधि-कारी होगा। जो धन बँटा हो या न बँटा हो उस धन की मुख्य अधिकारिग्री धर्मभार्या होती है॥ ११--१५॥

भत्तरि ग्रट्ठे विमदे बायाइ सुरुग्ग गहले वा । खेतं वर्खु धग्रं वा धग्रु दुपय चढुपयं चावि ॥ १६ ॥

÷

जेट्ठा भायरिहा सा सा या कुटुंव सुपालेई । पुत्रो कुडुंबजेा वा मज्जोलाः दुसुसंकिड बण्गो ॥ १७ ॥ तहवि त्रभावे दोहिद तस्स ग्रहावे हि गोदीय ।

तस्स अहावे देउर सतवारिस प्प माग्ययं ग्रेयं ॥ १८ ॥

अर्थ-जब कोई मनुष्य लापता हो जाय या मर जाय या वातादि रोग से प्रस्त (वावला) हो जाय तब चेत्र, मकान, धन, धान्य, द्विपद, चतुष्पद की मालिक उसकी ज्येष्ठ भार्या, जो कुटुम्ब का पालन करेगी, होगी। उसके अभाव में पुत्र, फिर सवर्थ माता-पिता से उत्पन्न भतीजा, इनके भी अभाव में दोहिता, उसके अभाव में गोत्री, (यह भी नहीं तेा) भर्ता का छोटा भाई सात वर्ष की वय का 11 १६---१८ 11

नोट—भर्ता के सात वर्ष की उम्र के छोटे भाई का भाव ऐसे बच्चे से है जेा पति के छोटे भाई के सदृश है और जिसकेा मृतक पुत्र की वधू दत्तक बनावे ॥

बूढं वा ग्रब्बूढे गिगाहिया पंचजग सक्वी ।

जे। एगुद्धरेहिय कमदेा भूभीदु पुब्बगाट्ठाई ॥ १- ॥

तुरियं भायं दिण्णय लहदिय अण्णोहु सब्बस्स ।

गिय जगाय धर्ण जं विहु गियबदब्ब मघादए इतं इव्वं ॥ २० ॥ दायादेउ ग दिजई विजालद्धं धर्ण जंहि ।

जइ दिण्णा धर्णां जं बिहु भूसगावत्थादियंव जं श्रण्णां ॥२१॥ श्रर्थ---विवाहित हो अथवा अविवाहित कैसा ही हो उसको पञ्चजनेंं की साची से (गेद) लेना चाहिए। जेा व्यक्ति पूर्व गई हुई ज़मीन को फिर अपने पराक्रम से प्राप्त करे तेा उसको उसका चतुर्थांश मिल्लेगा। शेष श्रीर दायाद पावेंगे। पिता के द्रव्य को निज द्रव्य समम्तके, श्रीर बिदून उसको बाधा पहुँचाये या कम किये, जे। रचा कर बचा ले ऐसी संपत्ति को अन्य दायादेां को न दे; और जो विद्या से धन उपार्जन करे तथा जो निज को मिला हो अथवा स्राभूषय-वस्त्रादि स्रीर इसी प्रकार की स्रीर वस्तुस्रों को भी न दे ॥ १-----२१ ॥

गिण्हेदि ग्रा दायादा पडति ग्रारये ग्रा हा चाबि । ग्रियकारिय कूवाइय भूषग्रा वत्थुय घग्गोवि ॥ २२ ॥ ग्रिय एबहि होई यहू अण्गोये तस्स दायदा ग्रोबि । पोयाहु पितदब्बं ग्रिय यं चउवज्जियं तद्दा ग्रोयं ॥ २३ ॥

अर्थ--उपर्युक्त धन को और कोई दायाद नहीं ले सकता, जे लेगा वह नरक में पड़ेगा। और जो किसी ने स्वयं कूप, भूषण, वस्त्र बनाया हो और गोधन तथा इसी तरह की अन्य सम्पत्ति जो किसी ने प्राप्त की हो वह स्वयं उसी की होती है। उसमें कोई भागो नहीं होते हैं। इसी तरह से समम्फ लेना चाहिए कि पोते ने पिता का जो द्रव्य फिर प्राप्त किया हो उसका अथवा अपनी स्वयं पैदा की हुई जायदाद का वही मालिक होता है ॥ २२--२३॥

गिय पिउमहे जे दब्बे भाउजण ग्रीछिया सुद्दवे।

धण्णं जं ग्रविइतं तहेव तं समंसमं खेयं ॥२४॥

अर्थ--पितामद्द के द्रव्य का विभाग माता और भाईयों की आज्ञा के अनुकूल होता है। जे। घन बँटा नहीं है वह इसी तैार से समानांश बाँटने योग्य है।। २४॥

धाइग्रिवं ट्ठावर सामित दुण्ह लत्य सरसम्मि ।

जोद सुद बिमाउ ग्रेउहि सवग्रजग्रिय बहु सरिसे। । २५ ।।

म्रर्थ-पृथ्वी (ग्रीर पितामह के ग्रीर स्थावर धन) में पिता व पुत्र का ग्राधिकार समान है; ग्रीर यदि भाग ले चुकने के पश्चात् सवर्णा भार्या का पुत्र उत्पन्न ग्हो ते। वह भी पुनः सम्पूर्ण आतात्रों के समान भाग लेने का अधिकारी होगा ॥ २५ ॥

पुब्वं पच्छाजादे विभक्त जे। सब्ब संगाही। जीवदु पिच्चधग्रोवि हु जाम्हि जहातहादिण्णं॥ २६॥ ग्रेह विसादे। तत्यहु गिण्ह जहुग्रावरेग्र एतत्य। पंचत्तगये जग्राये भाया समभाइग्री हवेतत्त्य॥ २७॥

अर्थ --- पुत्र, उत्पन्न होने पर, उस जायदाद में जा उसके पैंदा होने से पहले बॅंट गई है इकदार हो जाता है। अपने जीते जी पिता ने चाहे जिस तरह पर अपना धन चाहे जिस किसी का दे दिया हो, उसमें उज्ज करना अनुचित है, और वह किसी का नहीं लेना चाहिए। पिता के पाँचवें आश्रम का चले जाने पर, अर्थात् मर जाने पर, माता भी जायदाद में बराबर की हकदार हो। जाती है ॥ २६-२७ ॥

भाया भयग्री देखिय संभज्जा दायभाग दे। सरिसा । भायरि सु पद्दाडेखिय लहु भायर भायग्री हु संरक्खा ॥ २८ ॥ ग्रर्थ-भाई-बहिन दोनें। जायदाद को समान बाँट लें। बड़े भाई को छचित है कि छेाटेभाई और बहिन की रत्ता करे ॥२८॥ दत्ता दाग्र विसेसं भइग्रीउ पारिग्रे दब्बा । देता पुत्ता एय सुदा धग्रं विभज्जंति द्वा तद्दाभाये ॥ २८ ॥ सेसं जेट्ठो लादिहु जहा रिग्रं ग्रो तहा गिण्हे । सुद्दाहु वंभजा जे चड तिय दुगुग्राप्वभाइग्रो ग्रेया ॥ ३० ॥

अर्थ-दहेज देकर बहिन का विवाह कर देना चाहिए। अगर देा लड़के और एक लड़की हो ते। सम्पत्ति के तीन भाग करने चाहिएँ। उससे जे। बचे उसको बड़ा भाई ले, जिससे ऋग्र न लेना पड़े। यह जान लेना चाहिए कि ब्राह्मग्र पिता के पुत्र, शूद्राग्री माता की सन्तान के अतिरिक्त जेा ब्राह्मणी, चत्राणो, वैश्याणी माताओं से उत्पन्न हुए हों वह क्रमशः ४, ३,२भाग के अधिकारी होते हैं ॥ २६---३०॥

खत्तिय सुद्दा ग्रेया तिय ंदुगुग्राप्प भाइग्रो ग्रेया । सुददु सुद्दा दुगुदुग भायरिहा वैस्स सुद्दजा इक्कं ॥ ३१ ॥ अर्थ--चत्रिय (पिता) के पुत्र ३; वैश्य (पिता) के २; झौर झूद्र के एक भाग के अधिकारी, माता के वर्ग्य की अप्रेच्चा* से, होंगे ॥३१॥ तिय वग्र्यज जादेाविहु सुद्दो वित्तं या लहइ सब्वत्थ । तिय वग्र्यज जादेाविहु सुद्दो वित्तं या लहइ सब्वत्थ । उरस ग्रिये पयग्रीड दत्तो भाइज देहिया पुत्तो ॥ ३२ ॥ गोदज वा खेतुब्भव पुत्तारा देहु दायादा । कण्ग्रीग्रेपच्छण्ग्रेा पच्छण्ग्रो वाग्रो पुग्रब्भवेाघुत्तो ॥ ३३ ॥

भ्रर्थ--चाहे तीनेां वर्षों के पिता से ही क्यों न उत्पन्न हों तो भी शूद्राग्री माता के पुत्र पिता की सम्पत्ति को सर्वथा ही नहीं पाते हैं। श्रीरस (जेा धर्मपत्नी से उत्पन्न हुम्रा है), गोद लिया हुन्रा पुत्र, भतीजा, देाहिता, गात्रज, चेत्रज (जेा उसी कुल में पैदा हुन्ना हो), यह लड़के निःसंदेह दायाद हैं। कुँवारी का पुत्र, निज पत्नो का पुत्र (जेा छिपी रीति से पैदा हुन्ना हो, या जेा खुले छिनाले उत्पन्न हुन्ना हे।), छत्रिम, जेा लेकर पाला गया हो, ऐसी औरत का पुत्र जिसका

* इस बात को ध्यान में रखते हुए कि चत्रिय तीन वर्धों में विवाह कर सकता है अथवा अपने वर्धा में और अन्य नीचे के वर्धों में, वैश्य दो वर्धों में और शूद एक ही वर्ध में अर्थात अपने ही वर्ध में। यह विदित होता है कि इस स्रोक का और इससे पहिले के स्रोकों का शायद यही अर्थ हो कि चत्रिय पिता की भिन्न-भिन्न वर्धों की स्नियों की औलाद (शूदायाी के लड़कों को छोड़-कर) कमशः ३ और २ भाग पावेगी, और वैश्य के पुत्र समान (२ और २) भाग पावेंगे (शूदायाी का पुत्र कुछ नहीं पायेगा); और शूद के लड़के एक-एक भाग अपने पिता के हिस्से में पावेंगे। दृसरा विवाह हुम्रा है, और छे।ड़ दिया हुम्रा बच्चा जेा पुत्र की भाँति रखागया हो ॥ ३२----३३ ॥

ते पुत्ता पुत्तकप्पा दायादा पिण्डदाग्येवं ।

पित्तु गये परलोये ग्रद्धं ग्रद्धं सहगाहुते सब्बे ।

दायादा के के विद्व पठमं भज्जा तदा दुपुत्तोहि ॥ ३५ ॥

ग्रर्थ---यदि पिता मर जाय तेा वह (दासीपुत्र) श्राधा भाग लेगा । श्रीर दायाद कौन होा सकते हैं ? प्रथम धर्मपत्नी, फिर पुत्र ॥ ३५ ॥ पच्छादु भायराये पच्छातह तस्सुदाखेया ।

पच्छा तहा स पिंडा तहा सुपुत्ती तहा सुतजोय ॥ ३६ ॥

त्र्यर्थ---फिर भाई, फिर भतीजे, फिर सपिण्ड, तत्पश्चात् पुत्री और उसके बाद पुत्री का पुत्र ॥ ३६ ॥

अग्रणे इकोविबंधुवि सुग्गोयेजा जाइ जे। हु दब्वेग ।

तस्सवि कें ाय पमार्ग रायपमार्ग हेवइ जं पत्तं ॥ ३७ ॥

अर्थ--इनके पश्चात् कोई बन्धु, फिर कोई गोत्रीय, फिर कोई जातीय, मृतक के धन का स्वामी, लोक अथवा राज्य-नियमानुकूल से हो सकता है ॥ ३७ ॥

दत्ते तम्मिण कलहो सुसिच्छदे। धम्मसृरिहिं णिच्चं ।

दिण्णाम परायपेत्त ससरिकयं गो। इवेइ कलहोाय ॥ ३८ ॥

त्रर्थ-----डक्त प्रकार दाय अधिकार में कलह न होगा; ऐसा धर्माचार्यों ने सदा के लिए निश्चय किया है । राज्यनीति व लोकव्यवहार के अनुसार द्दाय के निर्शय करने में विवाद न होगा ॥ ३⊂ ॥ सब्बं सब्बस मदं जहा तहा दाय भायम्मि ।

सब्बेसिं हि ग्रहावे पुहुग्रिवो वित्त वंभ विगा॥ ३-६॥

ष्पर्थ----बाँट इस प्रकार से करनी चाहिए जेा सबको खोछत हो ष्प्रीर जो सबके फ़ायदे के लिए हो। इन (उपर्युक्त) दायादेां के ष्प्रभाव में धन का स्वामी राजा होगा, परन्तु ब्राह्मण के धन का नहीं ॥३-६॥

बंभस्स ज धर्ण विहु तस्सहु भजाहि विभगा अण्णे।

जिट्ठे गयेहु भायरि तहिय कण्रिहे विभत्त स दब्बे ॥ ४० ॥

श्रर्थ—यह निश्चय है कि ब्राह्मग्राके धन की श्रधिकारिग्री उसकी स्त्रो होगी और उसके अभाव में कोई ब्राह्मग्रा ही स्वामी होगा। और ज्येष्ठ भाई की मृत्यु पर उसके छोटे भाई उसका धन बाँटलें।। ४०।।

सेायरबंधु वग्गो गेण्इदु तेसिं धर्षा कमसो। पडिदेा पंगू वहिरो जम्मत्तो संद कुज्ज क्रंघोय ॥ ४१ ॥ बिसई जडोय कोही गूँगेा रुग्गोय पयडूलो। विसग्री अभक्खभोई एदेसिं भाग जुग्गदेा ग्रत्थि ॥ ४२ ॥ भुत्ति बसग्र जग्रिता परंदु जस्सा विकस्सावि । मंतेा सहाइ शुद्धा एदेसिं भाग जोगदा अत्थि ॥ ४ ३ ॥

एदसिं बि सुदा अवि दुहिरा जो सब्ब गुग्र सुद्धोय।

होइहु भाय सु जुग्गा णियधम्मरदा जणाहु सब्बेसिं ॥ ४४ ॥

जहकालं जहखेतं जहाबिहिं तेसिं समभाऊ।

बिबरीया ग्रिव्वस्सा पडिउलाये तहेव वाढव्वा ॥ ४५ ॥

अर्थ--धन का भाग यथाकाल, यथाचेत्र, नियमानुकूल समभाग में कर देना चाहिए। जेा सर्वथा सद्व्यवहार के प्रतिकूल चले वह भाग का अधिकारी न होगा, (थ्रीर) जो माता-पिता के विरोधी हैं वह भी दाय के इक़दार न होंगे ॥ ४५ ॥

पुब्बबहू तहा सुद कमसो भायस्स भाइग्रो होई।

इत्थिय धर्ण खु दिण्णं पाणिगइणस्स कालये सब्बं ॥ ४६ ॥ अर्थ---पूर्व स्त्री, फिर पुत्र, यह क्रमशः द्दाय के भागी होंगे। जो विवाह के समय मिले वह सब स्त्रीधन है ॥ ४६ ॥

माया पिया भयिण्णा पिच्चसुसायेहिं संदिण्णं।

भूसग वत्थ हयादिय सब्बं खलु जाग इत्थिधगं ॥ ४७ ॥

श्रर्थ—-माता, पिता, आता, बुआ (पिता की भगिनी) आदिने जो आभूषण, वस्त्र घोड़े आदि दिये हों से। सब (स्त्रीधन) है ॥ ४७ ॥ तम्हि धगम्हिय भाड ग्रहि एयस्सावि दायस्स । सप्पयाइ ग्रिप्पयाइंहिं हवे विसेसेाय मादुये समयं ॥ ४⊂ ॥

ग्रर्थ--- उस (स्त्रीधन) में किसी दायाद का कुछ त्राधिकार नहीं। स्त्री सप्रजा (पुत्रवती) अप्रजा (अपुत्रवती) देा भेद-वाली होती है॥ ४८ ॥ तज्जासुय भइणिसुया ग कोबि तस्सा गिवारड होई। जो सुद भाइ भतिज्जड सक्खीकिय जं परस्सु धग्रादिण्णं ॥ ४- ॥ तस्सहि कोड गिसिद्धा ग होइ किसु वा विसेसेग । साक्खी विग्राय दिण्णं ग धगं तस्सावि होइ गिबियदो ॥ ५० ॥ जादे दिग्धविवादे तस्सेव धगं धुबं होई । एवं दायविभायं जहागमं मुग्रिबरेहिं गिदिट्रं ॥ ५१ ॥

श्रर्थ---(स्त्रोधन का सप्रजा माता की मृत्यु पर) उसका पुत्र अथवा भानजा (मालिक होगा)। उनको कोई रोक नहीं सकता । अपुत्रा (अप्रजा) के मालिक भतीजे (भाई केपुत्र) होंगे। गवाहों की साची में जो धन किसी को दिया जाये उसमें कोई उज्जु नहीं कर सकता है। इससे अधिक क्या हो सकता है। जो धन साची बिना किसी को दिया जावे वह उसका कभी नहीं होता है। विभाग के पश्चात यदि फगड़ा हो तो वह जायदाद देनेवाले ही की ठहरेगी। इस प्रकार से दाय व विभाग शास्त्रानुसार मुनियों ने वर्गन किया है। अरुरू--५१।

तं खु ववहारादेा इयलोयभवंहि गादव्वं ।

धम्मो दुविहो सावय स्रायारी धम्म पुन्त्रेाव पढमं ॥ ५२ ॥

ग्रर्ध—यह दायभाग के लियम इस लोक के व्यवद्वारार्ध जानना चाहिए । धर्म दो प्रकार का है—एक श्रावक धर्म जो कि प्रथम है ग्रीर गृहस्थधर्मपूर्वक होता है ॥ ५२ ॥

दुदिउ वउ पजुत्तो मूलं पाक्खिगमड सैंचि। भरहे कोसलदेसे साकेये रिसहदेव जिण्णाहो ॥ ५३ ॥ जादेा तेखेड कम्मवि भूमे रयगा समुदिट्टा । तस्स सुदेग य चक्र पवट्रिया भरहराय संगेग ॥ ५४ ॥ श्रायार-दाग दंडा दायबिभाया समुदिट्ठा।

वसुणंदि इंदणं दिहि रचिया सा संहिदा पमाषाहु ॥ ५५ ॥ भर्थ---दूसरा धर्म उनके लिए है जो त्रतेां को पालते हैं। पवि-त्रता की वृद्धि ही जिनका ब्याश्रय है। भरतचेत्र के कोशल देश में झौर अयोध्या नगरी में श्रीऋषभदेव उत्पन्न हुए। उन्होंने कर्म-मूंमि की रचना का उपदेश दिया था। उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती ने ग्राचार, दान, दण्ड, दाय और विभाग के नियम बनाये थे। वही वसुनन्दि इन्द्रनन्दि ने संहिता में कहा है सो प्रमाण है॥ ५३-५५॥

अर्हनीति

लच्मणातनयं नत्वा दुसदिन्द्रादिसेवितम् ।

गेयामेयगुणाविष्टं दायभागः प्ररूप्यते ॥ १ ॥

अर्थ-(माता) लच्मग्रा रानी के पुत्र (श्रीचन्द्रप्रभु खामी) को नमस्कार करके जिनका सम्पूर्श प्रकार के इन्द्रादि देव प्रणाम करते हैं और जा सर्वगुणालंकुत हैं दायभाग का अध्याय रचा गया है॥ १॥

खखत्वापादनं दायः स तु द्वैविध्यमशुते ।

ग्राज्ञः सप्रतिबन्धरच द्वितीयोऽप्रतिबन्धकः ॥ २ ॥

अर्थ---जिसके द्वारा सम्पत्ति में अधिकार का निर्धय हो। वह दाय है। यह देा प्रकार का है। एक सप्रतिबन्ध, दूसरा अप्रति-बन्ध॥ २॥

दाये। भवति द्रव्यार्थां तद् व्यं द्विविधं स्मृतम् ।

स्थावरं जङ्गमं चैव स्थितिमत स्थावरं मतम् ॥ ३ ॥

गृहभूम्यादिवस्तूनि स्थावराणि भवन्ति च ।

जङ्गमं स्वर्ग्रारौप्यादि यत्प्रयोगेन गच्छति ॥ ४ ॥

अर्थ---दाय का सम्बन्ध द्रव्य से होता है। द्रव्य देा प्रकार का है। एक स्थावर दूसरा जङ्गम। जेा पदार्थ स्थिर हों---जैसे भूमि, फुल्लवाड़ी इत्यादि---वह सब स्थावर है। स्वर्ण-चाँदी इत्यादि जेा पृथक् हो सके सेा जङ्गम है। ३-४॥

न विभज्यं न विक्रेयं स्थावरं च कदापि हि ।

प्रतिष्ठाजनकं लोके आपदाकालमन्तरा ॥ ५ ॥

अर्थ---स्थावर धन को जिसके कारग्र इस लोक में प्रतिष्ठा होती है किसी सूरत में भी आपत्ति-काल के आतिरिक्त बाँटना अथवा बेचना नहीं चाहिए ॥ ५ ॥

सर्वेषां द्रव्यजातानां पिता स्वामी निगद्यते । स्थावरस्य तु सर्वस्य न पिता न पितामहुः ॥ ६ ॥ ऋर्थ----सर्व प्रकार के द्रव्य का पिता स्वामी कद्दा जाता है । परन्तु स्थावर द्रव्य के स्वामी न पिता होता है न पितामह ही ॥ ६ ॥

जीवरिपतामद्दे ताते दातु' नेा स्थावरे चमः ।

तथा पुत्रस्य सद्भावे पितामहमृतावपि ॥ ७ ॥

ग्रर्थ-—बाबा की ज़िन्दगी में पिता केा स्थावर वस्तु को दे देने का ग्रधिकार नहीं है । इसी प्रकार पुत्र की उपस्थिति में पितामह के न होते हुएभी स्थावर वस्तु को पिता टूसरे को नहीं दे सकता ॥ ७ ॥

पिता स्वोपार्जितं द्रव्यं स्थावरं जङ्गमं तथा।

दातुं शक्तो न विक्रेतुं गर्भरथेऽपि स्तनंधये ॥ 🗆 ॥

अर्थ— युत्र यदि गर्भ में हो श्रथवा गेाद में हो ते। पिता ग्रपना स्वय ं उर्पाजन किया हुआ स्थावर-जङ्गम देानों प्रकार का धन किसी को दे या बेच नहों सकता है ॥ ⊂ ॥

ग्रज्ञाता ग्रथवा हीनाः पितुः पुत्राः सदा भुवि ।

सर्वेस्वाजीविकार्थं हि तसिंगन्नशहराः स्मृताः ॥ - ।।

अर्थ—-पुत्र अज्ञानी, मूर्ख, अङ्ग्रहीन, आचारभ्रष्ट भी हो ते। भी अपनी रत्ता व गुज़ारे के लिए पिता के द्रव्य में भाग का अधिकारी है ॥ र ॥

बाला जातास्तथाऽजाता अज्ञानाश्च शवा अपि। सर्वेस्वाजीविकार्थं हि तस्मिन्नंशहरा स्मृताः॥ १०॥ अर्थ-जो बालक डत्पन्न नहीं हुआ है तथा उत्पन्न हो गया है और जो बुद्धिरहित है अथवा जे उत्पन्न होकर मर गया है (भावार्थ म्रतक पुत्र की सन्तान), ये सब अपनी-अपनी जीविका के लिए उस धन के उत्तराधिकारी हैं ॥ १० ॥

अप्राप्तव्यवहारेषु तेषु माता पिता तथा।

कार्ये त्वावश्यके कुर्यात्तस्य दानं च विकयम् ॥ ११ ॥

अर्थ--पुत्र रेाज़गार न जानते हों (भावार्थ नाबालिग़ हों) तेा उनके माता-पिता किसी ग्रावश्यकता के समय ग्रपनी स्थावर वस्तु को बेच सकते हैं श्रीर प्रथक् कर सकते हैं ॥ ११॥

दुःखागारे हि संसारे पुत्रो विश्रामदायकः ।

यस्माहते मनुष्याणां गाईरथ्यं च निरर्धकम् ॥ १२ ॥

अर्थ--दुःख के स्थान-रूपी इस संसार में पुत्र विश्राम को देनेवाला है। विना पुत्र का घर निरर्थक है। १२॥

यस्य पुण्यं बलिष्ठं स्यात्तस्य पुत्रा अनेकश: ।

संभूयैकत्र तिष्ठंति पित्रोस्सेवासु तत्पराः ॥ १३ ॥

अर्थ — जिस मनुष्य का पुण्य बलवान है उसके बहुत पुत्र होते हैं, और सब आपस में शामिल रहकर सहर्ष माता-पिता की सेवा करते हैं ।। १३ ।।

लोभादिकारगाजाते कलौ तेषां परस्परम् ।

न्यायानुसारिभिः कार्या दायभागविचारणा ॥ १४ ॥

त्रर्थ—यदि ले।भ के कारण भाई-भाई में कलह उत्पन्न हेा जाय ते। द्रव्य की बाँट न्यायानुकूल करनी चाहिए ॥ १४ ॥

पित्रोरूर्ध्वं तु पुत्रार्धां भागः सम उदाहतः ।

तयेारन्यतमे नूनं भवेद्भागस्तदिच्छया ॥ १५ ॥

ध्रर्थ—माता-पिता के मरने पश्चात् पुत्रों का समान भाग होता है । परन्तु माता-पिता में से कोई जीवित हो। ते। बटवारा डसके इच्छानुसार होता है ॥ १५ ॥

विभक्ता अविभक्ता वा सवे पुत्राः समांशतः ।

पित्रोऋ रेंगं प्रदत्वैव भवेयुर्भागभागिन: ॥ १६ ॥

त्र्यर्थ—पृथक_ू हों ग्रथवा शामिल सब पुत्र पिता-माता के ऋ**ग** को बराबर-बराबर भाग में देकर हिस्से के इकुदार होते हैं ।। १६ ।।

धर्मतश्चेत्पिता कुर्यात्युत्रान् विषमभागिनः ।

प्रमाखवैपरीत्ये तु तत्कृतस्याप्रमाखता ॥ १७ ॥

अर्थ---धर्मभाव से पिता अपना द्रव्य पुत्रों को न्यूनाधिक भी दे दे ते। अयोग्य नहीं, परन्तु विपरीत बुद्धि से दे ते। वह नाजायज़ होगा ॥ १७ ॥

व्यमचित्तोऽतिवृद्धश्च व्यभिचाररतस्तु यः ।

द्युतादिव्यसनासक्तो महारेागसमन्वितः ॥ १⊂ ॥

उन्मत्तरच तथा क्रुद्धः पत्तपातयुतः पिता ।

नाधिकारी भवेद् भागकरणे धम्मैवर्जित: ॥ १-६ ॥

अर्थ—ग्रस्यन्त व्यप्र चित्तवाला, श्रत्यन्त वृद्ध, व्यभिचारी, जुग्रारी, खोटे चाल-चलनवाला, पागल, महारोगी, कोध में भरा हुग्रा, पचपाती पिता का किया हुग्रा विभाग धर्मानुकूल न होने के कारण मान्य नहीं है।। १८---१६।।

ग्रसंस्कृता येऽनुजास्तान् संस्कृत्य भ्रातरः स्वयं ।

ग्रवशिष्टं धनं सवे[°] विभजे**युः परस्परम् ॥** २० ॥

ग्रर्थ--पिता की सम्पत्ति में से बचों (पिता के लड़के-लड़कियों) के संस्कारों के करने के पश्चात् शेष को सब भाई बाँट लें।। २०।।

अनुजानां लघुत्वे तु सर्वथाप्यम्रजाे धनम् । सर्व गृह्णति तत्पैत्र्य तदा तान्पालयेत्सदा ॥ २१ ॥ अर्थ---छोटे भाई बालक हों तेा बढ़ा भाई पिता की संपूर्ण संपत्ति को निज हाथ में रखकर उनका पालन-पोषण करे ॥ २१ ॥ विभक्तानविभक्तान्वै भ्रातुन् ज्येष्ठः पितेव सः। पालयेत्तेऽपि तज्ज्येष्ठ' सेवन्ते पितरं यथा ॥ २२ ॥ अर्थ---जुदा हो गये हेां अथवा शामिल रहते हें। छोटे भाइयें। को बड़े भाई केा पिता के समान मानकर उसकी सेवा करनी चाहिए ध्रीर बड़ा भाई उनको पुत्र के समान समफकर उनका पालन करे ॥ २२ ॥ पूर्वजेन तु पुत्रेग अपुत्रः पुत्रवान् भवेत् । तते। न देय: सेाऽन्यस्मै कुदुम्बाधिपतिर्यत: ॥ २३ ॥ श्रर्थ-प्रथम जन्मे हुए पुत्र से श्रपुत्र मनुष्य सपुत्र कहलाता . है। इसलिए ज्येष्ठ पुत्र किसी को (दत्तक)देना उचित नहीं, क्योंकि वह क़ुट्रम्ब का भ्रधिपति होता है ॥ २३ ॥ ज्येष्ठ एव हि गृह्णीयात् पैत्र्यं धनमशेषतः । शेषास्तदनुसारित्वं भजेयुः पितरं यथा ॥ २४ ॥ अर्थ---ज्येष्ठ पुत्र पिता का सब धन स्वाधीन करे और रोष भाई पिता समान सममकर उसके आज्ञानुकूल चलते रहें ॥ २४ ॥ एकानेका च चेत्कन्या पित्रोरूर्ध्व स्थिता तदा। स्वांशात्पुत्रस्तुरीयांशं दत्त्वाऽवश्यं विवाहयेत् ॥ २५ ॥

भर्थ-एक या अधिक भगिनी पिता के मरे पश्चात् कुँग्रारी हों ते। उनको सब भाई अपने अपने भाग का चतुर्थांश लगाकर ब्याह दें ॥ २५ ॥ विवाहिता च या कन्या तस्या भागे। न कहिंचित् ।

पित्रा प्रीत्या च यदत्तं तदेवास्या धनं भवेत् ॥ २६ ॥

म्रर्थ—जिस कन्या का ब्याइ हो गया हो उसका पिता के द्रव्य में भाग नहीं होगा। पिता ने जे। कुछ उसको दिया हो वही उसका धन है ॥ २६॥

यावतांशेन तनया विभक्ता जनकेन तु ।

तावतैव विभागेन युक्ताः कार्य निजस्तियः ॥ २७॥

अर्थ—पिता को अपनी स्त्रियों को पुत्रों के समान भाग**देना** चाहिए ॥२७॥

पितुरूर्ध्वं निजाम्बायाः पुत्रैभौगश्च सार्धकः ।

लैकिक व्यवहारार्थं तन्मृतै। ते समांशिनः ॥ २⊂ ॥

अर्थ----यदि पिता के मरने के पश्चात् बाँट होतो पुत्रां को चाहिए कि अपनी माता को आधा-आधा भाग लोक-व्यवहार के लिए दें और उसके मरने के पीछे उस धन को सम भागों में बाँट लें ॥ २८ ॥

पुत्रयुग्मे समुत्पन्ने यस्य प्रथमनिर्गमः ।

तस्यैव ज्येष्ठता ज्ञेया इत्युक्तं जिनशासने ॥ २ छ ॥

अर्थ-दो पुत्र एक गर्भ से हों तेा जेा पुत्र प्रथम पैदा हो वही ज्येष्ठ पुत्र है। ऐसा जैन शासन का वचन है।। २-६॥

दुहितापूर्वमुत्पन्ना सुतः पश्चाद्भवेद्यदि ।

पुत्रस्य ज्येष्ठता तत्र कन्यांया न कदाचन ॥ ३० ॥

अर्थ-प्रथम कन्या जन्मे फिर पुत्र, तेा भी पुत्र ही ज्यैष्ठ्य का इक्दार होगा, कन्या ज्येष्ठ नहीं हो सकती ॥ ३० ॥

यस्यैकस्यां तु कन्यायां जातायां नान्यसंतति: ।

प्राप्तं तस्याश्चाधिपत्यं सुतायास्तु सुतस्य च ॥ ३१ ॥

अर्थ---जिस मनुष्य के केवल एक कन्या हो श्रीर कुछ सन्तान न हो तेा उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके धन के मालिक पुत्री-देहिते होंगे ॥ ३१ ॥

ग्रात्मैव जायते पुत्रः पुत्रेग्र दुहिता समा । तस्यामात्मनि तिष्ठंत्यां कथमन्यो धनं हरेत ॥ ३२ ॥ (देखेा भद्रबाह्रसंहिता २६) ॥ ३२ ॥ गृह्णाति जननी द्रव्यं मृता च यदि कन्यका । पितृद्रव्यमशेषं हि दौहित्र: सुतरां हरेत् ॥ ३३ ॥ श्रर्थ---व्याही हुई कन्या माता का द्रव्य पाती है, इसलिए उसका पुत्र (ग्रर्थात दोहिता) उसके पिता का द्रव्य लेता है ॥३३॥ पैत्रदौहित्रयोर्मध्ये भेदोऽस्ति न हि कश्चन । तयोर्देहेन सम्बन्ध पित्रोर्देहस्य सर्वथा ॥ ३४ ॥ अर्थ---पैत्र श्रीर दोहिता (कन्या का पुत्र) में कुछ भंद नहीं है । इन देानेां के शरीरों में माता पिता के शरीर का सम्बन्ध है ॥३४॥ विवाहिता च या कन्या चेन्मृताऽपत्यवर्जिता। तदा तद्दयुम्नजातस्याधिपतिस्तत्पतिर्भवेत् ॥ ३५ ॥ अर्थ---- व्याही हुई कन्या जेा सन्तान बिना मर जावे तेा उसके धन का मालिक उसका पति है ॥ ३४ ॥ विभागोत्तरजातस्तु पुत्रः पित्रंशभाग् भवेत् नापरेभ्यस्त आतृभ्यो विभक्तेभ्योंऽशमाप्नुयात् ॥ ३६ ॥ भ्रर्थ—बाँट हे। जाने के पश्चात जे। पुत्र उत्पन्न हे। वह पिता का हिस्सा पाता है। और अपने ज़ुदे भाइयों से हिस्सा नहीं पा सकता है ॥ ३६ ॥ पितुरूर्ध्वं विभक्तेषु पुत्रेषु यदि सोदरः । जायते तद्विभागः स्यादायव्ययविशोधितात् ॥ ३७ ॥

भ्रर्थ----बाँट के पश्चात् पिता मर जावे श्रौर फिर एक श्रीर भाई जन्मे जेा बाँट के वक्त पेट में था तेा वह जायदाद में श्रामदनी व खर्च का हिसाब लगाकर भाग पाता है !! ३७ !!

ब्राह्मग्रस्य चतुर्वर्गाः स्नियः सन्ति तदा वसु ।

विभज्य दशघा तज्जान् चतुस्तिद्वर शभागिनः ॥ ३८ ॥

कुर्यादिपता वशिष्ठं तु भागं धर्मे नियोजयेत् ।

शूद्राजाते। न भागाहीं भोजनांशुकमंतरा ॥ ३- ॥

अर्थ -----शेष का एक भाग धर्म-कार्य में लगा देना चाहिए । शुद्रा स्त्रो का पुत्र रोटी कपड़े के अतिरिक्त भाग नहीं पा सकता है ॥३-६॥ चत्राब्जात: सवर्षायामर्धभागी विशाल्मजान ।

जातस्तुर्याशभागी स्याच्छूद्रोत्पन्नोऽन्नवस्त्रभाक् ॥४०।।

अर्थ---चत्रिय पिता के चत्रिय स्त्री के पुत्र को पिता का आधा और वैश्य स्त्री के पुत्र को चैाथाई धन मिलेगा । उसका शूद्रा स्त्री से उत्पन्न हुआ पुत्र केवल भोजन और वस्त्र का ही प्रधिकारी होगा॥४०॥

वैश्याज्जातः सवर्षायां पुत्रः सर्वपतिर्भवेत् ।

शूद्राजाते। न दायादे। योग्यो भोजनवाससाम् ॥४१॥

अर्थ---वैश्य पिता का सवर्षा स्त्री का पुत्र पिता का सर्वधन लेता है। उसका शृद्रा स्त्री का पुत्र वारिस नहीं है, अस्तु वह केवल भोजन वस्त्र का अधिकारी है।।४१॥

वर्णत्रये यदा दासीवर्णशूद्रात्मजेा भवेत् ।

जीवत्तातेन यत्तस्मै दत्तं तत्तस्य निश्चतम् । ४२ ॥

मृते पितरि तत्पुत्रैः कार्यं तेषां हि पालनम् । निबंधश्च तथा कार्यस्तातं येन स्मरेद्धि सः ॥ ४३ ॥

ग्रर्थ—तीन (उद्य) वर्षों के पुरुषों के पास बैठो हुई शूद्र वर्ष की स्त्री से जेा पुत्र उत्पन्न हों उनको पिता अपने जीवन-काल में जेा कुछ दे उसके वह निश्चय मालिक हेंगि। पिता के मरे पीछे उक्त दासीपुत्रों के निर्वाह के लिए बन्दे।बस्त कर देना चाहिए जिससे कि वह पिता को याद रक्खें।।४२-४३॥

शूद्रस्य स्त्री भवेच्छूदा नान्या तज्जातसूनवः ।

यावन्तस्तेऽखिला नूनं भवेयुः समभागिनः ॥४४॥

अर्थ---शुद्र पुरुष की स्त्री शूद्रा होती है अन्य वर्ध की नहीं होती । उस स्त्री के पुत्र पिता के धन में बराबर भाग के प्रधिकारी होंगे ।। ४४ ।।

दास्यां जाताेऽपि शूद्रेग भागभाक पितुरिच्छया।

मृते तातेऽर्धभागी स्यादूढाजे। आतृभागतः ॥ ४५ ॥

जीवनाशाविनिर्मुक्तः पुत्रयुक्तोऽथवा परः । सपत्नोकः स्वरचार्थमधिकारपदे नरम् ॥४६॥ दत्त्वा लेखं सनामाङ्क राजाज्ञासाचिसंयुतम् । कुलीनं धनिनं मान्यं स्थापयेत् स्त्रोमनेाऽनुगम् ॥४७॥ प्राप्याधिकारं पुरुषः परासौ गृहनायके । स्वामिना स्थापितं द्रव्यं भच्चयेद्वा विनाशयेत् ॥४८॥ भवेच्चेत्प्रतिकूलश्च मृतवथ्वाः कथंचन । तदा सा विधवा सद्यः कृतन्नं तं मदाकुलम् ॥४२॥ भूपाज्ञापूर्वकं कृत्वा स्वाधिकारपदच्युतम् । नरैरन्यैः स्वविश्वस्तैः कुलरीतिं प्रचालयेत् ॥५०॥

तद्द्रव्यमतियत्नेन रच्चणीयं तया सदा। कुटुम्बस्य च निर्वाहस्तन्मिषेण भवेद्यथा ॥५१॥ सत्यौरसे तथा दत्ते सुविनीतेऽथवासति । कार्ये सावश्यके प्राप्ते कुर्याहानं च विकयम् ॥५२॥

अर्थ----- उस (विधवा) को द्रव्य की बड़े यत्नपूर्वक रचा करनी उचित है। जिससे उसकी (विधवाकि) चतुराई से कुटुम्ब का पालन हो। औरस पुत्र हो अधवा विनयवान दत्तक पुत्र के होते हुए और पुत्र के अभाव में भी वह विधवा छी आवश्यकता के समय पति के धन में से दान कर सकती है वा बेच सकती है ॥५१-५२॥ अध्टे नष्टे च विचिप्ते पत्यौ प्रव्रजिते मृते । तस्य निःशेषवित्तस्याधिपा स्याद्वरवर्ष्णिनो ॥५३॥ अर्थ-पति लापता हो जाय या मर जाय या बावला हे। जाय या दीचा लेकर त्यागी हे। जाय ते। उसके सब धन की स्वामिनी उसकी स्त्रो होगी ॥४३॥

कुटुम्बपालने शक्ता ज्येष्ठा या च कुलाङ्गना ।

पुत्रस्य सत्वेऽसत्वे च भ्रातृवत्साधिकारिग्री ॥५४॥

अर्थ---क्रुटुम्ब का पालन करने में समर्थ बड़ी विधवा, पुत्र हो तब भी और न हो तब भी, पति के धन की उसके ही तुल्य अधि-कारिग्री होती है ॥४४॥

भ्रातृव्यं तदभावे तु स्वकुटुम्बात्मजं तथा । श्रसंस्कृतं संस्कृतं च तदसत्वे सुतासुतम् ॥९९॥ बंधुजं तदभावे तु तस्मिन्नसति गोत्रजम् । तस्यासत्वे लघुं सप्तवर्षसंस्थं तु देवरम् ॥९६॥ विधवा स्वौरसाभावे गृहीत्वा दत्तरीतितः । श्रधिकारपदे भर्तुः स्थापयेत्पंचसाचितः ॥९७॥

ध्रर्थ---ध्रौरस पुत्र के ग्रभाव में विधवा को चाहिए कि वह पाँच साचियों के समच दत्तक विधि के अनुसार दत्तक पुत्र गोद लेकर उसको अपने धन का स्वामी बनावे। प्रथम भर्चा के भाई का पुत्र, यदि वह न हो तेा पति के कुटुम्ब का बालक चाहे उसके संस्कार हुए हीं चाहे नहीं, यह भी न हो तेा निज कन्या का पुत्र (दाहिता), फिर किसी बंधु का पुत्र, इसके बाद पति के गोत्र का कोई लड़का, उसके अभाव में सात वर्ष की उम्र का देवर दत्तक पुत्र बनाया जा सकता है ॥४४-४०॥

यद्यसौ दत्तकः पुत्रः प्रीत्या सेवासु तत्परः । विनयाद्धक्तिनिष्ठश्च भवेदौरसवत्तदा ॥४८॥ अर्थ--दत्तक पुत्र गोद लेनेवाले माता पिता की सेवा में तत्पर हो और भक्तियुक्त विनयवान हो तब औरस के समान समभा जाता है ॥५८॥

अप्रजा मनुजः स्त्री वा गृह्णोयाद्यदि दत्तकम् । तदा तन्मातृपित्रादेर्लेख्यं वध्वादिसाचियुक् ॥५.२॥ राजमुद्रांकितं सम्यक् कारयित्वा कुटुम्वजान् । तते। ज्ञातिजनांश्चैवाहूय भक्तिसमन्वितम् ॥६०॥ सधवा गीततूर्थादिमंगलाचारपूर्वकम् । गत्वा जिनालये छत्वा जिनामे स्वस्तिकं पुनः ॥६१॥ प्राप्तुतं च यथाशक्ति विधाय स्वगुरुं तथा । नत्वा दत्त्वा च सद्दानं व्याघुट्ट्य निजमन्दिरम् ॥६२॥ भ्रागृत्य सर्वल्लोकेभ्यस्तांबूलश्रीफलादिकम् । इत्त्वा सत्कार्यस्वसादीन् वस्त्रालंकरग्रादिभिः ॥६३॥ माहूतस्वीयगुरुग्रा कारयेऽज्ञातकर्म सः । ततो जाते।ऽस्य पुत्रोऽयमिति लोकौन्गिग्यते ॥६४॥

त्रर्थ — निःसन्तान (ग्रपुत्र) पुरुष वा स्त्री किसी बालक को दत्तक पुत्र बनावे ते। उस वालक के माता पिता से एक लेख लिखवा ले श्रीर उस पर उसके कुटुम्बी जनेां की गवाही करावे श्रीर राजा की मुहर करा ले । श्रीर भक्तिपूर्वक बन्धु जन तथा ग्रन्य सम्ब-निधयों को बुलावे । सुहागिनी स्त्रियाँ मङ्गलगान करें तथा श्रन्य प्रकार के मङ्गल कार्य हों, बाजा बजाते गाते जिनालय में जायेँ श्रीर भगवान् के सम्मुख स्वस्तिक रचकर यथाशक्ति द्रव्य भेंट चढ़ा स्वगुरु की वन्दना कर सुपात्रों को दान दे । फिर घर भ्राये एकत्रित हुए वन्धु-जनों के सम्मानार्थ ताम्वूल श्रीर श्रीफल तथा निज भगिनियें के। बस्नाभूष्य दे सत्कार करे । श्रपने गुरु को बुलाकर उससे विधि- पूर्वक जातिकर्म करावे। फिर यह प्रसिद्ध होगा कि यह पुत्र इनका है।।भूट-६४॥

तदैवापग्रभूवास्तुमामप्रभृतिकर्मसु ।

ग्रधिकारमवाप्नेति राजकार्येष्वयं पुनः ॥ ६५ ॥

ग्रर्थ—इस पर (दत्तक पुत्र) दुकान, पृथ्वी, मकान, गाँव ग्रादि के कामेंा में अधिकार प्राप्त करता है ॥६५॥

सवर्धस्त्र्यौरसोत्पत्तौ तुर्यांशाहों भवत्यपि ।

भोजनांशुकदानाही असवर्णास्तनंधयाः ॥६६॥

अर्थ-दत्तक पुत्र किये पश्चात् सवर्षा स्त्री से औरस पुत्र उत्पन्न हो तेा दत्तक को चौथाई भाग मिले, परन्तु अन्य वर्षे की स्त्रो से पुत्र जन्मे तेा वह केवल भाजन वस्त्र का ही ष्रधिकारी होता है ॥६६॥

नेट—यहाँ लाँ का मन्शा केवल उस दशा से विदित होता है जब कि वैश्य पिता के वैश्य थ्रीर शूदा देा वर्षों की स्त्रियाँ हैं। ग्रब यदि वैश्याणी से पुत्र उत्पन्न हो ते। दत्तक को क्षे भाग कुल धन का मिलेगा। शेष सब थ्रीरस पुत्र पावेगा। थ्रीर जे। शूदा से हो ते। वह दत्तक सर्व सम्पत्ति पावेगा।

गृहीते दत्तके जाते श्रीरसस्तर्हि बन्धनम् ।

उष्णीषस्य भवेत्तस्य नहि दत्तस्य सर्वथा ॥ ६७ ॥

ग्रर्थ---यदि किसी ने दत्तक पुत्र ले लिया हेा ग्रौर फिर ग्रीरस पुत्र डत्पन्न हो तेा पगड़ो बाँधने का ग्रधिकारी ग्रीरस पुत्र ही होगा । दत्तक पुत्र को पगड़ो बाँधने का सर्वथा ग्रघिकार नहीं है ॥ ६७ ॥

तूर्यमंशं प्रदाप्यैव दत्तः कार्यः पृथक् तदा ।

पूर्वमेवेाष्णीषबन्धे येा जात: स समांशभाक् ॥ ६८ ॥

अर्थ--उस समय दत्तक पुत्र को चैाथाई भाग देकर अलग कर देना चाहिए। यदि दत्तक पुत्र को पहिले पगड़ी बाँध दी गई हो श्र<mark>ीर उसके बाद श्र</mark>ीरस पुत्र उत्पन्न हो ते। श्रीरस पुत्र उसके समान श्र<mark>घिकार का आगी है</mark> ॥ ६⊏ ॥

भ्रीरसो दत्तकश्चैव मुख्यौ क्रोतः सहोदरः ।

दैाहित्रश्चेति कथिताः पञ्चपुत्रा जिनागमे ॥ ६- ॥

च्रर्थ---च्रीरस और इत्तक यही दोनें। मुख्य पुत्र होते हैं; मोल का लिया, सहोदर, दोहिता यह गै।ए हैं यही पाँच प्रकार के पुत्र हैं जे। जिनागम में कहे हैं।। ६-६।।

धर्मपत्न्यां समुत्पन्न श्रीरसे। दत्तकस्तु सः ।

यो दत्तो मातृपितृभ्यां प्रीत्या यदि कुटुम्बज: ॥ ७० ॥

कयकोते। भवेत्कीतो लघुभ्राता च सादर: ।

सौतः सुतोद्भवश्चेमे पुत्रा दायहराः स्मृताः ॥ ७१ ॥

भ्रर्थ---जो अपनी धर्मपत्नो से उत्पन्न हुम्रा हो वह श्रीरस कहलाता है; ध्रीर जो अपने कुटुम्ब में उत्पन्न हुभ्रा हो श्रीर उसके माता पिता ने प्रेमपूर्वक दे दिया हो वह दत्तक पुत्र कहलाता है। जेा मूल्य देकर लिया हो वह कोत है। छोटा भाई सहोदर है। पुत्री का पुत्र सैम्त (दैीहित्र) है। ये पाँच प्रकार के पुत्र उत्तराधिकारी (धन के भागीदार) कहाते हैं। ७०--७१॥

पैनिर्भवश्च कानीनः प्रच्छन्नः चेत्रजस्तथा । छत्रिमश्चेापविद्धश्च दत्तश्चैव सहोटजः ॥ ७२ ॥ ग्रष्टावमी पुत्रकल्पा जैने दायहरा नहि ।

मतान्तरीयशास्त्रेषु कल्पिताः स्वार्थसिद्धये ॥ ७३ ॥

अर्थ---ऐसी स्त्री का पुत्र जिसका दूसरा विवाह हुआ हो, कन्या का पुत्र, छिनाले का पुत्र, नियोग से पैदा हुआ पुत्र (चेत्रज), जिसे लेकर पाला हो (क्वत्रिम), त्यागा हुआ बालक, जेा स्वयं आ गया हो, माता के साथ (विवाह के पहले के गर्भ के फल-स्वरूप) भ्राया हुम्रा पुत्र, इनमें से कोई भी जैन शास्त्रानुसार दाय के भ्रधिकारी नहीं हैं। म्रन्य मत के शास्त्रों में इनको स्वार्थवश पुत्र माना है॥ ७२—७३॥

पत्नी पुत्रश्च भ्रातृव्याः सपिण्डश्च दुद्दितृजः । बन्धुजेा गोत्रजश्चैव स्वामी स्यादुत्तरोत्तरम् ॥ ७४ ॥ तदभावे च ज्ञातीयास्तदभावे मद्दीभुजा । तद्धनं सफलं कार्यं धर्म्ममार्गे प्रदाय च ॥ ७४ ॥

अर्थ-स्त्री, पुत्र, भाई का पुत्र, सात पीढ़ी तक का वंशज, देहिता, बन्धु का पुत्र, गोत्रज, श्रीर इनके श्रभाव में ज्ञात्या: यह कमश: एक दूसरे के अभाव में उत्तरोत्तर दायभागी होंगे। इन सबके श्रभाव में राजा मृतक के धन की किसी धर्मकार्य में लगाकर सफल बना दे॥ ७४-७५॥

प्रतिकूला कुशीला च निर्वास्या विधवापि सा ।

ज्येष्ठदेवरतत्पुत्रै: कृत्वान्नादिनिबन्धनम् ॥ ७६ ॥

श्रर्थ—यदि विधवा कुलाम्नाय के प्रतिकूल चलनेवाली श्रीर कुशोला है तेा उसके पति के भाई भतीजों के। चाहिए कि उसके गुज़ारे का प्रबन्ध करके उसको घर से निकाल दें।। ७६।।

सुशीलाप्रजसः पेष्या योषितः साधुवृत्तयः ।

प्रतिकूला च निर्वास्या दु:शीला व्यभिचारिग्री ।। ७७ ॥

अर्थ — जो स्नियाँ सुशील हेां जिनका ग्राचरग्र अच्छा हे। श्रीर जिनके कोई सन्तान न हो। ऐसी स्नियों का पालन पेषग्र करना चाहिए । श्रीर जेा व्यभिचारिग्री हैं, बुरे खभाव की हैं श्रीर प्रतिकूल हैं उन्हें निकाल देना चाहिए ।। ७७ ।।

भूतावेशादिविचिम्रात्युप्रव्याधिसमन्विता । वातादिदूषिताङ्गी च मूकांघाऽस्पष्टभाषिग्री ॥ ७८ ॥ मदान्धा स्मृतिहोना च धनं स्वीयं कुटुम्बकम् । त्रातुं नहि समर्थां या सा पेष्या ज्येष्ठदेवरैः ॥ ७- ॥ भ्रातृजैश्च सपिंडैश्च बन्धुभिर्गोत्रजैस्तथा । ज्ञातिजै रच्नग्रीयं तद्धनं चातिप्रयत्नतः ॥ ८० ॥

अर्थ — भूतादिक बाधा के कारग जें। विधवा बावली हो, जें। अत्यन्त रेग्गी हो, जें। फालिज के रेग्ग में मुब्तिला हो, जे। गूँगी व अन्धी हो, जें। साफ़ साफ़ बोल नहीं सकती हो, जो मान के मद से उन्मत्त हो, जें। सारग शक्ति में असमर्थ हो और इस कारग अपने कुटुम्ब व धन की भी रक्ता न कर सके, ऐसी स्त्री के धन की रक्ता कमपूर्वक उसके पति के भाई, भतीजे, सात पीढ़ी तक के बंशियों को तथा चैदिह पोढ़ी तक के बंशियों तथा और जातिवालों के। यत्नपूर्वक करनी चाहिए ॥ ७५-५० ॥

यच्च दत्तं स्वकन्यायै यज्जामातृकुलागतम् ।

तद्धनं नहि गृह्णेयात् कोऽपि पितृकुलोद्भवः ॥ ८१ ॥

किन्तु त्राता न कोऽपि स्यात्तदा तातधनं तथा ।

रचेत्तस्या मृतौ तच धर्ममार्गे नियोजयेत् ॥ ८२ ॥

त्रर्थ—जो द्रव्य कन्या को (़खुद) दिया हे। या जे। उसको उसकी ससुराल से मिला हो उसके। कन्या के मैकेवालों को नहीं लेना चाहिए। किन्तु यदि उसका कोई रत्तक न रहे ते। उस समय उस पुत्री की तथा उसके धन की रत्ता करे ग्रीर उसके मरने पर उस धन को धर्म-मार्ग में लगा देवे।। ⊏१–⊏२।।

आत्मजो दत्रिमादिश्च त्रिद्याभ्यासैकतत्परः । मातृभक्तियुतः शान्तः सत्यवक्ता जितेन्द्रियः ॥ ⊂३ ॥ समर्थो व्यसनापेतः कुर्याद्रोतिं कुलागताम् । कर्तुं शक्तो विशेषं नेा मातुराज्ञा विमुच्य वै ॥ ⊂४ ॥ अर्थ---श्रीरस हें। चाहे दत्तक पुत्र हें। जे। विद्याभ्यास में तत्पर हेां माता की भक्ति करनेवाले हों, शान्तचित्त हें।, सत्य वोलनेवाले जितेन्द्रिय हेां, इनको चाहिए कि अपनी शक्त्यनुसार कुलाम्नाय के अनुकूल काम करें; परन्तु उनको कोई विशेष कार्य माता की आज्ञा का उल्लङ्घन करके करने का अधिकार नहीं है।। ⊏३-⊏४ ।।

पितुर्मातुर्द्वयाः सत्वे पुत्रैः कर्तुं न शक्यते ।

पित्रादिवस्तुजातानां सर्वथा दानविक्रये ॥ ८५ ॥

ऋर्थ—माता पिता दोनों के जीवते पुत्र पिता के धन को दान नहीं कर सकता है ग्रीर न बेच सकता है ॥ ⊏५ ॥

पितृभ्यां प्रतिकूलः स्यात्पुत्रो दुष्कर्मयोगतः । जातिधर्माचारभ्रष्टोऽथवा व्यसनतत्परः ॥ ८६ ॥

स बोधितोऽपि सद्वाक्यैर्नत्यजेद्दुर्मतिं यदि । तदा तद्वृत्तमाख्याय ज्ञातिराज्याधिकारिषाम् ॥ ८७ ॥ तदीयाज्ञां गृहीत्वा च सर्वैः कार्य्यो गृहाट्टहिः ।

तस्याभियोगः कुत्रापि श्रोतुं योग्यो न कर्द्वित् ॥ ८९ ॥

ऋर्थ—पाप के डदय से यदि पुत्र माता पिता की झाज्ञा न माने और कुल की मर्यादा के खिलाफ चले या दुराचारी हो और रास्ती से समभाने पर बुरी भ्रादतों को नहीं छोड़े ते। राजा और कुटुम्ब के लोगों से फ़रयाद करके उनकी झाज्ञा से उसकी घर से निकाल देना चाहिए। फिर उसकी शिकायत कहीं नहीं सुनी जा सकेगी ॥⊂६—-⊏⊂॥

पुत्रोकृत्य स्थापनीयेाऽन्येा डिम्भ: सुकुलोद्भवः ।

विधीयते सुखार्थं हि चतुर्वर्धेषु सन्ततिः ॥ ८२ ॥

ग्रर्थ--- उसके स्थान में किसी अच्छे कुल के बालक का स्थापित करना चाहिए, क्येंकि सब वर्षों में सन्तान सुख के लिए ही होती है।। ८-६।। पारित्रज्या गृहीतैकेनाविभक्तेषु बन्धुषु ।

विभागकाले तद्भागं तत्पत्नी लातुमईति ॥ २० ॥

पुत्रस्त्रीवर्जितः कोऽपि मृतः प्रव्रजिते।ऽयवा ।

सर्वे तद्भ्रातरस्तस्य गृह्णोयुस्तद्धनं समम् ॥ - १ ॥

अर्थ---जो पुरुष पुत्र या स्त्री को छोड़े बिना मर जाय अथवा साधू हो जाय ते। उसका धन उसके शेष भाई व भाई के पुत्र सम भाग बाँट लें।। ----१।।

उन्मत्तो व्याधितः पंगुः षंढोऽन्धः पतितेा जडः ।

स्रसाङ्गः पित्रविद्वेषी मुमूर्षु र्वधिरस्तथा ॥ २२ ॥

मूकश्च मातृविद्वेषी महाकोधी निरिन्द्रियः ।

देाषन्वेन न भागार्हाः पोषग्रीयाः स्वभ्रातृभिः ॥ २३ ॥

श्वर्थ---पागल, (ग्रसाध्य रोग का) रोगी, लॅंगड़ा, नपुंसक, अन्धा, पतित, मूर्ख, कोढ़ी, अङ्ग्रहीन, पिता का द्वेषी, मृत्यु के निकट, बहरा, मूक (गूँगा), माता से द्वेष करनेवाला, महाकोधी, इन्द्रियद्दीन, ऐसे व्यक्ति भाग नहीं पा सकते। कोवल और भाई उनका पालन पोषय करेंगे ॥ -८२--८३॥

एषां तु पुत्राः पत्न्यश्चेच्छुद्धा भागमवाप्नुयुः ।

देाषस्यापगमे त्वेषां भागाईत्वं प्रजायते ॥ २४ ॥

अर्थ---यदि ऐसे दूषगोंवाले व्यक्ति के पुत्र तथा स्त्री देाष-रहित हों तेा उसका भाग उनको मिलेगा त्रीर यदि वे स्वय' देाष-रहित हेा गये हें। तेा भाग की योग्यता पैदा हो जाती है ॥ -८४ ॥ विवाहिते। ९पि चेदत्तः पितृभ्यां प्रतिकूलभाक ।

भूपाज्ञापूर्वेकं सद्यो निःसार्यो जनसाचित: ॥ - ५५ ॥

अर्थ--विवाह किये पश्चात भी दत्तक पुत्र माता पिता के प्रति-कूल चले तेा उसकोा तत्काल राजा की ग्राज्ञा लेकर गवाहों की साची से निकाल देना चाहिए ॥ -६५ ॥

पैतामह' वस्तुजातं दातुं शक्तो न कोऽपि हि ।

अनाएच्छा निजां पत्नीं पुमान् आतृगर्यं च वै ॥ २६ ॥

अर्थ-अपनी स्त्रो, पुत्र, आता के पूछे बिना कोई पुरुष दादा की सम्पत्ति किसी को दे नहीं सकता ॥ -६६ ॥

पितामहार्जिते द्रव्ये निबन्धे च तथा सुवि ।

पितुः पुत्रस्य स्वामित्वं स्मृतं साधारग्रं यत: ॥ २७ ॥

जातेनैकेन पुत्रेग पुत्रवत्योऽखिलाः स्त्रियः ।

ग्रन्यतरस्या ग्रपुत्राया मृतैा स तद्धनं हरेत् ॥ २८ ॥

द्मर्थ—एक स्त्रो के पुत्र का जन्म इोने से (एक पुरुष की) सम्पूर्श स्त्रियाँ पुत्रवती समभो जाती हैं। व्यतएव डनमें से यदि कोई स्त्रो मर जाय श्रीर डसके पुत्र न इो तेा उसका द्रव्य वही पुत्र खे।। रू⊏ ॥

पैतामहे च पौत्रागां भागाः स्युः पितृसंख्यया ।

पितुर्द्रव्यस्य तेषां तु संख्यया भागकल्पना ॥ २२ ॥

भ्रर्थ-पितामइ (दादा) के द्रव्य में लड़कों की संख्या पर पोतेां को हिस्सा मिलता है श्रीर श्रपने श्रपने पिता के द्रव्य में से पोते जितने हों समान भाग पाते हैं ॥ २६ ॥

Jain Education International

उसकी जायदाद की आमदनी के लेने का हक रखती है। खर्च करने का नहीं; शेष सब द्रव्य का अधिकारी पुत्र ही है ॥ १०२-१०३ ॥ मृतक लड़के का लड़का जीवित है। नियम यह है कि ग्रगर मृतक पुत्र को बाबा ने हिस्सा देकर पृथक् कर दिया था तब विधवा उसकी वारिस होगी; नहीं ते। जब उसका पति अपने जीते जो किसी वस्तु का मालिक नहीं था तेा वह किसी वस्तु की अधिकारिग्री न होगी। क्योंकि बाबा के होते हुए उसके पति का उसकी जायदाद में कोई इक नहीं था।

का अधिकार नहों है ॥ १०१ ॥ विभक्ते तु व्ययं कुर्याद्धर्मादिषु यथारुचि । तत्क्रत्न्यपि मृतौ तस्य कर्तुं शक्ता न तद् व्ययम् ॥ १०२ ॥

प्राप्तोऽधिकारं सर्वत्र द्रव्ये व्यवहतौा सुत: ॥ १०३ ॥

अर्थ---स्वामी के भाग में आये पश्चात् स्त्री अपने इच्छानुसार

धर्मादिक और अन्य कार्यों में व्यय कर सकती है। परन्तु बदि पति बाँट के पहिले ही मर गया हो ते। वह केवल गुज़ारे मात्र के लिए

क्रत्ये निजे व्ययीकर्तुं सुतसम्मतिमंतरा ॥ १०१ ॥ अर्थ---परम्परा से चली आई ससुरे की सम्पत्ति को अपने पुत्र की सम्मति बिना मृतक लड़के की विधवा को अपने कार्य में खर्चने

अर्थ-एक से अधिक भाइयों में से यदि एक भाई के भी पुत्र उत्पन्न हो तो उसके कारण सकल भाई पुत्रवान् होते हैं ॥ १०० ॥ अविभक्तं कमायातं श्वशुरस्वं नहि प्रभुः ।

पुत्रस्त्वेकस्य संजातः सोदरेषु च भूरिषु ।

निर्वाहमात्रं गृह्णीयात्तद्द्रव्यस्य चामिषत: ।

तदा तेनैव पुत्रेग ते सर्वे पुत्रिगः स्मृताः ॥ १०० ॥

तथापीशो व्ययं कर्तुं न ह्यंवानुमतिं विना। सुते परासें। तत्पत्नी भर्तुर्धनहरी स्मृता ॥ १०४॥ यदि सा शुभशीला स्त्री श्वश्रूनिर्देशकारिग्री। कुटुम्बपालने शक्ता स्वधर्मनिरता सदा ॥ १०५॥

ग्रर्थ-तो भी पुत्र को माता की सम्मति बिना ख़र्च करना डचित नहीं है। परन्तु उसके मरने पर डसकी स्त्री भर्तार के धन की स्वामिनी होगी। ग्रगर वह सुशीला त्राज्ञावान कुटुम्बपालन में तत्पर ग्रीर स्वधर्मानुगामिनी है॥ १०४----१०५॥

सानुकूला च सर्वेषां स्वामिपर्यं कसेविका ।

ग्रुश्रुपया च सर्वेषु विनयानतमस्तका ॥ १०६ ॥

नहि सापि व्ययं कर्तुं समर्था तद्धनस्य वै ।

निजेच्छया निजां श्वश्रूमनापृच्छत्र च कुत्रचित् ॥ १०७ ॥

ध्रर्ध—यदि उक्त विधवा कुटुम्ब जनों के घनुकूल है, भर्त्ता की शय्या की सेवक है सासु का घ्रादर करनेवाली है ते। भी सासु की ग्राज्ञा (सम्मति) बिना घ्रपने पति का द्रव्य खर्च नहीं कर सकती है।। १०६—१०७।।

नोट—ये दोनों ऋोक पिछले दोनें। ऋोक अर्थात् १०४––१०५ के साथ मिलकर ख़ानदान के लिये एक उमदा क़ायदा क़ायम करते हैं जो वास्सतव में केवल हिदायती (शिचा रूप में) है।

श्वशुरस्थापिते द्रव्ये श्वश्रू सत्वेऽथवा वधूः ।

नाधिकारमवाप्नोति सुक्त्याच्छादनमंतरा ॥ १०८ ॥

भ्रर्थ--जिस विधवा की सासु जीवित हो उसको ससुरे के धन में केवल भोजन वस्त्र का भ्रधिकार है, विशेष दाय का नहीं ॥१०८॥ दत्तगृहादिकं सर्व कार्य श्वश्रूमनेाऽनुगम् ।

करग्रीयं सदा वध्वा श्वश्रू मातृसमा यत: ॥ १०-६ ॥

श्रथं—-उक्त विधवा सासु के इच्छानुकूल सैांपा हुश्रा घर का कार्य उसकी प्रसन्नता के लिए करती रहे, क्यांकि सासु माता समान होती है ।। १०-६ ।।

गृह्णीयाद्दत्तकं पुत्रं पतिवद्विधवा वधूः ।

न शक्ता स्थापितुं तं च श्वश्रूर्निजपतेः पदे ॥ ११० ॥

अर्थ--विधवा बहू को दत्तक पुत्र अपने पति की तरह लेना चाहिए । सासु अपने पति के स्थान पर किसी को दत्तक स्थापन नहीं कर सकती ॥ ११० ॥

स्वभर्त्रोपार्जितं द्रव्यं श्वश्रूश्वशुरइस्तगम् ।

विधवाप्तुं न शक्ता तरस्वामिदत्ताधिपैव हि ॥ १११ ॥

ऋर्थ—पति के निजी धन में से जो द्रव्य सासु श्वसुर के हाथ लग चुका है डसको विधवा बहू उनसे वापिस नहीं ले सकती । जो कुछ पतिने उसका ग्रपने हाथ से दिया है वही उसका है ॥१११॥

नोट—जो क्रुछ पति ने अपने पिता माता को दे डाला है उसकी मृत्यु पश्चात् लीटाया नहीं जा सकता।

अपुत्रपुत्रमरगे तद्द्रघ्यं लाति तद्वधूः ।

तन्मृतै। तस्य द्रव्यस्य श्वश्रूः स्यादधिकारिग्री ॥ ११२ ॥

अर्थ—जो पुत्र सन्तान बिना मरे उसका द्रव्य डसकी विधवा को मिले, और उस विधवा बहू की मृत्यु हो जाय तब डसका द्रव्य सासु लेवे ॥ ११२ ॥

रमग्रोपार्जितं वस्तु जंगमं स्थावरात्मकम् । देवयात्राप्रतिष्ठादिधर्म्मकार्ये च सैाहृदे ॥ ११३ ॥ श्वश्रूसत्वे व्ययीकर्तुं शक्ता चेद्विनयान्विता । कुटुम्बस्य प्रिया नारी वर्ग्यनीयान्यथा नहि ॥ ११४ ॥ अर्थ--पति की उपार्जित की हुई जङ्गम स्थावर सामग्री देव-यात्रा प्रतिष्ठादिक धर्मकार्यों में लगाने, ख़र्चने और कुटम्बी जनों को दान देने के लिए विधवा को अधिकार है, अगर वह विनयवान व प्रशंसापात्र, सर्व प्रिय श्रादि गुग्रवालो हो, अन्यथा नहीं॥ ११३-११४॥

म्रनपत्ये मृते पत्यें। सर्वस्य स्वामिनी वधूः । सापि दत्तमनादाय स्वपुत्रोप्रेमपाशतः ॥ ११५ ॥ ज्येष्ठादिपुत्रदायादाभावे पञ्चत्वभागता । चेत्तदा स्वामिनी पुत्रो भवेत्सर्वधनस्य च ॥ ११६ ॥ तन्मृतौ तद्धवः स्वामी तन्मृतौ तत्सुतादयः । पितृपत्त्तोयलोकानां नद्वि तत्राधिकारिता ॥ ११० ॥

प्रर्थ--जो पुरुष संतान रहित मर जाय ते। उसके समस्त द्रव्य को उसकी स्त्री मालिक होगी। यदि वह स्त्री अपनी पुत्रो के प्रेमवश किसी को दत्तक पुत्र न बनावे और वह स्त्री मृत्यु पावे ते। उसका धन उसके पति के भतीजे प्रादि की उपस्थिति में भी डसकी पुत्री को मिलेगा। उस कन्या के मरे पीछे उसका पति, डसके पत्ने पीछे उसके पुत्रादिक वारिस होंगे। उसके पितृ-पत्त के लोगों का कुछ अधिकार नहीं रहता है। ११५--११७॥

जामाता भागिनेयरच श्वश्रूरचैव कथंचन ।

नैवैतेऽत्र हि **दायादाः परगेात्रत्वभावतः ॥ ११८ ॥**

म्रर्थ--जमाई, भानजा ध्रीर सासु यह दाय भाग के कदापि स्रधिकारी नहीं हैं। क्येंकि यह भिन्न गेत्र के हैं।। ११⊂ ।।

साधारणं च यद्द्रव्यं तद्भाता कोऽपि गोपयेत् । भागयोग्यः स नास्त्येव दण्डनीयो नृपस्य हि ॥ ११-६ ॥ ११ ग्रर्थ--भाग करने योग्य द्रव्य में से यदि कोई भाई क्रुछ द्रव्य गुप्त कर दे तेा हिस्से के त्रयोग्य होता है। और राजदरबार से दण्ड का भागी होगा ॥ ११-с ॥

सप्तव्यसनसंसक्ताः सोदरा भागभागिनः ।

न भवंति च ते दण्ड्या धर्म्भग्रंशेन सज्जनै: ॥ १२० ॥

ग्रर्थ--जो कोई भाई सप्त कुव्यसनेंों के विषयी हैं। वे दायभाग के भागी नहीं हे। सकते, क्योंकि वह सज्जनें। द्वारा धर्मभ्रष्ट हेाने के कारण दण्ड[,]के पात्र हैं ॥ १२० ॥

गृहीत्वा दत्तकं पुत्रं स्वाधिकारं प्रदाय च । तस्मादात्मोयवित्तेषु स्थिता स्वे धर्म्भकर्म्मीिया ।। १२१ ।। कालचकेय सोऽनूढश्चेन्म्रते। दत्तकस्तत: ।

न शक्ता स्थापितुं सा हि तत्पदे चान्यदत्तकम् ॥ १२२ ॥

ग्रर्थ----यदि किसी विधवा स्त्री ने दत्तक पुत्र लिया हो और डसको अपना संपूर्य द्रव्य देकर ख़ुद धर्मकार्य में लीन हुई हो और दैवयोग से वह दत्तक मर जाय ते। उक्त विधवा स्त्री दूसरा दत्तक पुत्र उसके पद पर नहीं बिठा सकती है ।। १२१---१२२ ।।

जामातृभागिनेयेभ्यः सुतायै ज्ञातिभोजने ।

ग्रन्यस्मिन् धर्म्मकाय्ये वा दद्यात्स्व स्व यथारुचि ॥ १२३ ॥

अर्थ-वह (मृतक पुत्र की माता) चाहे तेा मृतक के धन को अपने जमाई, भानजा या पुत्री को दे दे या जातिभोजन तथा धर्म-कार्य में इच्छानुकूल लगा दे ॥ १२३ ॥

युक्तं स्थापयितुं पुत्रं स्वीयभर्तृपदे तया । कुमारस्य पदे नैव स्थापनाज्ञा जिनागमे ॥ १२४ ॥

विधवा हि विभक्ता चेद्व्यय' कुर्याद्यथेच्छया ।

प्रतिषेद्धा न कोऽप्यत्र दायादश्च कथंचन ॥ १२५ ॥

ग्रविभक्ता सुताभावे कार्य्ये त्वावश्यकेऽपि वा ।

कर्त्तुं शक्ता स्ववित्तस्य दानमादिं च विक्रयम् ॥ १२६ ॥

भ्रर्थ---ग्रावश्यकता के समय ग्रन्य मेम्बरेां के साथ शामिल रइनेवाली पुत्ररहित विधवा भी द्रव्य का दान तथा गिरवी वा बिक्री कर सकेगी ॥ १२६ ॥

वाचा कन्यां प्रदत्त्वा चेत्पुनर्लोभे ततेा हरेत् ।

स दण्ड्यो भूभृता दद्याद्वरस्य तद्धनव्यये ॥ १२७ ॥

अर्थ —जे। कोई प्राग्री अपनी कन्या किसी को देनी करके ले।भ-वश दूसरे पुरुष को देवे ते। राजा डसको दण्ड दे और जे। उसका खर्च हुआ्रा हे। वह प्रथम पति के। दिलवा दे ।। १२७ ।।

कन्यामृतौ व्ययं शोध्य देयं पश्चाच तद्धनम् ।

मातामहादिभिईत्तं तद्गृह्णन्ति सहोदराः ॥ १२८ ॥

द्यर्थ—यदि सगाई किये पीछे (ग्रीर विवाह से प्रथम) कन्या मर जाय ते। जे। कुछ उसको दिया गया हो वद्द ख़र्च काटकर (उसके भावी पति को) लौटा देवे। जे। कुछ कन्या के पास नाना श्रादि का दिया हुद्या ट्रव्य हे। वह कन्या के सहे।दर भाइयें। को दिया जायगा।। १२⊂।। निह्नुते कोऽपि चेज्जाते विभागे तस्य निर्ग्यय: । लेख्येन बन्धुलोकादिसाचिभिर्मिन्नकर्मभिः ॥ १२-६ ॥

भ्रर्थ—यदि विभाग करने में कोई संदेइ हो ते। उसका निर्शय किस तैार से होगा ? उसका निर्शय किसी लोख से, भाइयें। की तथा ग्रन्य लोगों। की गवाहियें। से, ग्रीर ग्रन्य तरीक़ों से करना चाहिए ॥ १२-६ ॥

ग्रविभागे तु भ्रातृणां व्यवहार उदाहत: ।

एक एव विभागे तु सर्वः संजायते पृथक् ॥ १३० ॥

म्र्यर्थ—विना विभाग की हुई अवस्था में सब भाइयो का व्यव-हार शामिल माना जाता है। यदि एक भाई अलग हो जाय ते। सबका विभाग म्रलग क्रलग हो जायगा ॥ १३० ॥

भ्रातृवद्विधवा मान्या भ्रातृजाया स्वबन्धुभिः ।

तदिच्छया सुतस्तस्य स्थापयेद्भ्रातृके पदे ॥ १३१ ॥

द्यर्थ---भाई की विधवा को शेष भाई भाई के समान मानते रहें द्यीर उसके इच्छानुसार उसके लिए दत्तक पुत्र को मृतक भाई के पद पर म्थापित करें ।। १३१ ।।

यत्किंचिद्वस्तुजातं हि स्वारामाभूषणादिकम् । यस्मै दत्तं च पितृभ्यां तत्तस्यैव सदा भवेत् ॥ १३२ ॥ ष्ट्रर्थ---जो आभूषण आदिक माता पिता ने किसी भाई को उसकी स्त्री के लिए दिये हें। वह खास उसी के हेंगि ॥ १३२ ॥

ग्रविनाश्य पितुर्द्रव्यं भ्रातॄणां सहायतः । हृतं कुल्लागतं द्रव्यं पिता नैव यदुद्धृतम् ॥ १३३ ॥ तदुद्धृत्य समानीतं लब्धं विद्याबलेन च । प्राप्तं मित्राद्विवाहे वा तथा शौर्येण सेवया ॥ १३४ ॥ म्रजित' येन यत्किंचित्तत्तस्यैवाचित' भवेत् ।

तत्र भागहरा न स्युरन्ये केऽपि च भ्रातर: ॥ १३५ ॥

अर्थ--जे कोई भागदार पिता की जायदाद को व्यय किये बिना और भाइयें की सहायता बिना धन प्राप्त करे, और जो कुछ कोई भाई पितामह के द्रव्य को, जे घाय से निकल गया था और पिता के समय में फिर नहीं मिल सका था, प्राप्त करे, और जे कुछ विद्या की आमदनी हो, या देस्तों से विवाह के मैकि पर मिला हो, या जे बहादुरी या नौकरी करके उपार्जन किया गया हो वह सब प्राप्त करनेवाले ही का है; उसमें और कोई भाई हकदार नहीं हो सकता ॥ १३३-१३५ ॥

विवाहकाले वा पश्चात्पित्रा मात्रा च बन्धुभिः । पितृव्यैश्च बृहत्स्वस्ना पितृष्वस्ना तथा परैः ॥ १३६ ॥ मातृष्वस्नादिभिर्दत्तं तथैव पतिनापि यत् ।

भूषगांधुकपात्रादि तत्सर्व स्त्रीधनं भवेत् ॥ १३७ ॥

अर्थ--विवाह के समय, अथवा पीछे पिता ने, माता ने, बंधुओं ने, पिता के भाइयों ने, बड़ी बहिन ने, बुआ ने, या और लोगों ने, या मैोसी इत्यादि ने, या पति ने, जो कुछ आभूषगा वस्तादिक दिये हैं। सो सब स्तीधन है। उसकी स्वामिनी वही है। १३६--१३७॥

विवाहे यच्च पितृभ्यां धनमाभूषणादिकम् ।

विप्राग्निसाचिकं दत्तं तदध्याग्निकृतं भवेत् ॥ १३८ ॥

अर्थ — विवाइ के समय माता-पिता ने ब्राह्मण तथा अग्नि के सम्मुख अपनी कन्या को जे। वस्त्र-ग्राभूषण दिये से। सब अध्याग्नि स्रोधन है।। १३⊏।।

पुनः पितृगृहाद्वध्वाऽनीतं यद्भूषणादिकम् । बन्धुभ्रातृसमचे स्यादध्याह्वनिकं च तत् ॥ १३-६ ॥ भ्रर्थ---पुनः विवाह पश्चात् पिता के घर से ससुराल को जाते समय जेा कुछ वह भाइयेां श्रीर कुटुम्ब जनेां के समत्त लावे वह आभूषणादिक सब श्रध्याह्वनिक स्त्री-धन कहलाता है।। १३-६।।

प्रीत्या स्नुषायै यदत्तं श्वश्र्वा च श्वशुरेष च । मुखेचर्षाघ्रिनमने तद्धनं प्रीतिजं भवेत् ॥ १४० ॥ अर्थ--मुख दिखाई तथा पग पड़ने पर सासु ससुर ने जो कुछ

दिया हो वह प्रीतिदान स्त्रीधन कहलाता है ॥ १४० ॥

पुनर्भ्रातुः सकाशाद्यत्प्राप्तं पितुर्गृ हात्तथा । ऊढया स्वर्धरत्नादि तत्स्यादीदयिकं धनम् ॥ १४१ ॥

ग्रर्थ--विवाह पीछे फिर जेा सेाना रत्नादि विवाहित स्त्री ग्रपने भाइयेां त्र्राथवा मैके से लावे वह ग्रीखक स्त्री-धन कहलाता है ॥१४१॥

परिक्रमग्रकाले यदत्तां रत्नांशुकादिकम् ।

जायापतिकुलस्त्रीभिस्तदन्वाधेयमुच्यते ॥ १४२ ॥

अर्थ--और परिक्रमा समय जेा कुछ रत, रेशमी वस्त्रादिक पति के कुटुम्ब की स्त्रियाँ व विवाहित स्त्री वा पुरुष से मिले वह अन्वाधेय स्त्रीधन कहलता है ॥ १४२ ॥

एतत् स्रोधनमादातुं न शक्तः कोऽपि सर्वथा । भागा नाहर्े यतः प्रोक्त सर्वेनीतिविशारदैः ॥ १४३ ॥

ग्रर्थ--उपर्युक्त प्रकार के स्त्रोधन को कोई दायाद नहीं ले सकता है। कारण कि सर्वनीतिशास्त्रों के जाननेवालेंा ने इनके। विभाग के श्रयोग्य बतलाया है।। १४३।।

धारणार्थमलङ्कारी भर्त्री दत्तो न केनचित् । गृह्यः पतिमृतौ सोऽपि त्रजेत्स्त्रीधनतां यतः ॥ १४४ ॥ अर्थ--जो आभूषण भर्तार ने अपनी स्त्री के लिए बनवाए परन्तु उनको उसे देने से प्रथम आप मर गया ते। उनको कोई दायाद नहीं ले सकता है। क्योंकि वह उसका स्त्रीधन है।। १४४।।

व्याधेैा धर्मे च दुर्भित्ते विपत्तौ प्रतिरोधके ।

भर्त्तानन्यगतिः स्त्रोस्वं लात्वा दातुं न चाईति ॥ १४५ ॥

भ्रर्थ---वीमारी में, धर्म-काम के लिए, दुर्भिच्च में, चापत्ति के समय में या बन्धन के अवसर पर यदि पति के पास श्रीर कोई सहारा न हो श्रीर वह स्त्री-धन को ले ले तेा उसका लौटाना आव-श्यक नहीं है ।। १४५ ।।

सम्भवेदत्र वैचित्र्य' देशाचारादिभेदतः ।

यत्र यस्य प्रधानत्वं तत्र तद्वलवत्तरम् ॥ १४६ ॥

म्रर्थ--विविध देशों के रिवाजें के कारग्र नीति में भेद पाया जाता है। जेा रिवाज जहाँ पर प्रधान होता है वही वहाँ पर लागू होगा।। १४६॥

इत्येव' वर्श्शितस्त्वत्र दायभागः समासतः ।

यथाश्रुतं विपश्चिद्भिर्ज्ञेयोऽईत्रोतिशास्त्रतः ॥ १४७ ॥

अर्थ-इस रीति से यहाँ सामान्यतः श्रागमानुसार, जैसा सुना है वैसा, दायभाग का वर्षन किया । इस विषय में अधिक देखना हो तो जैन मत के नीतिशास्त्रों को देखना चाहिए ।। १४७ ।।

तृतीय भाग

जैन धर्म ग्रीर डाक्टर गौड़ का "हिन्दू कोड"

यह बात छिपी हुई नहीं है कि कोई कोई वकील बैरिस्टर धावश्यकता पड़ने पर मनसूख़शुदा नज़ोरें भी पेश करने में सङ्कोच नहीं करते, किन्तु यह किसी के ध्यान में नहीं ध्राता कि डाक्टर गौड़ जैसे उच्च कोटि के कुन्तूनदाँ कानून-गौरव-पद्धति का ऐसा निरादर ध्रीर धनाचार करेंगे। विज्ञ डाकृर ने ध्रपने "हिन्दु कोड" में जैन धर्म के विषय में कितनी ही बातें ऐसी लिखी हैं जो केवल आश्चर्य-जनक हैं ध्रीर वैज्ञानिक खेाज द्वारा सिद्ध सिद्धान्तों के विरुद्ध हैं। "वह जैनियां को" हिन्दू डिस्से टर्ज़ धर्थात् हिन्दू धर्मच्युत भिन्न मतानुयायी कहते हैं, ध्रीर जैन धर्म को बौद्ध-धर्म का बच्चा बतलाते हैं।

हिन्दू कोड का ३३१ वाँ पैरामाफ़ इस प्रकार है---

"जैन धर्म बौद्ध धर्म से अधिक प्राचीन होने का दावा करता है, किन्तु वह उसका बच्चा है। वास्तव में वह बौद्ध धर्म और हिन्दू धर्म के बीच में का न्युत्पन्न मत है, जा उन लोगों ने स्थापित किपा है जिनको एक नूतन धर्म स्वीकार नहीं था, और जिन्होंने एक ऐसे धर्म की शरण ली जिसने अपना पुराना नाता हिन्दू धर्म से कायम रक्खा और बौद्ध धर्म से उसके धार्मिक आचार विचार ले बिये। समय पाछे जैसे जैसे बौद्ध धर्म का प्रभाव भारत-वर्ष में कम होता गया, उसकी गिरती हुई महिमा जैन धर्म में बनी रही, और गिरते गिरते वह हिन्दू धर्म के एक ऐसे रूपान्तर में परिणत हुआ कि जिसमें बसका स्वत्व मिल्लकर लोप हा गया।" डाक्टर गै।ड़ ने किसी एक भी इिन्दू श्रयवा बौद्ध शास्त्र, व पुराने प्रन्थ का उल्लेख नहीं किया है जिसमें जैन धर्म के अभ्युत्थान का वर्षन हो और वह ऐसा कोई भी धर्म-विचार वा धर्म-आचार नहीं बतला सकते हैं, जे। जैन धर्म ने बैाद्ध धर्म से लिया हो, तथापि उनकोा उपर्युक्त लेख लिखते हुए सङ्कोच नहीं हुआ।

उनके प्रमाग निम्नलिखित हैं----

(१) माउन्ट रदुग्रट एल्फिस्टन् लिखित हिन्दू इतिहास

(२) हिन्दुः तान की अदालतेां के कुछ फ़ैसले

(३) १८८१ की बंगाल मनुष्य-गयाना की रिपोट प्रे ८७-८८

किन्तु ये समकालीन लेख नहीं हैं और अदालत की नज़ीरों में कहीं भी इस बात के निर्शय करने की चेष्टा नहीं की गई है कि जैन धर्म हिन्दु धर्म वा बौद्ध धर्म का बच्चा है, अथवा नहों। इनमें से एक फ़ैसले में केवल एल्फिंस्टन के भारत-इतिहास से निम्न लिखित पङ्कियों की आवृत्ति की गई है और वह भी एक समाचार के रूप में—

"जान पड़ता है कि जैनेां की उत्पत्ति हमारे (ईसा के) संवत् की छठी वा सातवीं शताब्दी में हुई। आठवीं वा नवीं शताब्दी में वह विख्यात हुए, ग्यारहवीं में उन्नति सीमा पर पहुँच गपे और वारहवीं के पीछे उनका पतन हुन्रा।"

यह विचार निस्सन्देह प्रारम्भिक अन्वेषणार्थियों का था जे। जैन धर्म के विषय में बहुत कम ज्ञान रखते थे, किन्तु जितनी आधु-निक खोज हुई है उस सबका निर्विवाद परिणाम यही है कि जैन धर्म को बैाद्ध धर्म की शाखा समफना एक भूल थी। इस विषय में योरुपीय व भारतवर्षीय प्राच्य-विद्वानें। व खोज करने-वालों में कुछ भी मतभेद वा अन्तर नहीं है। प्रोफेसर टी० डब्ल्यु० र्हिस डेविड्स (Prof. T. W. Bhys Davids) अपनी पुस्तक "बुद्धिस्ट इन्डिया" (Buddhist India) में प्रष्ठ १४३ पर त्निखते हैं---

''भारत इतिहास में बौद्ध धम्मोंग्थान से पहिले से अब तक जैन जनता एक सङ्गठित समाज रूप में रहती आई है।''

एल्फिंस्टन के मतानुसार जैनियों की उत्पत्ति ईसा की छठी शताब्दो में हुई है, किन्तु र्हिस डेविड्स ने दिखला दिया है कि जैन शास्त्र ईसा से चैाथी शताब्दी पहले लिखे जा चुके थे। बुद्धिस्ट इ डिया पुस्तक में पृष्ठ १६४ पर वह लिखते हैं—

''यह शास्त्र वह हैं जा ईसा से चौथी शताब्दी पहले बन चुके थे जब कि भदबाहु समाज के गुरु थे।''

एल्फिंस्टन ने तेा इतना ही कहा था कि ''मालूम पड़ता है, कि जैनियों की डत्पत्ति...इत्यादि'' किन्तु डाक्टर गैड़ निश्चय के साथ कहते हैं कि जैन धर्म केवल बौद्ध धर्म का बच्चा है, ''वास्तव में वह बौद्ध ग्रीर हिन्दू धर्मों का समभ्मौता है''। डाक्टर गैड़ ने किस ग्राधार पर एक पुराने युरोपीय विचारवाले लेखक की सम्मति को, जो डसने संकुचित ग्रीर विशेषग्रात्मक शब्दों में प्रकट की थी, बदल-कर निश्चय वाक्य रूप में ३३१ वें पैराप्राफ में हिन्दू कोड में लिख डाला, यह उन्हीं को मालूम होगा। किन्तु क्या वह कह सकते हैं कि वह उन बातों से ग्रनभिज्ञ हैं जो १८८८१ के पीछे पचपात रहित विद्वानों ने खोज करके सिद्ध की हैं ? थोड़ा समय हुग्रा डाकृर टी० के० लड्डू ने, जो एक हिन्दू विद्वान हुए हैं, कहा था—''वर्द्धमान महावीर के पहले के किसी प्रामाणिक इतिहास का इमकी पता नहीं लगता है, किन्तु इतना तेा निश्चित ग्रीर सिद्ध है कि जैन धर्म बौद्ध धर्म से पुराना है, ग्रीर महावीर के समय से पहले पार्श्वनाथ वा किसी थ्रीर तीर्थकर ने इसको स्थापित किया था'' (देखेा पूर्यव्याख्यान डाक्टर टी० के० लड्डू जिसको आनरेरी सेक्रेटरी स्याद्वाद् मद्दा-विद्यालय बनारस ने प्रकाशित किया है)। स्वर्गीय महामहोषाध्याय डाक्टर सतीशचन्द्र विद्यामूषण ने भी इसी बात को सिद्ध किया है कि ''यह निर्णय होता है कि इन्द्रभूति गौतम जो कि महावीर का निज शिष्य था, श्रीर जिसने उनके उपदेशों का संघ्रह किया, बुद्ध गौतम का समकालीन था, जिसने कि बौद्ध धर्म चलाया; स्रीर स्रचपाद गौतम का भी समकालीन था, जो कि ब्राह्मण था स्रीर न्याय सूत्र का बनानेवाला था'' (देखेा जैन गज़ेट जिल्द १० नं० १)।

डाक्टर जे॰ जी॰ ब्यूहुर (Dr. J. G. Buhler, C. I. E., LL. D., Ph. D.) बतलाते हैं---

''जैनियेां के तीर्थ कर-सम्बन्धी व्याख्याओं को बौद्ध स्वतः ही सिद्ध करते हैं; पुराने ऐतिहासिक शिलालेखों से यह सिद्ध होता है कि जैन आम्नाय स्वतंत्र रूप में बुद्ध की मृत्यु के पीछे की पांच शताब्दियों में भी बराबर प्रचलित थी, और कुछ शिलालेख तो ऐसे हैं कि जिनसे जैनियों के कथन पर कोई सन्देह धोखा देने का नहीं रह जाता है; बल्कि उसकी सत्यता इढ़ता से सिद्ध होती है।" (देखो '' The Jainas'' PP. 22-23) %!

''ईसा से पहले १४०० से ८०० वर्ष तक, बल्कि एक अज्ञात समय से उत्तरीय पश्चिमीय श्रीर उत्तरीय-मध्य भारत तूरानियों के, जिनकेा सुभीते के लिए द्राविड़ कहा गया है, राज्य शासन में था, श्रीर वहाँ वृत्त, सर्प श्रीर लिङ्ग-पूजा

अफ़ान्स के प्रसिद्ध विद्वान् डा॰ ए॰ गेरीनेा अपनी जैन बिब्लीओग्रफ़ी की सूमिका में लिखते हैं कि ''इसमें अब कोई सन्देह नहीं है कि पार्श्वनाथ ऐतिहासिक पुरुष हुए हैं।......इस काल में जैन मत के २४ गुरु हुए हैं। ये सामान्य रूप से तीर्थङ्कर कहलाते हैं। २३ वे अर्थात् पार्श्वनाधजी से हम इतिहास और यथार्थता में प्रवेश करते हैं।"—-अनुवादक का प्रचार था.....किन्तु उस समय में भी उत्तरीय भारत में एक प्राचीन और अत्यन्त संगठित धर्म प्रचलित था, जिसके सिद्धान्त, सदाचार और कठिन तपश्चरण के नियम उच्च कोटि के थे। यह जैन धर्म था। जिसमें से झाझण और बौद्ध धर्मों के प्रारम्भिक तपस्वियों के आचार स्वष्टतया ले लिये गये हैं, (देखेा Short Studies in the Science of Comparative Religion, PP. 243--244.)।

अब वह दावा कहाँ रहा कि जैन हिन्दू डिस्सेंटर्ज़ हैं श्रीर जैन धर्म बौद्ध धर्म का बच्चा है। पुराने प्राच्य विद्वानें। की भूल को एक मुख्य अन्तिम प्रामाणिक लेख में इस प्रकार दिखलाया है--(The Encyclopædia of Religion and Ethics, Vol. VII, P. 465)—

''यद्यपि उनके सिद्धान्तों में मूळ से ही श्रन्तर है, तथापि जैन श्रीर बौद्ध धर्म के साधू हिन्दू धर्म के वितरिक्त होने के कारण, वाह्य भेष में कुछ एक से दिखाई पड़ते हैं और इस कारण भारतीय लेखकों ने भी उनके विषय में धेाखा खाया है। ग्रतः इसमें ग्रारचर्य ही क्या है कि कुछ यूरोपीय विद्वानेंा ने जिनका जैन धर्म का ज्ञान अपूर्ण जैन धर्मपुस्तकों के नमूनों से हुत्रा, यह श्रासानी से समम लिया कि जैन मत बाद्ध धर्म की शाखा है। किन्तु तत्पश्चात यह निश्चया-त्मक रूप से सिद्ध हो चुका है कि यह उनकी भूल थी ग्रीर यह भी कि जैन धर्म इतना प्राचीन तो अवश्य ही है जितना कि वौद्ध धर्म । बौद्धों की धर्म पुस्तकों में जैनों का वर्णन बहुत करके मिळता है, जहाँ उनको प्रतिपत्ती मतानुयायी श्रीर पुराने नाम 'निगथ' (निग्र'न्थ) से नामाङ्कित किया गया है।..... वुद्ध के समय में जैन गुरु का नात पुत्त श्रीर उनके निर्वाण स्थान का पावा कहा गया है। नात व नातिपुत्त जैनियेां के अन्तिम तीर्थ कर वर्द्धमान महावीर का विशेषण था और इस प्रकार बौद्ध पुस्तकेां से जैन धर्म के कथन का समर्थन हाता है। इधर जैनियेां के धर्मग्रन्थों में महावीर स्वामी के समकालीन वही राजा कहे गये हैं जा बुद्ध के समय में शासन करते थे, जा बुद्ध का प्रतिपत्तो था। इस प्रकार यह सिद्ध हो गया, कि महावीर बुद्ध का समकालीन था और बुद्ध से उम्र में कुछ बड़ा था। महावीर स्वामी के पावापुर में निर्वाण होने के परचात बुद्ध जीवित रहे । बुद्ध तो बौद्ध धर्म का संस्थापक था महावीर शायद

जैनधर्म का संस्थापक वा उत्पत्ति करनेवाळा नहीं था। जैनी उनको परम गुरु करके मानते हैं।.....उनसे पूर्वगत पार्श्वनाथ, जो ग्रन्तिम तीर्थं कर से पहले हुए हैं, मालूम होता है कि जैन धर्म के संस्थापक प्रबल युक्ति के साथ कहे जा सकते हैं,.....किन्तु ऐतिहासिक प्रमाख-पत्रों की श्रनुपस्थिति में हम इस विषय में केवल तर्क-वितर्क ही कर सकते हैं"।

डाक्टर गैोड़ के दूसरे सिद्धान्त के विषय में—कि जैनियें। ने अपने धार्मिक तत्त्व और आचार बौद्धधर्म से लिये हैं—सत्यार्थ इसके नितान्त प्रतिकूल है। सबसे अंतिम प्रमाण में निम्न प्रकार दर्शाया गया है; देखेा Encyclopædia of Religion and Ethies, Vol. VII, page 472—

''ग्रब इस प्रश्न का उत्तर दिया जाना चाहिए जा प्रत्येक विचारवानू पाठक के मन में उत्पन्न होगा। क्या जैनियों का कर्म-सिद्धान्त..... जैन-दर्शन का प्रारम्भिक श्रीर श्रावश्यकीय श्रङ्गहै ? यह सिद्धान्त ऐसा गहन श्रीर कहिपत विदित होता है कि शीध ही मन में यह बात आती है कि यह एक आधुनिक श्राध्यास्मिक तत्त्व संग्रह है जो एक प्रारम्भिक धार्मिक दर्शन के मूळ पर लगाया गया है. जिसका ग्राशय जीव-रत्ता ग्रीर समें प्राणियेां की ग्रहिंसा का प्रचार था। किन्त ऐसे मत का प्रतिकार इस बात से हा जाता है कि यह कर्म सिद्धान्त यदि पूर्ण ब्यौरेवार नहीं ता मूल तत्त्वों की अपेचा से ता जैन धर्म के पुराने से पुराने ग्रन्थों में भी पाया जाता है, और उन ग्रन्थों के बहुत से वाक्यों और पारिभाषिक शब्दों में इसका पूर्व श्रस्तित्व फलकता है। हम यह बात भी नहीं मान सकते कि इस विषय में इन प्रन्थों में पश्चात के आविष्कृत तत्त्वों का उल्लेख किया गया है। क्योंकि ग्रासव, संवर, निर्जरा ग्रादि शब्दों का ग्रथ तभी समझ में श्रा सकता है जब यह मान लिया जावे कि कर्म एक प्रकार का सूक्ष्म द्रव्य है जो आत्मा में बाहर से प्रवेश करता है (आखव); इस प्रवेश की रोका जा सकता है या इसके द्वारों के। बन्द कर सकते हैं (संवर): श्रीर जिस कार्मिक द्रव्य का आत्मा में प्रवेश हो गया है, उसका नाश व चय आत्मा के द्वारा हो सकता है (निर्जरा) जैन धर्मावलम्बी इन राब्दों का उनके शाब्दिक अर्थ में ही प्रयोग करते हैं। त्रीर मोच-मार्ग का स्वरूप इसी प्रकार कहते हैं कि त्रासव के संवर त्रीर निर्जरा से मोच होता है। अब यह शब्द इतने ही पुराने हैं जितना कि जैन-

दर्शन । बौद्धों ने जैन-दर्शन से आसव का सारगभिंत शब्द ले लिया है । वह उसका प्रयोग उसी अर्थ में करते हैं जिसमें कि जैनियों ने किया है, किन्तु शब्दार्थ में नहीं। क्योंकि बौद्ध यह नहीं मानते कि कर्म कोई सूक्ष्म द्रव्य है और न वह जीव का अस्तित्व ही मानते हैं कि जिसमें कर्म का प्रवेश हो सके । यह स्पष्ट है कि बौद्धों के मत में 'आसव' का शाब्दिक अर्थ चालू नहीं है और इस कारण इसमें सन्देह नहीं हो सकता कि उन्होंने इस शब्द को किसी ऐसे धर्म से लिया है कि जहाँ इसका प्रारम्भिक भाव प्रचलित था, अर्थात् जैन दर्शन से ही लिया है कि जहाँ इसका प्रारम्भिक भाव प्रचलित था, अर्थात् जैन दर्शन से ही लिया है कि जहाँ इसका प्रारम्भिक भाव प्रचलित था, अर्थात् जैन दर्शन से ही लिया है कि जहाँ इस तरह एक ही युक्ति से साथ ही साथ यह भी सिद्ध हे। गया कि जैनिये का कर्म-सिद्धान्त उनके धर्म का वास्तविक (निज का) श्रीर आवश्यक अङ्ग है, और जैन दर्शन बौद्ध धर्म की उत्पत्ति से बहुत अधिक पहिले का है।''

यदि डाक्टर गैाड़ बौद्धों के शास्त्रों के पढ़ने का कष्ट उठाते ते। उनको यह ज्ञात हे। गया होता कि बुद्धदेव ने खत: जैनियों के ब्रन्तिम तीर्थंकर महावीर परमात्मन का स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया है----

"भाइयो ! कुछ ऐसे संन्यासी हैं (अचेलक, अजीविक, निगंध आदि) जिनका ऐसा अद्धान है और जो ऐसा उपदेश देते हैं कि प्राणी जो कुछ सुख दुख वा दोनें के मध्यस्थ भाव का अनुभव करता है वह सब पूर्व कर्म के निमित्त से होता है । और तपश्चरण द्वारा पूर्व कर्मों के नाश से और नये कर्मों के न करने से होता है । और तपश्चरण द्वारा पूर्व कर्मों के नाश से और नये कर्मों के न करने से, आगामी जीवन में आखव के रोकने से कर्म का चय होता है और इस प्रकार पाप का चय और सब दुःख का विनाश है । भाइयेा, यह निर्म्र [जैन] कहते हैं.....मैंने उनसे पूछा क्या यह सच है कि तुम्हारा ऐसा अद्धान है और तुम इसका प्रचार करते हो...वन्होंने उत्तर दिया.....हमारे गुरु नातपुत्त सर्वज्ञ हैं...उन्होंने अपने गहन ज्ञान से इसका उपदेश किया है कि तुमने पूर्व में पाप किया है, इसको तुम इस कठिन और दुस्सह आचार से दूर करो । और मन वचन काय की प्रवृत्ति का जितना निरोध किया जाता है उतने ही आगामी जन्म के लिए बुरे कर्म कट जाते हैं.....इस प्रकार सब कर्म अन्त में चय हो जायँगे और सारे दुःख का विनाश होगा । हम इससे सहमत हैं ।"(मज्फिम निकाय । २।२९४ व १ । २३६; The Encyclopædia of Religion and Ethics, Vol. II, Page 70) ।

*

÷

⇔

₩

डपर्युक्त वाक्यों में पूर्ण उत्तर निम्न बातेां का मिलता है---

(१) परमात्मा महावीर मनेकाल्पनिक नहीं वरन एक वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्ति हुए हैं, झौर (२) वह बुद्ध के समकालीन थे। मेरी राय में इस बात के अप्रमाणित करने के लिए कि जैनियों ने अपने तत्त्व झौर धार्मिक आचार बैद्धों से लिये झौर जैन धर्म ईसा की छठी शताब्दी में उत्पन्न हुआ झौर वह हिन्दू झौर बौद्ध धर्म का सममौता है केवल इतना ही पर्याप्त है।

इस मत के सिद्ध करने के लिए कि जैनी हिन्दू धर्म के अन्तर्गत भिन्न श्रद्धानी (डिस्सेंटर्ज़) हैं, न डाक्टर गैाड़ ने, न झौर किसी ने नाम मात्र भी प्रमाण दिया है। यह केवल एक कल्पना ही है जेा पुराने समय के येरिापीय लेखकों के आधार पर खड़ी की गई है जिनकी जानकारी धर्म के विषय में क़रीब क़रीब नहीं के बराबर ही थी ग्रीर जिनके विचार वैदिक धर्म ग्रीर ग्रन्य भारतीय धर्मों के विषय में बच्चों श्रीर मूर्खों के से हास्योत्पादक हैं । यह सत्य है कि ऐतिहासिक पत्रों श्रीर शिलालेखेां के श्रभाव में, जा सामान्यतः ईस्वी सन के ३०० वर्ष से अधिक पहिले के नहीं मिलते हैं, कोई स्पष्ट साच्चो किसी ग्रेगर भी नहीं मिलती; किन्तु भिन्न धर्मों के वास्त-विक सिद्धान्तों धीर तत्त्वेां की अन्तर्गत साची इस विषय में पूर्या प्रमाग रूप है। परन्तु प्रारंभ के अन्वेषकों को इस प्रकार के खोज की पथ-रेखा पर चलने की योग्यता न थी। ब्रीर इस मार्ग के। उन्होंने लिया भी नहीं। मैंने अपनी प्रैक्टीकल पाथ (Practical Path) नामक पुस्तक के परिशिष्ट में, जेा ४⊂ प्रष्ठों में लिखा गया है, जैन झौर हिन्दु धर्म का वास्तविक सम्बन्ध प्रगट किया है झौर इसी विषय को अपनी की आँफ़ नैालेज (Key of Knowledge) नाम की पुस्तक में (देखेा दूसरी म्रावृत्ति पृष्ठ १०६⊂ से १०⊂०) और Uonfluence of Opposites नाम के प्रन्थ में (विशेष करके प्रनितम व्याख्यान को देखेा) इस विषय को अधिकतया स्पष्ट किया है। इन प्रन्थों में यह स्पष्ट करके दिखलाया गया है कि जैन धर्म सबसे पुराना मत है और जैनधर्म के तत्त्व भिन्न भिन्न दर्शनों और मतें के आधारभूत हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि जेा कोई कषाय और हठ को छोड़कर Confluence of Opposites नाम की मेरी पुस्तक को पढ़ेगा और उसके पश्चात् उन शेष पुस्तकें! को पढ़ेगा जिनका उल्लेख किया गया है वह इस विषय में मुभसे कदापि प्रसहमत न होगा। जो लोग कि जैनियों को हिन्दू धर्मच्युत भिन्नमतावलम्बी (डिस्सेंटर्ज़) कहते हैं उनकी युक्तियां निम्न प्रकार हो सकती हैं----

१—यह कि शान्ति, जीव दया, पुर्नेजन्म, नरक, स्वर्ग, मोत्त-प्राप्ति थ्रीर उसके डपाय विषयों में जैनियों के धार्मिक विचार ब्राह्मग्रों के से हैं।

२----जाति-बन्धन देानें में समान रूप में है।

३---जैन हिन्दू देवताओं को मानते हैं; और उनकी पूजा करते हैं। यद्यपि वह उनको नितान्त ग्रपने तीर्थंकरों के सेवक समफते हैं। ४---जैनियों ने हिन्दू धर्म की बेहूदगियों को और भी बढ़ा दिया है। यहाँ तक कि उनके यहाँ ६४ इन्द्र और ३२ देवियाँ हैं।

अपने हिन्दू कोड के पृष्ठ १८०-१८१ पर महाशय गौड़ ने एस्फिन्स्टन की सम्मति के आधारभूत इन्हीं युक्तियों की डद्धृत किया है। किन्तु यह युक्तियाँ देानें। पच में प्रबल पड़ती हैं। क्योंकि जब 'क' व 'ख' देा दर्शनें। में कुछ विशेष बातें एक सी पाई जावें ते। निश्चयतः यह नहीं कह सकते कि 'क' ने 'ख' से लिया है और 'ख' ने 'क' से नहीं। यह हो सकता है कि इन बातें। की जैनियों ने हिन्दुओं से लिया हो, लेकिन यह भी हो। सकता है कि हिन्दुओं ने अपने धर्म के आधार को जैनियेां से लिया हो। केवल साटरय इस बात के निर्गय में पर्याप्त नहीं है ! और इन साटरयें में भी जहाँ तक कि इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण जीव दया का सम्बन्ध है मैं कह सकता हूँ कि अहिंसाको हिन्दू धर्म का चिह्न उस प्रकार से नहीं कह सकते जिस प्रकार वह जैन धर्म का लत्त्र या है। क्योंकि ''ग्रहिंसा परमेा धर्मः'' तेा जैन धर्म का ग्रादर्श वाक्य ही रहा है। तीसरी बात कि जैनी हिन्दू देवताओं को मानते और पूजते हैं वाहियात है। इसमें सच का श्राधार कुछ भी नहीं है। एल्फिन्स्टन ने १---२ दृष्टान्त ऐसे पाये होंगे झौर उसी से उन्होंने यह समभा लिया कि सामान्यतया जैनी लोग हिन्दू देवताग्रीं को मानते हैं। ऐसे दृश्य प्रत्येक धर्म में पाये जाते हैं। हिन्दू जनता ग्रीर विशेषकर स्त्रियाँ ग्राजकल मुसलमानेां के ताज़ियां ग्रीर पीरेा की दर्गाहेां को पूजते हैं। किन्तु क्या इम कह सकते हैं कि कति-पय व्यक्तियों के इस प्रकार अपनी धर्म-शिचा के विरुद्ध ग्राचरण करने से सर्व हिन्दू "मुसलिम डिस्सेन्टर्ज़" हो गये ? चैाथी युक्ति सबसे भद्दो है। उसका ग्राधार इस कल्पना पर है कि हिन्दू-धर्म बेहूदा है थ्रीर जैनिये। ने उसकी बेहूदगी में ध्रीर भी अधिकता कर दी है। मुम्ने विश्वास है कि हिन्दू इससे सइमत न होंगे। सच तेा यह है कि जिस बात को मिस्टर एल्फिन्स्टन वाहियात समफते हैं वह स्वर्ग के शासक देवताओं की संख्या है जा इन्द्र कहलाते हैं । जैन धर्म में इन्द्रों की संख्या ६४* है और देवांगनाओं की संख्या भी नियत है। यदि यह माना जाय कि वास्तव में नरक ग्रीर स्वर्ग का श्रस्तित्व ही नहीं है तेा यह कथन निस्सन्देह वाहियात होगा। किन्तु जैनियों का श्रद्धान है कि यह कथन उनके सर्वज्ञ तीर्धकर

* दिगम्बर मतानुसार इन्द्रों की संख्या सौ है।

का है श्रौर वह एक ऐसे लेखक के कहने से जेा स्वपरधर्म से अन-भिज्ञ है अपने श्रद्धान से च्युत न होंगे।

भव वह इन्द्र जिसका उपाख्यान हिन्दू धर्मशास्त्रों में स्थान स्थान पर है स्वर्ग का शासक नहीं है किन्तु जीवात्मा का अलंकार (रूप-दर्शक) है (देखेा Confluence of Opposites व्याख्यान ५)। यदि एल्फिन्स्टन ध्रीर वह अन्य व्यक्ति जिन्होंने फटपट यह अनुमान कर लिया कि जैनी हिन्दू डिस्सेन्टर्ज़ थे ऋग्वेद के अर्थ को समफने का प्रयत्न करते तेा वह यह जान लेते कि वह प्रन्थ एक गुह्य भाषा में बनाया गया है कि जेा बाह्य संस्कृत शब्दों के नीचे छिपी हुई है †। आधुनिक जनता इस गुह्य भाषा से नितान्त अनभिज्ञ है। यद्यपि वही होली-बाइबिल, जैन्ड-अवस्था ध्रीर कुरान समेत कृरीब करीब सभी धर्मप्रन्थों की वास्तविक भाषा है। किन्तु जैन धर्म किसी गुह्य भाषा में नहीं लिखा गया। ध्रीर न उस्तमें अलङ्कारयुक्त देवी देवताओं का कथन है।

श्रव वह युक्ति जो जैन मत को हिन्दू मत से श्रधिक प्राचीन सिद्ध करती है, यह है कि घटना श्रलङ्कार से पहिले होती है, श्रर्थात् वैज्ञानिक ज्ञान श्रलङ्काररूपो सिद्धान्तों से पूर्व होता है। वात यह है कि जैन प्रन्थ श्रीर वेद देानें में प्राय: एक ही वात कही गई है, किन्तु जैन प्रन्थों की भाषा स्पष्ट है श्रीर वेदें! का कथन गुप्त शब्दों में है जिनको पहिले समभ लेने की आवश्यकता होती है। मैंने इस बात को अपनी पुस्तक कोन्फ्लुएन्स श्रेाफ ओप्पोज़िट्स (Confluence of Opposites) श्रीर प्रैक्टीकल पाथ (Practical Path) के परिशिष्ट में स्पष्ट कर दिया है श्रीर इस कथन को भिन्न

† उपयु क पुस्तकों के अतिरिक्त देखो दि परमेनेन्ट हिस्ट्री आँफ भारतवर्ष और आत्म रामायण । मतों के पूज्य प्रन्थों से दर्षात ले लेकर दर्शा दिया है। दुर्भाग्य-वश एल्फिन्स्टन को स्वपरधर्म की गुप्त भाषा का ज्ञान ही न था श्रीर जे। मन में ध्याया वह कह गया। फ़ौरखौंग (Forlong) ने यह दिखला दिया है कि ब्राह्मणों का योगाभ्यास जैनियों के तप-श्चरण से किस प्रकार लिया गया (देखेा शौर्ट स्टडीज़ इन कम्पैरेटिव रिलीजन: Short Studies in Comparative 'Religion)।

जिन नज़ीरों का डा० गै।ड़ ने उल्लेख किया है उनमें १० बम्बई हाईकोर्ट रिपोर्ट प्रष्ठ २४१-२६७ अपनी किस्म का सबसे प्रधान नमूना है। यह फ़ैसला सन् १⊏७३ में हुया जब कि पुरानी भूलें पृर्श्वतया प्रचलित थीं। इम मानते हैं कि विद्वान न्यायाधीशां ने अपने ज्ञान-दीपकों की सहायता से विचारपूर्वक न्याय किया, किन्तु उनके ज्ञानदोपक ठीक नहीं थे। उन्होंने एल्फिन्स्टन के कथन का (जेा ेहिन्दू कोड में उल्लिखित है) पृष्ठ २४७, २४८, २४८ पर उल्लेख किया; और कुछ फ़ौजी यात्रियों के विवरण छौर कुछ झौर छोटे छोटे प्रन्थों का उल्लेख किया; **ग्रीर ग्रन्त में पादरी डाक्टर** विल्सन की सम्मति ली जिनको वह समम्मते थे कि पाश्चात्य भारत की भिन्न भिन्न जातियों और उनके साहित्य और रीतियों का इतना विस्तार रूप झान था जितना किसी भी जीवित व्यक्ति को, जिसका नाम संहज में ध्यान में त्र्या सके, हे। सकता है। डाक्टर विल्सन की सम्मति यह थी कि वह जैन जाति की पुस्तकों में ब्रथवा हिन्दू लेखकों के प्रंथों में ऐसा कोई प्रमाग नहीं जानते थे जिससे उस रिवाज की सिद्धि हे। सके जे। उस मुक़दमे में वादो पत्त प्रतिपादन करते ेथे। उन्होंने यह भी कहा कि उनको जैन जाति के एक यति ग्रीर उसके बाह्यय सहायकों (Assistants) ने यह बत- लाया था कि वह लोग भी ऐसा कोई प्रमाग नहीं जानते थे: ग्रौर दत्तक पुत्र के विषय में हिन्दू धर्म शास्त्र ही समान्यतया ग्राधार-भूत था। हाईकोट ने इस बात का भी सहारा लिया कि विवाह संस्कार च्रादि बहुत सी बातेां में जैनी लोग ब्राह्ययों की सहायता लेते हैं। उन्होंने कोखबक, विल्सन धौर ग्रन्य लेखकों का भी डल्लोख किया है जेा उपर्युक्त युक्तियों के आधार पर एल्फिन्स्टन से सहमत हैं। विदित होता है कि जैन प्रन्थ पेश नहीं किये गये। यद्यपि उनमें से क्रुछ के नाम जैसे वर्ईमान (नीति), गैातम प्रश्न, पुण्य वचन (Poonawachun) ग्रादि लिये गये थे (देखेा पृष्ठ २५५---२५६)। महाराज गाेविन्दनाथ राय बनाम गुलालचन्द वगैरह कलकत्ता के मुक़दमे में सन् १⊏३३ में इनमें से कुछ के हवाले प्रगट रूप में दिये गये थे (देखेा ५ सदर दीवानी रिपेाट पृष्ठ २७६)। इस मुकुइमे का उल्लेख हाईकोर्ट की तजवीज़ में है श्रीर मिस्टर स्टील की ''हिन्दू कास्ट्स'' नाम की पुस्तक का भी। मिस्टर स्टील. ने दिखलाया है कि जैनियों के शास्त्र हिन्दुग्रों से भिन्न हैं; किन्तु हाईकोट ने उन शास्त्रों के पेश होने के लिए ब्राग्रह नहीं किया श्रीर स्वतः उनको नहीं मॅंगवाया। जिस पत्त के कथन की पुष्टि हिन्दू शास्त्र से होती थी वह ते। श्रदालत को इस विषय में सहायता दे<mark>ने का प्रयत्न स्वभावतः न करता</mark>, और ग्रनुमानतः विरोधी पत्त को न्यायालयों में पेश करने के लिए कठिनता से प्राप्त होनेवाली हस्त-लिखित जैन प्रन्थों की प्राप्ति दुःसाध्य हुई होगी। खेद है कि त्राधुनिक न्यायाधीश, पुराने समय के तिरस्कृत ''काज़ी'' के समान अपना कर्तव्य यह नहीं समझता कि उचित निर्ग्य करने के लिये सामग्री के। संप्रहीत करे; वह कभी कभी उपस्थित सामग्री पर ते। त्राधिक छान-बीन कर डालता है, किन्तु सामग्री उसके समज्ञ संचित करनी ही पड़ती है। पश्चात के मुक़दमात पर उसके निर्णय की ज्योति का प्रकाश पड़ता है ग्रीर एक पूर्व निश्चित प्रमाग का उल्लङ्घन कराना किसी प्रकार से भी सहज कार्य नहीं है जैसा कि प्रत्येक वकील जानता है।

जैनियों ने तेा मुसलमानेां के श्राते ही दूकान बन्द कर दी झौर करीब करीब नाम की तख्ती भी उठा दी। इन ब्राक्रमण करनेवालों ने जैन धर्म को विरुद्ध ऐसा तीव्र द्वेष किया कि उन्होंने जैन मन्दिरों श्रीर शास्त्रों को जहाँ पाया नष्ट कर दिया। साधारग्रतः लोग जैनियेां को नास्तिक समम्पते थे (यद्यपि यह्न एक बड़ी भूल थी) श्रीर इसो कारण से सम्भवतः उनके। मुसलमान आक्रमण करने-वालों के द्दाय से इतना कष्ट सहना पड़ा। जा कुछ भी सही, परिगाम यह हुम्रा कि जैनियों ने अपने शास्त्रभण्डार रचार्ध भूगर्भ में छिपा दिये, और वह प्रन्थ वहाँ पड़े पड़े चूहेां और दीमकों का भोज्य बन गये धीर गलकर धूल हो गये। पिछले दुखद अनुभव का परि-णाम यह हुआ कि मुगल राज्य के पश्चात् जो विदेशी अधिकार हुआ, जैनी डसकी ग्रेगर भी भयभीत होकर तिरछी ग्राँख से देखते रहे, **और यह केवल पिछले २० व**र्ष की **बात है कि जैन-शास्त्र कि**सी भाषा में प्रकाशित होने लगे हैं। मुफ्ते सन्देइ है कि कोई जैनी म्राज भी एक हस्तलिखित प्रन्थ का मन्दिरजो में से लेकर झटा-लत के किसी कर्मचारी को दे दे। कारण कि शास्त्र विनय का उसके मन में बहुत बड़ा प्रभाव है ग्रीर सर्वज्ञ वचन की ग्रवज्ञा ग्रीर स्रविनय से वह भयभीत है। जैन नीतिप्रन्थ बाह्यग्रीय प्रभाव से नितान्त विमुक्त हैं, यद्यपि जैन कभी कभी बाह्यग्रीं की अपने शास्त्रों के बाँचने अधवा धार्मिक तथा लैकिक काय्यों के लिए सहायता लेते हैं।

मेरी समभ में यह नहीं भाता कि इस बात से कि जैनी ब्राह्मयों से काम लेते हैं यह कैसे अनुमान किया जा सकता है कि जैन "हिन्दू डिस्सेंटर्ज़" हैं। क्या ऐसी ग्राशा की जा सकती है कि ऐसे देा समाजों में जा एक ही देश में अज्ञात प्राचीन काल से साथ साथ रहती सहती चली आई हैं, नितान्त पारस्परिक व्यवहार न हेंगि । बात यह है कि जैन धर्म का संख्या-वर्धक-चेत्र विशेष करके हिन्दू समाज ही रहा है, श्रीर गत समय में जैनियों श्रीर हिन्दुस्रों में पारस्परिक विवाह बहुत हुन्रा करते थे। ऐसे विवाहें। से उत्पन्न सन्तान कभी एक धर्म को कभी दूसरे धर्म को मानती थी, श्रीर कभी उनके आचार-विचार में देानों धर्मों के कुछ कुछ सिद्धान्त सम्मिलित रहते थे, और इस कारग से अनभिज्ञ विदेशी ते। क्या अल्प-बुद्धि स्वदेशी भी अम में पड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त कहीं कहीं जैन धर्मानुयायी बिलकुल नहीं रहे, किन्तु जैन मन्दिर वहाँ अभी पाये जाते हैं ! उन मन्दिरों के दैनिक पूजा-प्रबन्ध के वास्ते बाह्यण पुजारी का रखना ही पड़ता है। इन सब बातेां से ५०-६० वर्ष पूर्व तेा गैरजानकार विदेशी अनभिज्ञ हो सकता था, किन्तु आज-कल के एक भारतीय प्रन्थकर्त्ता की ऐसी श्रनभिज्ञता चन्तव्य नहीं है। उसको ते। अपने विचार प्रकाशित करने के पूर्व इन सब बातों को विशेष करके भले प्रकार ग्रध्ययन करना उचित है।

अक्ष केवल शेष इतना ही रह गया है कि इस नियम की—कि उपन केवल शेष इतना ही रह गया है कि इस नियम की—कि हिन्दु-लॉ जैनियों पर लागु होगा, यदि उनका कोई विशेष रिवाज प्रमाग्रित न हो—प्रारम्भिक इतिहास की खोज की जावे। महाराजा गोविन्दनाथ राय ब० गुलालचन्द वग़ैरह के मुक़दमे का जिसका फैसला खन् १८३३ में प्रेसीडेन्सी सदर कोर्ट बङ्गाल ने किया श्रीर जिसमें जैन-लॉ व जैन शास्त्रों का स्पष्टतया उल्लेख हुन्रा, पहिले ही इवाला दिया जा चुका है। अनुमानतः यह जैनियों का सबसे पहिला मुक़दमा है जेा छपा है। मैंने उस मुक़दमे पर भी जेा बम्बई इाईकोर्ट रिपोर्ट ्स की १० वीं जिल्द के सफ़े २४१ से २६७ पर उद्धृत है एक इद तक रायज़नी कर ली है।

मुसम्मात चिम्नी बाई ब० गट्टेा बाई का मुक़दमा जिसका फ़ैसला सन् १८५३ ई० में हुआ (नज़ायर्स सदर दीवानी म्रदालत सूबे जात मगर्बी व शुमाली ६३६ उल्लिखित ६ एन० डब्ल्यु० पी० हाईकोर्ट रिपोर्ट्स सफ़ा ३-४४) इनके पश्चात् हमारी तवज्जह का अधिकारी है। इस सुक़दसे में स्पष्टतया देखा जा सकता है कि जैनियों के हिन्दू डिस्सेण्टर्स (Dissenters) समभो जाने का फल कितना बुरा जैन-लॉ के लिए हुन्रा। क्येंकि उसमें यह सिद्ध किया गया कि ''जैनियें के भगड़े। में जैन-लॉ के निर्गयार्थ अदालत के पण्डित की सम्मति लेने की कोई श्रावश्यकता नहीं है जब कि एक ऐसे फिर्के के सिद्धान्त क विषय में जेा स्वीक्ठत रीति से हिन्दू समाज में से निकला (Dissenting sect) है उसकी सम्मति का भ्रादर एक पचवाला नहीं करता है, बल्कि मुद्द्या के ऊपर इस बात का भार डालता है कि वह असली मत के क़ानून से अपने फिर्क़े की स्वतन्त्रता का जिस प्रकार उससे हो सके प्रमाग्रित करे । श्रीर यह बात अमर वाकु-याती है।'' इस अन्तिम वाक्य का तात्पर्य यह है कि यदि ज़िले की दोनों ग्रदालतें (इब्तिदाई व ग्रपील) इस विषय में सहमत हेां कि मुद्दइया द्विन्दू-लाँ से श्रपने फिर्के की स्वतन्त्रता के प्रमाणित करने में असमर्थ रही तेा हाईकोट ऐसी मुत्तिफ़िक तजवीज के विरुद्ध कोई उज़र नहीं सुनेगी । तिस पर भी इस मुक़दमे में यह क़रार दिया गया कि जैनियों का यह इक है कि "वह अपने ही शास्त्रों के अनुसार अपने द्दाय के भगड़ों का निर्धय करा सके ।'' फ़ैसले में यह भी बताया गया है कि ''जैनियें। के प्रमाखित नीति शास्त्रों के न होने के कारग्र अदालत इस बात पर बाध्य हुई कि साच्ची के आधार पर भगड़े का निर्धय करे।''

बमुक़दमे हुलास राय ब० भवानी जेा छापा नहीं गया है थौर जिसका फ़ैसला ७ नवम्बर सन् १⊂५४ को हुथ्रा था (इसका हवाला ६ एन० डब्ल्यु० पी० हाईकोर्ट रिपोर्ट स में प्रष्ठ ३-८६ पर है) फिर यह प्रश्न उत्पन्न हुत्रा कि जैनी किस लॉ के पावन्द हैं। इसकी निस्बत तन्की हैं इन शब्दों में कायम की गई'---

"श्राया श्रावगो कौम हिन्दू-लॉ को मानते हैं या नहीं ? यदि वे हिन्दू-लॉ के पावन्द नहीं हैं ते। क्या उनका क़ानून विधवा को पति की स्थावर सम्पत्ति में इन्तक़ाल का इक देता है ? श्राया श्रावगी कौम के नियमें। के अनुसार विधवा मालिक कामिल जाय-दाद की होती है, या उसका हक केवल जीवन पर्यन्त ही है ?" दौराने मुक़दमे में न्यायाधीश का जैनशास्त्रों के श्रस्तित्व का समा-चार कुछ जैन गवाहों द्वारा, जिनका वयान कमीशन पर दिल्ली में हुश्रा, माल्ट्म हुश्रा। मगर हाईकोर्ट में इस शहादत पर श्रात्तेप किया गया कि गवाहान ने अपने बयान बिना सौगन्द के दिये थे। इस-लिए वहाँ से मुक़दमा फिर श्रदालत इब्तदाई में नये सिरे से सुने जाने के लिए वापिस हुश्रा। परन्तु श्रन्तत: पारस्परिक पञ्चायत द्वारा डसका फ़ैसला हे। गया। मगर जैन-लॉ के बारे में यह श्रावश्यकीय बात फ़ैसले में दर्ज है कि "धार्मिक विषये! में श्रावगी लोग श्रपने ही धर्म शास्त्रों के नियमें। पर कार्यबद्ध होते हैं।"

इसके पश्चात् एक मुक़दमा सन् १⊏६० का है (मुन्नूलाल ब० गोकलप्रसाद जो नज़ायर सदर दीवानी ऋदालत एन० डब्ल्यु० पी० सन् १८६० में पृष्ठ २६३ पर प्रकाशित है झौर जिसका हवाला ६ एन० डब्ल्यु० पी० हाईकोर्ट रिपोर्ट् स पृष्ठ ३ २६ पर मिलता है)। इस मुकदमे में पहिले पहिल यह तै हुझा था कि "श्रावर्गा फ़रीकेन (पचियों) के दाय के फगड़े जैन-लॉ के अनुसार तै होने चाहिएँ, जिसका निर्ध्य श्रेष्ठतम साची से जेा प्राप्त हो सके करना चाहिए।" इस आमह के साथ यह मुकदमा अदालत अव्वल में नये सिरे से सुने जाने के लिए वापिस हुआ। जब फिर यह मुकदमा हाईकोर्ट में पहुँचा तेा वहाँ पर हर देा पचियों की ओर से यह मान लिया गया कि "श्रावगियों की कौम के कोई धार्मिक या नीति के शास्त्र नहीं हैं जिनके अनुसार इस प्रकार के विषयों का निर्ध्य पूर्ण रीति से हेा सके।"

खेद ! जैन शास्त्रों की दशा पर ! जैनियों के अपने शास्त्रों के छिपा डालने के स्वभाव की बदौलत हिन्दू वकील जा मुक़दमें में पैरवी करते थे जैन शात्रों के अस्तित्व से नितान्त ही अनभिज्ञ निकले । और तिस पर भी जैनियों की धेार निद्रा न खुली !

इसके परचात् विद्वारीलाल ब॰ सुखवासीलाल का मुक़दमा जे। सन् १८६५ ई० में फ़ैसल हुग्रा ध्यान देने योग्य है। इस मुक़दमे 'में यह तय हुग्रा कि ''जैन लोगों के ख़ानदान हिन्दू शास्त्रों के पाबन्द नहीं हैं।'' परचात् के मुकदमे शम्भूनाथ ब० ज्ञानचन्द (१६ इलाहाबाद० ३७-६---३८३) में इस निर्णय का ग्रर्थ यह लगाया गया कि यह परिग्राम माननीय हे।गा यदि कोई रिवाज साधारण शास्त्र श्रर्थात् कृानून को स्पष्टतया तरमीम करता हुग्रा पाया जावे। परन्तु जहाँ ऐसा रिवाज नहीं है वहाँ हिन्दू-लॉ के नियम लागू होगे।

इसके पश्चात् का मुक़दमा बङ्गाल का है (प्रेमचन्द पेपारा ब० हुलासचन्द पेपारा—१२ वीछो रिपोर्टर पृष्ठ ४-८४) । इस मुक़दमे की तजवीज़ में भी जैन शास्त्रों का उल्लेख है और अदालत ने तजवीज़ फ़रमाया है कि "न तेा हिन्दू-लॉ में झीर न जैन शास्त्रों ही में कोई ऐसा नियम पाया जाता है कि जिसके झनुसार पिता झपने वय:प्राप्त (बालिग़) पुत्रों की परवरिश करने के लिए बाध्य कहा जा सके।" निस्सन्देह यह नितान्त वही दशा नहीं है कि जहाँ एक सीधे (Affirmative) रूप में किसी बातका झस्तित्व दिखाया जावे, झर्थात् यह कि फ़लाँ शास्त्र में फ़लाँ नियम डल्लिखित है। परन्तु यह ध्यान देने योग्य है कि झदालत ने यह नहीं फ़र-माया कि जैनियों का कोई शास्त्र नहों है झीर न यह कि जैनी लोग हिन्दु-लॉ के पाबन्द हैं।

सन् १⊏७३ ई० में इमको फिर हीरालाल ब० मोहन ब मु० भैरो के मुक़दमे में (जो छापा नहीं गया, परन्तु जिसका इवाला ६—एन० डब्ल्यु∍ पी० हाईकोर्ट रिपोर्ट्स पृष्ठ ३-६⊏—४०० पर दिया गया है) जैन-लॉ का पृथक्र रूप से म्रस्तित्व मिलता है। इसको ग्रदालत ग्रपील जिला ने स्वीकार किया ग्रीर इसकी निस्वत इन शब्दों में त्रपना फ़ैसला फ़रमाया कि ''मुक़दमा का निर्गय जैनी लोगों के क़ानून से होगा । हिन्दू लॉ की जैनियों पर इससे अधिक पाबन्दो नहीं हो सकती जितनी योरोपियन _.खुदापरस्तेां पर हो सकती है।'' मगर हाईकोर्ट में घटनाओं ने श्रपना रूप बदला। बुद्धिमान जज महोदयों ने अपनी तजवीज में लिखा है कि ''अपी-लान्ट की श्रोर से यह बहस नहीं की जाती है कि हिन्दू-लॉ बहै-सियत हिन्दू-लॉ के जैनियों से सम्बन्धित है। परन्तु उनकी यह बहस है कि हिन्दू-लॉ ब्रीर जैन-लॉ में इस विषय की निस्बत कोई ग्रन्तर नहीं है कि विधवा किस प्रकार का ग्रधिकार पति की सम्पत्ति में पाती है।'' अन्ततः अदालत मातहत को कतिपय तनकीहें वापस हुई जिनमें एक तनकीह यह भी थी कि जैन-लॉ के अनुसार विधवा किस प्रकार का अधिकार रखती है। अदालत अपील जिलाने फिर यही तजवीज़ फ़रमाया कि जैन-विधवा मालिक कामिल वअखि्तयार इन्तक़ाल होती है। जैन मुद्दई ने यहाँ भी यही शहा-दत पेश की थी कि हिन्दू-लॉ मुकदमे से सम्बन्धित है। परन्तु जज महोदय ने इस पर यह फ़ैसला फ़रमाया कि "इन गवाहें। ने जिरह में इस बात की खीकार किया है कि वह कोई उदाहरय नहीं बता सकते हैं कि जहाँ हिन्दू-लॉ के अनुसार निर्धय किया गया हो और कारय वश उनकी यह मानना पड़ा कि ऐसे उदाहरया डनकी मालूम हैं कि जहाँ पर हिन्दू-लॉ की पाबन्दी नहीं हुई।" आगे अपील होने पर हाईकोर्ट ने निर्धय फ़रमाया कि इस बात के प्रमाणित करने के लिए कि जैनियों के लिए हिन्दू-लॉ से प्रथक्ता करनी चाहिए शहाइत अपर्याप्त है। धीर जैन-विधवा के अधिकार हिन्दू-विधवा से विरुद्ध नहीं हैं। हाईकोर्ट ने वाक़यात पर भी जज से अस-म्मति प्रकट की और अपील डिगरी कर दिया।

यह मुक़दमा एक उदाहरण है उस दिकृत का जो एक पत्तो को डठानी पड़ती है जब वह किसी रिवाज के प्रमाणित करने के लिए विवश होता है। इस प्रकार का एक और मुक़दमा छज्जूमल ब॰ कुन्दनलाल (पंजाब) ७० इन्डियन केसेज़ पृष्ठ ८३८ पर मिलता है। यह १-६२२ ई० का है। आज कुछ भी सन्देह जैन-विधवा के अधिकारों की निस्बत नहीं है और सब अदालते इस बात पर सहमत हैं कि वह मालिक कामिल बग्रख़ितार इन्तक़ाल होती है। मगर खेद ! कि जो शहादत मुद्दाले ने मुकदमा ज़ेरबहस (हीरालाल ब॰ मोहन व मु॰ भैरेा) में पेश की थी वह अपर्याप्त पाई गई यद्यपि उसमें कुछ डदाहरण भी दिये गये थे और उनके विरोध में कोई भी उदाहरण नहीं था।

यह दशा वातावरण की थी और यह सूरत कानून की उस समय जब कि सन् १⊏०⊂ ई० में प्रोवी कैांसिल के समच यह विषय शिवसिंह राय ब० मु० दाखेा के प्रसिद्ध मुक़दमे के अपील में नि**र्ग**-यार्थ पेश हुआ। (मुक़दमा की रिपेार्ट १ इलाहाबाद पृष्ठ ६८८ व पश्चात् के प्रष्ठों पर है)। अब यह मुकुदमा एक प्रमाखित नज़ीर है जैसा कि प्रीवी कौंसिल के सब मुक़दमात उचित रीति से हे।ते हैं । मुक्दमा मेरठ के ज़िले में लड़ा था श्रीर अपील सीधी इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई थी। हाईकोर्ट की तजबीज़ छठी जिल्द एन० डब्ल्यु० पी० हाईकोर्ट रिपेार्ट्स में ३⊂२ से ४१२ ष्टछों पर डल्लि-खित है। मुद्दइया का जे एक जैन-विधवा थी दावा था कि वह ग्रपने पति की सम्पत्ति की पूर्यतया ऋधिकारियो है ध्रीर उसको बिना प्राज्ञा व सम्मति किसी व्यक्ति के **इत्त**क लेने का ग्राधिकार प्राप्त है । जवाब दावा में इन बातों से इन्कार किया गया था स्रीर यह उज़ डठाया गया था कि जैन लोगों का कानून उस नीति शास्त्र से जेा हिन्दू-लॉ के नाम से विदित है विभिन्न नहीं है। पहिले एक केवल कानूनी देोष के कारण दावा अदालत अव्वल में ख़ारिज हुआ मगर अपील होने पर हाईकोार्ट से पुनः निर्याय के लिए वापस हुआ। हाईकोर्ट से दोनों पचियेंा के वकीलों ने प्रार्थना की थी कि वह डचित हिदायात मुक़दमा के निर्णयार्थ व्यदाखत इब्तदाई को करे, श्रीर बुद्धि-मान जज महोदयों ने इन हिदायात के दैारान में फ़रमाया कि "जैनियों का कोई लिखा हुआ कानून दाय का नहीं है' श्रीर उनके कानून का पता केवल रिवाजेां के एकत्रित करने से जेा उनमें प्रच-लित हैं। लग सकता है। जज मातहत महोदय ने इन हिदायतेां पर पूरा-पूरा अमल किया, श्रीर बड़ी जाँच के पश्चात् दावा को डिमी किया। अपील में हाईकोर्ट ने ब्यौरेवार ग्रीर मेहनत के

साथ कुल नज़ोरेां का निरीचय किया श्रीर श्रपना हुक्म सुनाया। श्रीर शायद उस दशा में जिसमें मुकुदमा लड़ा था धीर कोई हुक्म सम्भव न था। हम एकदम यह कह सकते हैं कि निर्ग्यय जैननीतिः नियमें। के अनुसार है और इसकी अपेचा किसी को आचेप का अवसर नहीं मिल सकता है। परन्तु आवश्यकीय ध्यान देने योग्य बातें इस फ़ैसले की युक्तियाँ हैं और यह कि इसका जैन-लॉ के ध्रस्तित्व व उसकी स्वतन्त्रता के विषय में क्या प्रभाव पडा, ध्रीर भागामी समय में पड़ने का गुमान हो सकता है। इस फ़ैसले में देा भारी गुल्तियाँ वाकुयात की हाईकोर्ट ने की हैं। पहिली ते। यह कल्पना है कि "ग्यारह बारह शताब्दियों से अधिक से जैनी लोग वेदों के मत से पृथक हो गये !! जो प्रारम्भिक योरोपियन खोजियों की जल्दबाज़ी का परिणाम है, ग्रीर जिनकी सम्मति से ग्रब भारतीय खेाज का प्रत्येक सचा जानकार ग्रसहमत होता है (देखा इन्साइक्लोपीडिया ग्रेाफ रिलीजन व ईथिक्स जिल्द ७ पृष्ठ ४६५) । यह गुलत राय भगवानदास तेजमल ब० राजमल (१० बम्बई हाईकोर्ट रिपेटर्स प्रष्ठ २४१) के मुकुदमे में एल्फिस्टन की हिस्ट्रो श्रीर कुछ ग्रन्थ युक्तियों के श्राधार पर मान ली गई थी श्रीर पश्चात् के कुछ मुक्दमात में दाेहराई भी गई थी । मुख्य अंश इस गुल्ती का यह है कि जैन मज़हव ईस्वी संवत् की छठी शताब्दी में बुद्ध मत की शाखा के तैार पर प्रारम्भ हुन्ना श्रीर बारहवीं शताब्दी में उसका पतन हुन्रा। परन्तु जैसा कि पहिले कहा गया है त्राज यह बात नितान्त निर्मूल मानी जाती है।

दूसरी ग़लती जेा इस तजवीज़ में हुई वह यह है कि जैनियों के कोई शास्त्र नहीं हैं । द्याज हम इस प्रकार की व्याख्या पर केवल हँस पड़ेंगे । पचास वर्ष हुए जब कदाचित् इसके लिए क्रुछ मैाका

हो सकता था, यदि कुछ शास्त्रों के नाम किन्हीं मुक़दमात में न ले दिये गये होते। इससे अदालत के दिल में रुकावट होनी चाहिए थी। तेा भी यह कहना ग्रावश्यकीय है कि बुद्धिमान् जज महो-दयों ने पूरी पूरी छान-बीन की कोशिश की थी झौर तिस पर भी यदि जैन-लॉ अप्राप्त रूप से ही विख्यात रहा ते। ऐसी दशा में यह त्राशा नहीं की जा सकती है कि वे विला लिहाज़ समय के उसके उपलब्ध की प्रतीचा करते रहते ! स्वयं जैनियों को अन्याय का वेक्त व्रपने कन्धों पर उठाना चाहिए । यह नहीं भूलना चाहिए कि तीसरी तनकोद्व जे। इस मुकदमे में हुई थी इन शब्दों में थी। "जैनी लोग किस शास्त्र या टेक्स्ट बुक (Text-book) के पावन्द हैं ?'' इस तनक़ीह के अन्तर्गत हर देा पचवालों का सुभ्रवसर प्राप्त था कि वह्त जैन-लॉ का अस्तित्व आसानी से प्रमाखित कर सकें। परन्तु एक पत्त को तेा प्रलेभिन ने अन्धा बना दिया था, श्रीर दूसरे को उन कुल बाधाओं का सामना करना पड़ता था जिन्होंने ग्रभी तक पूर्यातया जैन शास्त्रों के। अदालतों में पेश होने से रोक रक्खा है।

प्रीवी कौंसिल में बुद्धिमान बैरिस्टरां से, जिन्होंने मुक़दमा की पैरवी की, यह आशा नहों हो सकती थी कि वे जैन-लॉ के अस्तित्व के बारे में अधिक जानकारी रखते होंगे। धीर रेस्पान्डेन्ट के कौंसिल के इक में ते। हिन्दुस्तान की दोनों अदालतों की तजवीजे सहमत थीं फिर वह क्यों जैन-लॉ की सहायता को अपने प्राकृतिक कर्तव्य के विरुद्ध चलकर आता। रहा अपीलाण्ट का कौंसिल। मगर उसके लिये बयान तहरीरी के विरुद्ध जैन-लॉ के अस्तित्व धीर उसकी स्वतन्त्रता की घेषणा करना अपने मवकिल के आभिप्रायों की विरु-द्धता करना होता। इस दशा में बहस मुख्यतः किन्हों किन्हीं कानूनी नियमों पर होती रही जिनका सम्बन्ध रिवाज से है और शहादत की तुलना से जिससे रिवाज प्रमाग्रित किया जाता है। ते। भी प्रींवी कैंसिल के लाट महोदयों ने कुछ बड़े गम्भीर जुमले इस सिलसिले में लिखे हैं कि जैनियेां का अधिकार है कि वह अपनी ही नीति व रिवाजों के अनुसार कार्यबद्ध हों। पृष्ठ ७०२ पर वह फ़रमाते हैं—

''उन्होंने (हाईकोर्ट के जजों ने) भूतपूर्ष नज़ीरों के अध्ययन से यह परि-णाम निकाल कि वह इस परिणाम के विरुद्ध नहीं थे कि किन्हीं किन्हीं विषयों में जैनी लोग मुख्य रिवाज व नीतियें के बद्ध हों, और यह कि जब यह निश्च-यात्मक ढङ्ग से प्रमाणित हो जावें तो उनको लागू करना चाहिए। अपीलान्ट के सुयोग्य कैंसिल ने जिसने इस मुक़दमा की बहस प्रीवी कैंसिल के लाट महोदयें के समच की इस परिणाम की सत्यता में किसी प्रकार का विवाद उटाने के येग्य अपने के नहीं पाया। यह अवश्य आश्चर्य्यजनक होता यदि ऐसा पाया जाता कि हिन्दुस्तान में जहां ब्रुटिश गवर्नमेंट की न्याय युक्ति में कि जिसके अनुसार सार्थजनिक ढङ्ग से साधारण कानून से चाहे वह हिन्दुओं का हो या मुसलमानों का एक बृहत् प्रथक्त की गुआइश रक्सी गई है अदालतों ने जैनियों की बड़ी और धनिक समाज का अपने मुख्य नियमां और रिवाजों के अनुसरण करने से रोक दिया हो, जब कि यह नियम व रिवाज यधेष्ट साची के आधार पर पेश किये जा सकते हों और उचित रीति से बयान किये जा सकें, और सार्धजनिक सम्मति अधवा किसी अन्य कारणों से आद्येप के येगय नहीं।''

इस प्रकार यह मुक़दमा निर्णय हुत्रा जे। उस समय से बराबर नज़ीर के तैार पर प्रत्येक अवसर में हिन्दुस्तानी अदालतों में जहाँ जैनी वादी प्रतिवादी में यह प्रश्न उपन्न होता है कि वह किस क़ानून से बद्ध हैं पेश होता है। यह कहना आवश्यकीय नहीं है कि प्रीवी कौंसिल के फ़ैसले उच्चतम कोटि के प्रमायित नज़ायर होते हैं जो नि:सन्देह उनके लिए उच्चित मान है, इस अपेचा से कि वह एक ऐसे बोर्ड (अदालत) के परियाम होते हैं कि जिसमें संसार के योग्यतम न्यायविज्ञ व्यक्तियां में से कुछ न्यायाधीश होते हैं। और यह भा कहना अनावश्यकीय है कि प्रीवी कैंसिल के खाट महोदय जे। युक्तियों के वास्तविक गुयों के समफने में कभी शिथिल नहीं प्रमा-णित हुए हैं आगामी काल में पूर्णतया उन नये और विशेष हालात (घटनाओं) पर जेा शिवसिंह राय ब० मु० दाखे। के फ़ैसले की तिथि के पश्चात् से हस्लगत या प्रमायित हुए हैं, विचार करेंगे जब कभी यह नवीन सामग्री उनके समच नीति व नियमें के क्रम में नियमानुसार पेश होगी।

संचेपतः यह राय कि जैनी हिन्दु-लाँ के श्रनुयायी हैं इस कल्पना पर निर्धारित है कि जैनी हिन्दू मत से विभिन्न होकर पृथक हुए हैं। मगर यह कल्पना स्वयं किस म्राधार पर निर्धारित है ? केवल प्रारम्भिक अर्ध योग्यता प्राप्त योरोपियन खेाजियों के भूलपूर्य विचार के हृदय में बने रहनेवाले प्रभाव पर, धौर इससे न न्यून पर न अधिक पर कि जैनियों का छठी शताब्दी ईस्वी सन् में आरम्भ हुग्रा जब कि बुद्ध मत का पतन प्रारम्भ हो गया था श्रीर जब प्रच-लित धर्म हिन्दू मत था। अब यह गुल्ती दूर हो गई है। जाकोबी ग्रादि पूर्वी शास्त्रों के खेाजी अब जैन सत को २७०० वर्ष से अधिक आयु का मानते हैं परन्तु अभी तक जैनी Dissentership (धर्मच्युत विभिन्न शाखा होनेवाले स्वरूप) से मुक्त नहीं हुए हैं। यदि बुद्ध मत की शाखा नहीं ते। तुम हिन्दू मत से मतभेद करके प्रादुर्भाव होनेवाले ते। हे। सकते ही हे। ! यह वर्तमान काल के योग्य पुरुषों की सम्मति है। इस सम्मति के अनुमोदन में प्रमाग क्या है? मगर हाँ बुद्धिमान् की सम्मति के लिए प्रमाग की ग्रावश्यकता ही क्या है ? ग्रान्तरिक साची पूर्णत: इसके विरुद्ध है श्रीर वास्तव में एक ऐसे बुद्धिमान की सम्मति को श्रनुमोदन में लिये हुए है जिसने वर्षों की छानबीन के पश्चात् सच्ची आश्चर्यजनक बात को हूँढ़ निकाला (देखेा शोर्ट स्टडीज़ इन दी साइन्स झोफ़ कम्पेरेटिव रेलीजन) *

जैन मत श्रीर हिन्दू मत के पारस्परिक सम्बन्ध के बारे में तीन बातें संभव हेा सकती हैं श्रर्थात्----

(१) जैन मत हिन्दू मत का बच्चा है।

(२) हिन्दू मत जैन मत का बच्चा है।

(३) देानें। तत्कालीन भिन्न धर्म हैं जो। साथ साथ चलते रहे हैं जिनमें से कोई भी दूसरे से नहों निकला है।

इनमें से (१) केवल कल्पना है और उसके अनुमोदन में कोई ज्ञान्तरिक या बाह्य साची नहीं है। (२) ज्ञान्तरिक साचो पर निर्धारित और इस बात पर स्थिर है कि वेदेा का वास्तविक भाव अलङ्कारयुक्त है। धीर (३) वह आवश्यक परिणाम है जे उस दशा में निकर्जगा जब किसी प्रबल युक्ति के कारण यह न माना जावे कि हिन्दू शास्त्रों के भाव अलङ्कारयुक्त हैं। दुर्भाग्यवश झाधु-निक खोजी हिन्दू शास्त्रों के आव अलङ्कारयुक्त हैं। दुर्भाग्यवश झाधु-निक खोजी हिन्दू शास्त्रों के अलङ्कारिक भाव से नितान्त ही अन-भिज्ञ रहे और उनको वेदेा के वास्तविक भाव का पता ही नहीं लगा। परन्तु इस विषय का निर्णय कुछ पुस्तकों में, जिनका पूर्व उल्लेख किया जा चुका है, किया गया है (देखेा मुख्यतः दि की झॉफ नॉलेज व प्रैकिृकल पाथ और कान्फ्लुएन्स ऑफ ओपोज़िट्स)। परन्तु

इसेन जाकोबी साहब ने कांग्रे स आफ दी हिस्ट्री आँफ आँछ रिली-जन्ज़ (सर्षधमों के इतिहास की कांग्रे स) के समच जैनमत के विषय में निम्नलिखित वाक्य कहे—''अन्त में मुफे अपने विश्वास का प्रकट करने दीजिए कि जैन धर्म एक स्वाधीन मत है, जो अन्य मत मतान्तरों से नितान्त दीजिए कि जैन धर्म एक स्वाधीन मत है, जो अन्य मत मतान्तरों से नितान्त मिन्न और स्वतन्त्र है। और इसलिए वह भारतवर्ष के दार्शनिक विचार और धार्मिक जीवन के समफने में अत्यन्त उपयागी है।'' (जैनगज़ट [अँगरेज़ी] सन् १६२७ प्र0 १०४)—अनुवादक। यदि इम इस अलङ्कारयुक्त भाव की क्रोर दृष्टिन करें तेा हिन्दू मत क्रीर जैन मत का किसी बात पर भी, जेा वास्तविक धर्म सिद्धांतेां से सम्बन्ध रखती हेा, सइयोग नहीं मिलेगा क्रीर देानेां विभिन्न क्रीर पृथक् होकर बहनेवाली सरितास्रों की भाँति पाये जावेंगे, यदि एक ही प्रकार के सामाजिक सभ्यता श्रीर जीवन का ढङ्ग देानेां में पाया जावे।

अब जैन-लॉ की सुनिए ! ये शास्त्र, जो एकत्रित किये गये हैं, जाली नहीं हैं। इनमें से कुछ का उल्लेख भी अारम्भ के दो एक मुक़दमों में आया है, यहापि इसमें न्यायालयों का कोई दोष नहीं है यदि उनका अस्तित्व अब तक स्वीकार नहीं हो पाया है। जैनियों ने भी अपने धर्म को नहीं छोड़ा है और न हिन्दू मत को या हिन्दु लॉ को स्वीछत किया है। छटिश ऐडमिन्स्ट्रेशन की वह निष्पत्त पालिसी, कि सब जातियां और धर्म अपनी अपनी नीतियो के ही वद्ध हों, जिसका वर्शन सर मोन्टेगो स्मिथ ने प्रोठ कैंठ के निर्णय में (ब मुक़दमा शिवसिंहराय ब० मु० दाखेा) किया अभो तक न्यायालयों का उद्देश्य है। तो क्या यह आशा करना कि शोध से शोध उस बड़ो मूल के दूर करने के निमित्त, जा न्याय और नीति के नाम से अनजान दशा में हो गई, सुअवसर का लाभ उठाया जावेगा निर्य्धक है ?

Jain Education International